संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/मुरैना/एफ– /2019/3489 भोपाल, दिनांक 27/12/19

प्रति,

डॉ0 राकेश शर्मा,
नेत्र रोग विशेषज्ञ
जिला चिकित्सालय
जिला–मुरैना, मध्यप्रदेश।

द्वाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना ।

विषयः–डॉ0 राकेश शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, मुरैना के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस।

–00–

यह कि आप डॉ.राकेश शर्मा, जिला चिकित्सालय, मुरैना में नेत्र रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हैं।

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर ने पत्र क्रमांक शिका.–841/2018/15398 दिनांक 05.12.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रेषित करते हुये अवगत कराया है कि जिला मेडिकल बोर्ड, मुरैना द्वारा श्री श्याम सुन्दर शर्मा पिता–श्री राकेश शर्मा उम्र–27 वर्ष निवासी– न्यू हॉउसिंग बोर्ड कालोनी, मुरैना का दिनांक 07.07.2010 को विकलांगता प्रमाण–पत्र जारी किया गया था । जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी उक्त प्रमाण–पत्र का दो बार नवीनीकरण अकेले आपके द्वारा किया गया है बोर्ड के अन्य सदस्यो के एवं बोर्ड के चेयरमन के हस्ताक्षर नहीं है। यह आपत्तिजनक है। इस प्रकार आपके द्वारा प्रावधान/नियम विरूद्ध अनाधिकृत कार्य किया गया है। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

26/12/19

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/मुरैना/एफ– /2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मुरैना, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ.राकेश शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय जिला–मुरैना, मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–7 / देवास / 2019 / 3267 भोपाल दिनांक 29 / 11 / 2019

प्रति,

डॉ. बी.एल. भायल,
सी.एच.सी.
मनासा जिला नीमच।

द्वारा– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नीमच म.प्र.।

विषयः– कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध– डॉ. बी.एल. भायल सी.एच.सी. मनासा जिला नीमच मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

–––––000–––––

यह कि आप **डॉ. बी.एल. भायल सी.एच.सी. मनासा जिला – नीमच में मेडिकल आफीसर** के पद पर पदस्थ है।

आपकी पदस्थी के दौरान प्रसूता ज्योति पति श्री राजू 21 वर्ष को प्रथम प्रसव के दौरान दिनांक 21.04.2018 को दोपहर 2.00 बजे प्रसव पीडा होने पर शासकीय चिकित्सालय मनासा लाया गया। दोपहर दो बजे से रात्रि 9.30 बजे तक किसी भी चिकित्सक द्वारा जाचं नहीं की गई। रात्रि 9.30 बजे नर्स ने बताया कि दिन में 2–8 बजे तक ड्यूटी वाली नर्स ने चीरा लगा दिया जिससे काफी खून बह गया ओर बच्चा भी नही हुआ। तब परिजन तत्काल नीमच लेकर गये जहां पदस्थ डाक्टर व नर्स ने देखकर बताया कि स्थिति अधिक खराब है। और तत्काल उदयपुर या निजी अस्पताल ले जाना पडेगा तब नीमच स्थित निरोगधाम चिकित्सालय में में काफी निवेदन करने पर प्रसव कराया। ज्योति ने मृत शिशु को जन्म दिया और स्वयं ज्योति की भी स्थिति अत्यधिक गंभीर होने के कारण उसे उदयपुर रैफर कर दिया गया, किंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी। दोपहर दो बजे से रात्रि 9.30 बजे तक 7.30 घंटे सी.एम.एच.ओ. मनासा में रहने पर प्रसूता ज्याति को चिकित्सक द्वारा नही देखा गया, जांच नहीं की गई, उपचार नहीं किया जिससे प्रसूता ज्योति व नवजात शिशु की मृत्यु की स्थिति बनी इस प्रकार आपके द्वारा उपचार में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई। (जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।) आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खंण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कर्तव्य में गम्भीर लापवाही की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नीमच के माध्यम से प्रस्तुत करें क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 में वर्णित लघु शास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेंगा।

प्रतीक

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./4/शिका./सेल–7/देवास/2019/ भोपाल दिनांक /11/2019

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

2 मिशन संचालक एन.एच.एम. अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।

3 उप संचालक, विज्ञप्त/लीगल/गोपनीय स्थानीय कार्यालय।

4 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।

5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नीमच की ओर **डॉ. बी.एल. भायल सी.एच. सी. मनासा जिला नीमच को** जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित को तामिली कराते हुए तामिली रिर्पोट एवं संबंधित से प्रतिवाद उत्तर प्राप्त कर अभिमत सहित संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावें।

6 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।

7 आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पंजीकृत ए.डी. डाक से

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.561/ **भोपाल, दिनांक /11/2019,**

प्रति,

डॉ0 उदित कुमार पटैल,
चिकित्सा अधिकारी,
सामु.स्वा.केन्द्र कुंडम जिला जबलपुर,
वर्तमान में –जिला चिकित्सालय,रीवा,मध्यप्रदेश।

द्वारा :– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला रीवा,मध्यप्रदेश।

विषयः– डॉ0उदित कुमार पटैल,चिकित्सा अधिकारी,सामु.स्वा.केन्द्र कुंडम जिला जबलपुर,वर्तमान में जिला चिकित्सालय रीवा,मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम, 16 के अंतर्गत **कारण बताओं नोटिस।**

––00––

यह कि आप डॉ0 उदित कुमार पटैल, चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र कुंडम जिला जबलपुर में पदस्थ थे। तब आप दिनांक 26.08.2016 से 19.06.2017 बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से रहे।

आपका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 7 के प्रावधान "कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा" का उल्लंघन एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम–एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आप अपने कार्य के प्रति कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की भागी बन गए हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ती के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 (4) के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में निर्णय किया जावेगा।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क.क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.561/ 296 /– **भोपाल,दिनांक** 29 **/11/2019.**

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. संयुक्त संचालक,आयोग शाखा,स्थानीय कार्यालय।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल स्थानीय कार्यलय।
4. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर/रीवा, म.प्र.।
5. कलेक्टर, जिला–जबलपुर म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जबलपुर/रीवा,मध्यप्रदेश।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला रीवा की ओर जारी कारण बताओं सूचना पत्र की तामीली करवाकर पावती 10 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करावें।

प्रतीक,
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.4/शिवपुरी/एस.सी.एन./2019/3240 भोपाल, दिनांक 25/11/19

प्रति,

डॉ.साकेत सक्सैना,
चिकित्सा अधिकारी सह उप प्रबंधक,
कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–शिवपुरी,मध्यप्रदेश।

द्वारा :– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,शिवपुरी,मध्यप्रदेश।

विषयः– डॉ.साकेत सक्सैना, चिकित्सा अधिकारी सह उप प्रबंधक कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00–00

यह कि आप डॉ.साकेत सक्सैना, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय में चिकित्सा अधिकारी सह उप प्रबंधक के पद पर पदस्थ है।

कलेक्टर,शिवपुरी ने पत्र कमांक.1520/दिनांक 17.10.2019 प्रमुख सचिव,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर प्रेषित करते हुये अवगत कराय है कि दिनांक 16.10.2019 दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित खबर ''पति की आंखों और चेहरे पर चीटियां चिपकी हुई थी इतने अमानवीय होंगे डॉक्टर और नर्स सोचा नहीं था ''के संबंध में जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर पाया गया कि डॉ.पी.के.खरे,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, शिवपुरी दो दिवस से अस्वस्थ होने के परिणामस्वरूप अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ थे। अतः उप प्रबंधक होने के नाते यह व्यवस्था करवाना आपका दायित्व था कि जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु आये मरीज श्री बालचंद लोधी के शव को परीक्षण गृह में रखा जावे अथवा शव को सम्मानपूर्वक उनके परिजनों को सौंपे जाने तक उचित व नियमानुसार रख रखाव किया जावे किंतु आपके द्वारा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई,जो आपके पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 के उप नियम, एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) का उल्लंधन है तथा उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला शिवपुरी के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लधुशास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

प्रतीक

(प्रतीक हजेला)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.4/शिवपुरी/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त टीप कमांक.232/दिनांक 4.11.2019 के संदर्भ में प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश की ओर उनके पत्र कमांक./जांच प्रतिवेदन/2019 1520/दिनांक 17.10.2019 के संदर्भ में प्रेषित।
3. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी,मध्यप्रदेश।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित डॉ.साकेत सक्सैना,चिकित्सा अधिकारी सह उप प्रबंधक, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,शिवपुरी को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7.. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साईट पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।
8. आदेश नस्ति ।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

पंजीकृत ए.डी. डाक से

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.555/ **भोपाल, दिनांक /11/2019,**

प्रति,

डॉ0 सतीष पवार,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय आगर मालवा।
जिला–आगर मालवा म.प्र.।

द्वारा :– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय आगर।

विषयः– डॉ0 सतीष पवार, पी.जी.एम.आ.(निशचेतना) जिला चिकित्सालय आगर मालवा मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम,16 के अंतर्गत **कारण बताओं नोटिस।**

––00––

यह कि आप डॉ0 सतीष पवार, पी.जी.एम.आ.(निशचेतना) जिला चिकित्सालय आगर मालवा में पदस्थ थ्रे। तब आप दिनांक 14.08.2018 से 17.06.2019 तक आप बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से रहे। दिनांक 18.06.2019 को उपस्थित होने के उपरान्त आवेदन, अस्वस्थता एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये।

आपका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 7 के प्रावधान "कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा" का उल्लंघन एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम–एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आप अपने कार्य के प्रति कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की भागी बन गए हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ती के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिवाद उत्तर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, आगर के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के अंतर्गत **दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभावसे रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें ?** यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में निर्णय किया जावेगा।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क.क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.555/ 983/– **भोपाल,दिनांक** 19 **/11/2019,**

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल स्थानीय कार्यलय।

निरंतर–2

3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
4. कलेक्टर, जिला–आगर मालवा म.प्र.।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आगर मालवा म.प्र.।
6. सिविल सर्जन सह अधीक्षक, जिला चिकित्सालय आगर मालवा म.प्र.। कृपया कारण बताओं सूचना पत्र की तामीली करवाकर पावती 10 दिवस में आद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी एम.आई.एस सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

प्रतीक

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1254-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रति,

श्री ईश्वर मण्डलोई,
सहायक ग्रेड–2, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला – खरगोन, मध्यप्रदेश।

विषयः– **श्री ईश्वर मण्डलोई सहायक ग्रेड–2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – खरगोन के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र।**

–0–

यह कि आप श्री ईश्वर मण्डलोई सहायक ग्रेड–2 के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगोन में पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/440–एक्स, दिनांक 14.06.2019 के माध्यम से श्रीमती भुरी पत्नी स्व.श्री सतीश रेवाल, सफाई कर्मी जिला धार का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मूलतः आपकी ओर प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि श्रीमती भुरी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगोन के अधीन अनुसूचित जाति वर्ग में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही 07 दिवस में की जाकर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह कि संचालनायल पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1129–बी, दिनांक 09.10.2019 एवं पत्र क्रमांक 1194–बी, दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से संचालनालय द्वारा आपके कार्यालय में पूर्व में नियुक्ति हेतु प्रेषित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में आपके द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों की प्रति चाही गई। संबंधित प्रकरण आपकी ओर जून माह में प्रेषित किया गया था आपके द्वारा लगभग 3 माह बाद भी आज दिनांक तक संबंधित प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ओर प्रस्तुत करें, यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा ।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1255-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रभुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. उप संचालक, शिकायत, विज्ञप्त, गोपनीय, स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर, संभाग इन्दौर, म.प्र. ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खरगोन, मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।

संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1252-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रति,

डॉ. रजनी डावर,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला – खरगोन, मध्यप्रदेश।

विषयः– डॉ. रजनी डावर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – खरगोन के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र।

–0–

यह कि आप डॉ. रजनी डावर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगोन के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि आपके कार्यालय से प्राप्त आरक्षण रोस्टर अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर संचालनालय के पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2019/440–एक्स, दिनांक 14.06.2019 के माध्यम से श्रीमती भुरी पत्नी स्व.श्री सतीश रेवाल, सफाई कर्मी जिला धार का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मूलतः आपकी ओर प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि श्रीमती भुरी को आपके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही 07 दिवस में की जाकर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह कि संचालनायल पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1129–बी, दिनांक 09.10.2019 एवं पत्र कमांक 1194–बी, दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से संचालनालय द्वारा आपके कार्यालय में पूर्व में नियुक्ति हेतु प्रेषित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में आपके द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों की प्रति चाही गई। संबंधित प्रकरण आपकी ओर जून माह में प्रेषित किया गया था आपके द्वारा लगभग 3 माह बाद भी आज दिनांक तक संबंधित प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ओर प्रस्तुत करें, यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा ।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1253-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. उप संचालक, शिकायत, विज्ञप्त, गोपनीय, स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर, संभाग इन्दौर, म.प्र. ।
6. प्रभारी एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।

संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1250-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रति,

श्री अभिषेक प्रजापति,
सहायक ग्रेड–3, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला – सागर, मध्यप्रदेश।

विषयः– **श्री अभिषेक प्रजापति, सहायक गेड–3, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – सागर के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र।**

–0–

यह कि आप श्री अभिषेक प्रजापति सहायक ग्रेड–3 के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सागर म.प्र. में पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2019/486–एक्य, दिनांक 14.06.2019 के माध्यम से कु.प्रतिमा स्टील पुत्री स्व.श्रीमती केरोलिन सुभाषनी स्टील, स्टॉफ नर्स, जिला सागर का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मूलतः आपकी ओर प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि कु.प्रतिमा स्टील को आपके अधीन अनारक्षित में रिक्त डार्करूम सहायक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही 07 दिवस में की जाकर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह कि संचालनायल पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1129–बी, दिनांक 09.10.2019 एवं पत्र कमांक 1194–बी, दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से संचालनालय द्वारा आपके कार्यालय में पूर्व में नियुक्ति हेतु प्रेषित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में आपके द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों की प्रति चाही गई। जिसके संबंध में आपके कार्यालयीन पत्र कमांक/अनु.नियु./19/5937, दिनांक 30.10.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया कि डार्करूम सहायक का पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना प्रावधानित है। जिले में स्वीकृत 04 पदों में से 02 पद सीधी भर्ती से भरे हुए है तथा 02 पद नियमानुसार पदोन्नति से भरे जाने हेतु रिक्त है।

यह कि क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर से प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी अनुसार अपने अधीन डार्करूम सहायक के 3 पद स्वीकृत, 02 कार्यरत होकर 01 पद अनारक्षित वर्ग में रिक्त बताया गया था। वर्तमान में प्राप्त जानकारी अनुसार भी उक्त पद आपके अधीन रिक्त बताया गया है जबकि आपके पत्र दिनांक 30.10.2019 अनुसार डार्करूम सहायक का पद रिक्त नहीं है। संबंधित प्रकरण आपकी ओर जून माह में प्रेषित किया गया था आपके द्वारा लगभग 3 माह बाद प्रकरण का निराकरण न करते हुये पद रिक्त न होने की जानकारी दी गई है। यदि आपके अधीन संबंधित पद तत्समय रिक्त नहीं था तो आपके द्वारा प्रकरण 3 माह तक लंबित क्यों रखा गया।

संचालनालय पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2019/939–पी दिनांक 14.09.2018, एवं पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2019/630–वाय, दिनांक 05.07.2019 में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि गलत/त्रुटि पूर्ण जानकारी भिजवाने पर आपके एवं संबंधित लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए आप स्वय जिम्मेदार होगे।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ओर प्रस्तुत करें, यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा ।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर.....2

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1251-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. उप संचालक, शिकायत, विज्ञप्त, गोपनीय, स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र. ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर, मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी एम.आई.एस.स्थानीय कार्यालय।

संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1248-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रति,

डॉ. एम.एस.सागर,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला – सागर, मध्यप्रदेश।

विषयः– डॉ. एम.एस.सागर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – सागर के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र।

–0–

यह कि आप डॉ.एम.एस.सागर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सागर म.प्र. के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि आपके कार्यालय से प्राप्त आरक्षण रोस्टर अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर संचालनालय के पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2019/486–एक्य, दिनांक 14.06.2019 के माध्यम से कु.प्रतिभा स्टील पुत्री स्व.श्रीमती केरोलिन सुभाषनी स्टील, स्टॉफ नर्स, जिला सागर का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मूलतः आपकी ओर प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि कु.प्रतिमा स्टील को आपके अधीन अनारक्षित में रिक्त डार्करूम सहायक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही 07 दिवस में की जाकर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह कि संचालनायल पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1129–बी, दिनांक 09.10.2019 एवं पत्र कमांक 1194–बी, दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से संचालनालय द्वारा आपके कार्यालय में पूर्व में नियुक्ति हेतु प्रेषित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में आपके द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों की प्रति चाही गई। जिसके संबंध में आपके कार्यालयीन पत्र कमांक/अनु.नियु./19/5937, दिनांक 30.10.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया कि डार्करूम सहायक का पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना प्रावधानित है। जिले में स्वीकृत 04 पदों में से 02 पद सीधी भर्ती से भरे हुए है तथा 02 पद नियमानुसार पदोन्नति से भरे जाने हेतु रिक्त है।

यह कि क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर से प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी अनुसार अपने अधीन डार्करूम सहायक के 3 पद स्वीकृत, 02 कार्यरत होकर 01 पद अनारक्षित वर्ग में रिक्त बताया गया था। वर्तमान में प्राप्त जानकारी अनुसार भी उक्त पद आपके अधीन रिक्त बताया गया है जबकि आपके पत्र दिनांक 30.10.2019 अनुसार डार्करूम सहायक का पद रिक्त नहीं है। संबंधित प्रकरण आपकी ओर जून माह में प्रेषित किया गया था आपके द्वारा लगभग 3 माह बाद प्रकरण का निराकरण न करते हुये पद रिक्त न होने की जानकारी दी गई है। यदि आपके अधीन संबंधित पद तत्समय रिक्त नहीं था तो आपके द्वारा प्रकरण 3 माह तक लंबित क्यों रखा गया।

संचालनालय पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2019/939–पी दिनांक 14.09.2018, एवं पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2019/630–वाय, दिनांक 05.07.2019 में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि गलत/त्रुटि पूर्ण जानकारी भिजवाने पर आपके एवं संबंधित लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए आप स्वय जिम्मेदार होगे।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ओर प्रस्तुत करें, यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा ।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर.....2

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/ 1249-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. उप संचालक, शिकायत, विज्ञप्त, गोपनीय, स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र. ।
6. प्रभारी एम.आई.एस,स्थानीय कार्यालय।

संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1246-18 भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रति,

श्री जितेन्द्र चन्द्रोलिया,
संगणक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला – उज्जैन, मध्यप्रदेश।

विषयः– **श्री जितेन्द्र चन्द्रोलिया, संगणक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र।**

–0–

यह कि आप श्री जितेन्द्र चन्द्रोलिया संगणक के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन म.प्र. में पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/460–एक्य, दिनांक 14.06.2019, पत्र क्रमांक 450–एस, दिनांक 14.06.2019 एवं पत्र क्रमांक 452–एस, दिनांक 14.06.2019 के माध्यम से संबंधित आवेदको के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मूलतः कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही 07 दिवस में की जाकर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह कि संचालनायल पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1129–बी, दिनांक 09.10.2019 एवं पत्र क्रमांक 1194–बी, दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से संचालनालय द्वारा आपके कार्यालय में पूर्व में नियुक्ति हेतु प्रेषित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में आपके द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों की प्रति चाही गई। जिसके संबंध में आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्थापना/19/28168, दिनांक 04.11.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया कि तत्कालीन स्थापना प्रभारी द्वारा रोस्टर रजिस्टर का पूर्ण संधारण नहीं किया गया था। वर्तमान स्थापना प्रभारी द्वारा रोस्टर रजिस्टर का पूर्ण संधारण किया गया है। मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु संबंधित को कार्यालय में बुलवाया गया है। संबंधित के कार्यालय में उपस्थित होने पर दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत इनकी नियुक्ति की कार्यवाही अतिशीघ्र की जावेगी।

यह कि क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन से प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी अनुसार अपके अधीन संबंधित पद रिक्त बताऐं गये थे। जिसके उपरांत ही संबंधित आवेदकों के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण आपके कार्यालय की ओर नियमानुसार नियुक्ति संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किये गये थे। संबंधित प्रकरण आपकी ओर जून माह में प्रेषित किये गये थे आपके द्वारा लगभग 3 माह व्यतीत होने के उपरांत भी प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया है।

संचालनालय पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/939–पी दिनांक 14.09.2018, एवं पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/630–वाय, दिनांक 05.07.2019 में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि गलत/त्रुटि पूर्ण जानकारी भिजवाने पर आपके एवं संबंधित लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए आप स्वय जिम्मेदार होगे।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ओर प्रस्तुत करें, यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा ।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर.....2

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1247-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. उप संचालक, शिकायत, विज्ञप्त, गोपनीय, स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग उज्जैन, म.प्र. ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैल, मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।
8. आदेश नस्ति ।

संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1244-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रति,

डॉ. महावीर खण्डेलवाल,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला – उज्जैन, मध्यप्रदेश।

विषयः– **डॉ. महावीर खण्डेलवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र।**

–0–

यह कि आप डॉ. महावीर खण्डेलवाल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन म.प्र. के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि आपके कार्यालय से प्राप्त आरक्षण रोस्टर अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर संचालनालय के पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/460–एक्य, दिनांक 14.06.2019, पत्र क्रमांक 450–एस, दिनांक 14.06.2019 एवं पत्र क्रमांक 452–एस, दिनांक 14.06.2019 के माध्यम से संबंधित आवेदको के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मूलतः आपकी ओर प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही 07 दिवस में की जाकर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह कि संचालनायल पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1129–बी, दिनांक 09.10.2019 एवं पत्र क्रमांक 1194–बी, दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से संचालनालय द्वारा आपके कार्यालय में पूर्व में नियुक्ति हेतु प्रेषित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में आपके द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों की प्रति चाही गई। जिसके संबंध में आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्थापना/19/28168, दिनांक 04.11.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया कि तत्कालीन स्थापना प्रभारी द्वारा रोस्टर रजिस्टर का पूर्ण संधारण नहीं किया गया था। वर्तमान स्थापना प्रभारी द्वारा रोस्टर रजिस्टर का पूर्ण संधारण किया गया है। मूल दस्तावेजों के परीक्षण हेतु संबंधित को कार्यालय में बुलवाया गया है। संबंधित के कार्यालय में उपस्थित होने पर दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत इनकी नियुक्ति की कार्यवाही अतिशीघ्र की जावेगी।

यह कि क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन से प्राप्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी अनुसार अपके अधीन संबंधित पद रिक्त बताऐं गये थे। जिसके उपरांत है संबंधित आवेदकों के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण आपके कार्यालय की ओर नियमानुसार नियुक्ति संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किये गये थे। संबंधित प्रकरण आपकी ओर जून माह में प्रेषित किये गये थे आपके द्वारा लगभग 3 माह व्यतीत होने के उपरांत भी प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया है।

संचालनालय पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/939–पी दिनांक 14.09.2018, एवं पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/630–वाय, दिनांक 05.07.2019 में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि गलत/त्रुटि पूर्ण जानकारी भिजवाने पर आपके एवं संबंधित लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए आप स्वय जिम्मेदार होगे।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ओर प्रस्तुत करें, यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा ।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरंतर.....2

//2//

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1245-B भोपाल, दिनांक 14/1//2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. उप संचालक, शिकायत, विज्ञप्त, गोपनीय, स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग उज्जैन, म.प्र. ।
6. प्रभारी, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।

संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1242-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रति,

श्री महेश त्रिवेदी,
सहायक ग्रेड–2, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें,
उज्जैन संभाग उज्जैन, मध्यप्रदेश।

विषयः– **श्री महेश त्रिवेदी, सहायक ग्रेड–2, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र।**

–0–

यह कि आप श्री महेश त्रिवेदी, सहायक ग्रेड–2 के पद पर कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन में पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2019/420–एक्य, दिनांक 14.06.2019 के माध्यम से श्री सुजीत कुमार एस पुत्र स्व.श्रीमती सुभद्रा नायर, स्टॉफ नर्स, जिला भोपाल का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मूलतः कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि श्री सुजीत कुमार एस को आपके अधीनस्थ जिले में अनारक्षित में रिक्त संगणक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही 07 दिवस में की जाकर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह कि संचालनायल पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1129–बी, दिनांक 09.10.2019 एवं पत्र कमांक 1194–बी, दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से संचालनालय द्वारा आपके कार्यालय में पूर्व में नियुक्ति हेतु प्रेषित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में आपके द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों की प्रति चाही गई। संचालनालय द्वारा संबंधित प्रकरण कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन में जून माह में प्रेषित किया गया था, आपके द्वारा लगभग 3 माह व्यतीत होने के उपरांत भी प्रकरणं का निराकरण नहीं किया गया है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ओर प्रस्तुत करें, यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा ।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1243-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. उप संचालक, शिकायत, विज्ञप्त, गोपनीय, स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।

संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1240-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रति,

डॉ. लक्ष्मी बघेल,
क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग
उज्जैन, मध्यप्रदेश।

विषयः– **डॉ. लक्ष्मी बघेल क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र।**

–0–

यह कि आप डॉ. लक्ष्मी बघेल क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि आपके कार्यालय से प्राप्त आरक्षण रोस्टर अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर संचालनालय के पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/420–एक्य, दिनांक 14.06.2019 के माध्यम से श्री सुजीत कुमार एस पुत्र स्व.श्रीमती सुभद्रा नायर, स्टॉफ नर्स, जिला भोपाल का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मूलतः आपकी ओर प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि श्री सुजीत कुमार एस को आपके अधीनस्थ जिले में अनारक्षित में रिक्त संगणक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही 07 दिवस में की जाकर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह कि संचालनायल पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1129–बी, दिनांक 09.10.2019 एवं पत्र क्रमांक 1194–बी, दिनांक 26.10.2019 के माध्यम से संचालनालय द्वारा आपके कार्यालय में पूर्व में नियुक्ति हेतु प्रेषित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में आपके द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों की प्रति चाही गई। संचालनालय द्वारा संबंधित प्रकरण आपकी ओर जून माह में प्रेषित किया गया था, आपके द्वारा लगभग 3 माह व्यतीत होने के उपरांत भी प्रकरणं का निराकरण नहीं किया गया है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ओर प्रस्तुत करें, यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा ।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1241-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. उप संचालक, शिकायत, विज्ञप्त, गोपनीय, स्थानीय कार्यालय।
5. प्रभारी, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।
6. आदेश नस्ति ।

संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1238-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रति,

श्री प्रशांत जैन,
सहायक ग्रेड–2, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग,
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषयः– **श्री प्रशांत जैन सहायक ग्रेड–2 कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र।**

–0–

यह कि आप श्री प्रशांत जैन सहायक ग्रेड–2 के पद पर कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1045–ए, दिनांक 23.09.2019 के माध्यम से श्री साकेत मुखर्जी पुत्र स्व.डॉ.उदय मुखर्जी चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय अनूपपुर का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मूलतः कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल की ओर आपकी ओर प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि श्री साकेत मुखर्जी को आपके अधीन अनारक्षित में रिक्त मृत्य के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही करते हुये संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह कि क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के के पत्र क्रमांक/संभाग/स्था./अवि./19/9410, भोपाल दिनांक 05.11.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित की नियुक्ति के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर को दिनांक 24.10.2019 को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु पत्र लिखा गया है, सत्यापन प्राप्त होते ही अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही कर दी जावेगी।

संचालनालय पत्र दिनांक 23.09.2019 में आपको स्पष्ट निर्देश दिये गये थे की संबंधित के मूल दस्तावेजो का परीक्षण करने के उपरांत नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावे। इस हेतु आपके द्वारा स्वयं श्री साकेत मुखर्जी के मूल दस्तावेजो का परीक्षण किया जाना चाहिये था। आपके द्वारा अनावश्यक संबंधित प्रकरण में विलम्ब किया गया है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ओर प्रस्तुत करें, यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा ।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1239-B भोपाल, दिनांक 14/11/2019

प्रतिलिपिः-- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. उप संचालक – शिकायत, विज्ञप्त, गोपनीय, स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।

संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1236-B भोपाल, दिनांक 14 /11/2019

प्रति,

डॉ.अमृत लाल मरावी,
क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषयः– **डॉ.अमृत लाल मरावी, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र।**

–0–

यह कि आप डॉ.अमृत लाल मरावी क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि आपके कार्यालय से प्राप्त आरक्षण रोस्टर अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर संचालनालय के पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1045–ए, दिनांक 23.09.2019 के माध्यम से श्री साकेत मुखर्जी पुत्र स्व.डॉ.उदय मुखर्जी चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय अनूपपुर का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण मूलतः आपकी ओर प्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि श्री साकेत मुखर्जी को आपके अधीन अनारक्षित में रिक्त मृत्य के पद पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही करते हुये संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह कि आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/संभाग/स्था./अवि./19/9410, भोपाल दिनांक 05.11.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित की नियुक्ति के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर को दिनांक 24.10.2019 को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु पत्र लिखा गया है, सत्यापन प्राप्त होते ही अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही कर दी जावेगी।

संचालनालय पत्र दिनांक 23.09.2019 में आपको स्पष्ट निर्देश दिये गये थे की संबंधित के मूल दस्तावेजो का परीक्षण करने के उपरांत नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावे। इस हेतु आपको स्वयं श्री साकेत मुखर्जी के मूल दस्तावेजो का परीक्षण किया जाना चाहिये था। आपके द्वारा अनावश्यक संबंधित प्रकरण में विलम्ब किया गया है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर अद्योहस्ताक्षरकर्ता की ओर प्रस्तुत करें, यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा ।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2019/1237-B भोपाल, दिनांक 14 /11/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक (प्रशासन), स्थानीय कार्यालय।
4. उप संचालक – शिकायत, विज्ञप्त, गोपनीय, स्थानीय कार्यालय।
5. प्रभारी, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।

संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पंजीकृत ए.डी. डाक से

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.559/ भोपाल दिनांक /10/2019,

प्रति,

डॉ0 (श्रीमती) अंशु मिश्रा,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय–भिण्ड,म.प्र.।

द्वारा :– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय भिण्ड म.प्र.।

विषयः– डॉ0 (श्रीमती) अंशु मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय भिण्ड मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम,16 के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

––00––

यह कि आप डॉ0 (श्रीमती) अंशु मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी के पद पर जिला चिकित्सालय भिण्ड में पदस्थ हैं। यह कि आपके द्वारा दिनांक 01.06.2018 से बालचर्या अवकाश स्वीकृति करने हेतु कार्यालय सिविल सर्जन, भिण्ड को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कार्यालय सिविल सर्जन, भिण्ड के पत्र क्रमांक 1755–57 दिनांक 09.06.2019 द्वारा क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं ग्वालियर की ओर आपका आवेदन स्वीकृति हेतु भेजा गया था जिसकी स्वीकृति अपेक्षित थी। यह कि आपके द्वारा दिये गये आवेदन की स्वीकृति प्राप्त न होने पर भी आप उक्त दिनांक से कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गई इस संबंध में सिविल सर्जन, भिण्ड द्वारा दिनांक 05.08.2019 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करते हुऐ आपको अपनी ड्यटी पर तत्काल उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु आपके द्वारा न उपस्थिति दी गयी ओर न ही उक्त, कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया।

आपका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 7 के प्रावधान, "कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा" का उल्लंघन एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरणं नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम–एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही की भागी बन गई हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ती के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिवाद उत्तर सिविल सर्जन, भिण्ड के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावें? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में निर्णय किया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क.क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.559/252/- भोपाल,दिनांक 22/10/2019,

प्रतिलिपिः-- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल स्थानीय कार्यलय।
3. संचालक, रास्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) जेल रोड़ भोपाल म.प्र.की ओर सूचनार्थ म.प्र.।
4. कलेक्टर,जिला–भिण्ड म.प्र.।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड म.प्र.। कारण बताओं सूचना पत्र को इनके स्थाई पते पर भेजें, कारण बताओं सूचना पत्र की तामीली करवाया जाना भी सुनिशिचत करें एवं इनकी पदस्थापना स्थल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पंचनामा तैयार करें। कृपया अभिस्वीकृति/पंचनामे का पालन प्रतिवेदन 10 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. सिविल सर्जन सह अधीक्षक, जिला चिकित्सालय भिण्ड म.प्र.।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ती।

22/10

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पंजीकृत ए.डी. डाक से

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.558/ भोपाल दिनांक /10/2019,

प्रति,

डॉ0 (श्रीमती) ज्योति प्रभा सेंगर,
चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय–भिण्ड,म.प्र.।

द्वारा :– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय भिण्ड म.प्र.।

विषयः– डॉ0 (श्रीमती) ज्योतिप्रभा सेंगर,चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय भिण्ड मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम,16 के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

––00––

यह कि आप डॉ0 (श्रीमती) ज्योति प्रभा सेंगर, चिकित्सा अधिकारी के पद पर जिला चिकित्सालय भिण्ड में पदस्थ हैं। आपकें द्वारा दिनांक 07.06.2018 से बालचर्या अवकाश स्वीकृति हेतु कार्यालय सिविल सर्जन, भिण्ड को आवेदन प्रस्तुत किया गया था परन्तु आवेदन अपूर्ण होने के कारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया था। इसके उपरान्त कार्यालय सिविल सर्जन, भिण्ड द्वारा दिनांक 26.10.18 को पत्र कमांक 4655 द्वारा आपको पुनः पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जो कि आपके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया एवं कार्यालय से उक्त दिनांक से निरंतर अनुपस्थित रहीं। इस संबंध में सिविल सर्जन, भिण्ड द्वारा दिनांक 05.05.2019 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करते हुऐ आपको अपनी ड्यटी पर तत्काल उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु आपके द्वारा कर्तव्य पर उपस्थिति नहीं दी गयी और न ही उक्त, कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया।

आपका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 7 के प्रावधान; "कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा" का उल्लंघन एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम–एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही की भागी बन गई हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ती के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिवाद उत्तर सिविल सर्जन, भिण्ड के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावें? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में निर्णय किया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क.क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.558/250/- भोपाल,दिनांक 22/10/2019,

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल स्थानीय कार्यलय।
3. संचालक, रास्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) जेल रोड़ भोपाल म.प्र.की ओर सूचनार्थ म.प्र.।
4. कलेक्टर,जिला–भिण्ड म.प्र.।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड म.प्र.। कारण बताओं सूचना पत्र को इनके स्थाई पते पर भेजें, कारण बताओं सूचना पत्र की तामीली करवाया जाना भी सुनिशिचत करें एवं इनकी पदस्थापना स्थल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पंचनामा तैयार करें। कृपया अभिस्वीकृति/पंचनामे का पालन प्रतिवेदन 10 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. सिविल सर्जन सह अधीक्षक, जिला चिकित्सालय भिण्ड म.प्र.।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ती।

22/10

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.1/उमरिया/वि.प्र.क.2989/2019/2979 भोपाल, दिनांक 22/10/2019

प्रति,

डॉ.राजेश श्रीवास्तव,
प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला उमरिया,मध्यप्रदेश।

द्वारा :– क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा, मध्यप्रदेश।

विषयः– डॉ.राजेश श्रीवास्तव,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया,मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम, 16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00–00

यह कि आप डॉ.राजेश श्रीवास्तव, जिला उमरिया में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ है।

जिला उमरिया में आपके मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थी दौरान जुलाई 2019 विधान सभा बजट सत्र में माननीय विधायक महोदय श्री केदारनाथ शुक्ल द्वारा प्रश्न कमांक.2998 **(प्रतिलिपि संलग्न)** फर्जी नियुक्तियों की शिकायत पर कार्यवाही के संबंध में पूँछा गया।

विधायक महोदय द्वारा पूँछे गये प्रश्न के बिन्दु कमांक. (क) के संदर्भ में संचालनालय द्वारा पत्र कमांक.2032 दिनांक 8.7.2019 **(प्रतिलिपि संलग्न)** कलेक्टर, उमरिया को प्रेषित कर, पृष्ठांकन प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया (स्वयं आपको) को संबोधित थी जिसमें संचालनालय स्तर से आपको स्पष्ट निर्देश जारी किये गये थे कि आप कलेक्टर, उमरिया से व्यक्तिगत संपर्क शीघ्र करते हुये प्रश्न के बिन्दु कमांक.(क) में तत्कालीन कलेक्टर,उमरिया ने उनके आदेश दिनांक 04.01.2017 द्वारा गठित जांच समिति ,जिसमें कलेक्टर, उमरिया द्वारा क्या निर्णय लिया गया संबंधी कार्यवाही की जानकारी शीघ्र प्राप्त कर संचालनालय को प्रेषित करें।

कलेक्टर, उमरिया ने संचालनालय स्तर से. जारी पत्र दिनांक 8.7.2019 के माध्यम से चाही गई जानकारी उनके पत्र कमांक.244/शिका./कले./2019/दिनांक 10.07.2019 **(प्रतिलिपि संलग्न)** के माध्यम से आपको प्राप्त होने के बावजूद भी आपने पत्र कमांक.3457/दिनांक 12.07.2019 **(प्रतिलिपि संलग्न)** के माध्यम से प्रश्न के बिन्दु कमांक. (क) के उत्तर में उक्त जानकारी को आपने छुपाते हुये भ्रामक जानकारी यह दी गई कि इस कार्यालय के अधीन वर्ष 2005 एवं 2007 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित नियुक्तियॉ कलेक्टर, उमरिया की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के अनुमोदन/अनुशंसा उपरान्त रिक्त पदों की पूर्ति नियमानुसार की गई है। फर्जी नियुक्तियॉ नहीं हुई है। फर्जी नियुक्ति के संबंध में शिकायत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया को प्राप्त नहीं हुई है। नियुक्तियॉ नियमानुसार की गई है जिसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है,**जबकि कलेक्टर, उमरिया ने पत्र कमांक.244/दिनांक 10.07.2019 द्वारा** संचालनालय को इस आशय की जानकारी प्रेषित की गई कि कार्यालयीन आदेश दिनांक 04.01.2017 द्वारा जांच समिति का गठन किया गया था। जांच समिति के सदस्यों का स्थानांतरण अन्यत्र होने के कारण कलेक्टर, उमरिया द्वारा पुनः जांच दल आदेश कमांक.240/दिनांक 9.7.2019 द्वारा गठित किया गया है विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

निरन्तर.....2

कलेक्टर, उमरिया से विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक.2998 के बिन्दु कमांक. (क) के संदर्भ में जब आपको जानकारी समय सीमा में प्राप्त हो गई थी तो आपने प्रश्न के बिन्दु कमांक. (क) में स्वविवेक से जानकारी तैयार कर संचालनालय को प्रेषित करना उचित क्यों नहीं समझा ? आपका उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति धोर लापरवाही/उदासीनता को परिलक्षित करता है।

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक.2998 में प्रश्न के बिन्दु कमांक. (क) के अतिरिक्त प्रश्न के बिन्दु कमांक.(ग) में भी आपने भ्रामक उत्तर इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्रीमती संध्या चतुर्वेदी का स्थानांतर संचालनालय के आदेश कमांक.2/अवि./सेल.टी.पी./शिका./2017/536–बी, दिनांक 10.07.2019 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करकेली उमरिया से जिला शहड़ोल के अधीन किया गया **जबकि** श्रीमती चतुर्वेदी का स्थानांतर संचालनालय के आदेश कमांक.536–बी/दिनांक 10.07.2017 द्वारा जिला उमरिया से जिला शहड़ोल किया गया था।

यह कि आपसे प्रश्न के समस्त बिन्दुओं पर समय–समय पर दूरभाष पर संपर्क कर प्रश्न के बिन्दुवार एवं पठनीय जानकारी भेजने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा प्रश्न के अनुरूप चाही गई जानकारी , समयावधि में संचालनालय को प्रेषित नहीं की गई जिससे विधान सभा में प्रश्न का उत्तर समय–सीमा में प्रेषित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप विधान सभा में विभाग की छवि धूमिल हुई है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 के उप नियम, एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लधुशास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

<u>संचालक,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित।</u>

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....3

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.1/उमरिया/वि.प्र.क.2989/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित्।
2. कलेक्टर,जिला उमरिया की ओर उनके आदेश कमांक.240/शिका./कले./2019/दिनांक 9.7.2019 एवं पत्र कमांक.244/शिका./कले./2019/दिनांक 10.07.2019 एवं पत्र कमांक. 244/शिका./कले./2019/दिनांक 10.07.2019 के संदर्भ में प्रेषित।
3. निज सहायक, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
4. उप संचालक, अविज्ञप्त शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर जुलाई 2019 में आपको आबंटित तारांकित प्रश्न कमांक.2998 के संदर्भ में शाखा को उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित टीप दिनांक 18.09.2019 के संदर्भ में प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक,विधान सभा शाखा,स्थानीय कार्यालय की ओर जुलाई 2019 में अविज्ञप्त शाखा को आबंटित तारांकित प्रश्न कमांक.2998 के संदर्भ में प्रेषित।
6. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित डॉ.राजेश श्रीवास्तव, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीध्र उपलब्ध कराते हुये उनसे प्रतिवाद उत्तर भी समयावधि में प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर संचालनालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला उमरिया,मध्यप्रदेश।
9. संभागीय कोष एवं लेखा रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला उमरिया ,मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साईट पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रतिलिपि संलग्न

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 15/07/2019

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 23/07/2019 विभाग का नाम : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

विषय : फर्जी नियुक्तियों की शिकायत पर कार्यवाही

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 2998) श्रीकेदारनाथ शुक्ल

क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या उमरिया में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (CMHO एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल)) द्वारा वर्ष 2005 से 2015 तक की गई नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों की फर्जी नियुक्तियों की शिकायतें समय-समय पर शासन को विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हुई ... यदि हां, तो शासन द्वारा उन फर्जी नियुक्तियों के लिए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांकित विभाग द्वारा फर्जी (कूटरचित) ट्रेजरी ई पेमेंट No. S-4400 42505 से S-4400 42509 दिनांक 17.05.2013, No. S-4400 45795 से S-4400 45797 तक दिनांक 03.07.2013 No. S-4400 69044 एवं No. S-440069045 दिनांक 03.06.2014 तथा No. 440068249 से S-440068259 तक दिनांक 23.05.2014 के कैशबुक बिल रजि. एवं व्हाउचर्स का संधारण नियमानुसार किया गया है ? यदि हां तो उक्त पृष्ठों की छायाप्रति उपलब्ध करावें । (ग) क्या जिला उमरिया के कर्मचारी Emp. Code No. 440004501 एवं Emp. Code No. 440004422 द्वारा प्रथम नियुक्ति से आज दिनांक तक नियमित रूप से किसी कार्यालय में सेवाएं दी गई है ? यदि हां तो कहां-कहां ?

उत्तर :

DD (NS)

21/7/15

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि संलग्न (90)

क्रमांक.4/शिका/सेल.1/उमरिया/2019/2032 भोपाल, दिनांक 8-7-19

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–उमरिया,
मध्यप्रदेश।

विषयः–श्री आर.डी.त्रिपाठी, लेखापाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बॉधवगढ़ की अध्यक्षता में गठित जांच दल का जांच प्रतिवेदन अविलंब अभिमत सहित उपलब्ध कराने बाबत् अनुरोध।

संदर्भ :–आपका आदेश क्रमांक.04/पी.ए./कले./उम./जांच/2017/उमरिया दिनांक 04.01.2017 एवं संचालनालय द्वारा आपकी ओर प्रेषित पत्र क्रमांक.1953/दिनांक 02.11.2018

00–00

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया में पदस्थ श्री आर.डी.त्रिपाठी, लेखापाल एवं श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सहायक वर्ग–2 के द्वारा कर्मचारियों के वेतन की राशि का गबन एवं फर्जी अवैध नियुक्तियों की जांच हेतु आपके द्वारा आदेश क्रमांक.04/पी.ए./कले./उम./जांच/2017/उमरिया/दिनांक 4.1.2017 द्वारा श्री ऋषि पवार,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बॉधवगढ़ की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था के संबंध में संचालनालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक.1953/दिनांक 2.11.2018 आपकी ओर प्रेषित कर अनुरोध किया गया था कि आपके द्वारा गठित जांच दल द्वारा की गई जांच के जांच प्रतिवेदन की प्रति एवं संबंधित अभिलेख तथा प्रकरण में आपके द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति चाही गई थी जो अप्राप्त है।

विषयान्तर्गत प्रकरण में विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक.2998 माननीय विधायक महोदय श्री केदारनाथ शुक्ल द्वारा पूँछा गया है जिसकी प्रति आपकी ओर पत्र के साथ संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त प्रश्न का उत्तर अविलंब तैयार कर विधान सभा शाखा को प्रेषित किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध कर लेख है कि विषयान्तर्गत प्रकरण में आपके आदेश दिनांक 4.1.2017 द्वारा श्री ऋषि पवार,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बॉधवगढ़ की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय जांच दल द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन पर आपके द्वारा लिये गये निर्णय संबंधी जानकारी से अविलंब संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि प्राप्त विधान सभा प्रश्न क्रमांक.2998 का उत्तर तैयार कर विधान सभा शाखा को समय–सीमा में प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नः– प्रश्न क्रमांक.2998 की प्रति।

8/7/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक.4/शिका/सेल.1/उमरिया/2019/2033 भोपाल, दिनांक 8-7-19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्राप्त तारांकित प्रश्न क्रमांक.2998 के संदर्भ में प्रेषित।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया, मध्यप्रदेश की ओर पत्र की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप कलेक्टर, उमरिया से व्यक्तिगत संपर्क शीध्र आज ही करते हुये विषयान्तर्गत शिकायती प्रकरण में कलेक्टर, उमरिया द्वारा श्री ऋषि पवार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बॉधवगढ़ की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पर कलेक्टर, उमरिया द्वारा लिये गये निर्णय संबंधी कार्यवाही की जानकारी, मय प्रमाण के प्राप्त कर संचालनालय को तारांकित प्रश्न क्रमांक.2998 के संदर्भ में अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रश्न का उत्तर समय–सीमा में प्रेषित किया जा सकें **अन्यथा विलंब हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

8/7/19
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(96)

कार्यालय कलेक्टर जिला उमरिया मध्यप्रदेश

कार्यालय दूरभाष क्रमांक 07653–222600 फैक्स 222100
E-mail - dmumaria@mp.nic.in

क्र0/244/शिका./कले./2019 उमरिया दिनांक 10/07/2019

प्रति,

उपसंचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल

विषय :– श्री आर0डी0 त्रिपाठी लेखापाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बांधवगढ की अध्यक्षता में गठित जांच दल का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/04/शिका./सेल–1/उमरिया/2019/ भोपाल दिनांक 08/07/2019

–00–

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । कार्यालयीन आदेश क्रमांक/04/पीए/कले./उम./जांच/2017 दिनांक 04.01.2017 के माध्यम से श्री आर0डी0 त्रिपाठी लेखापाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया के विरूद्ध कर्मचारियों के वेतन की राशि का गबन/फर्जी नियुक्तियों की शिकायत की जांच हेतु श्री ऋषि पवार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बांधवगढ़ की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया गया था। उक्त संबंध में श्री त्रिपाठी के विरूद्ध जांच दल द्वारा की गई जांच का जांच प्रतिवेदन संबंधित अभिलेख तथा प्रकरण में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने का लेख किया गया है।

उक्त संबंध में लेख है कि श्री गिथिलेश प्यासी (एडवोकेट) रामपति एवं महिला बाल विकास विभाग व सदस्य जिला पंचायत उमरिया द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया में पदस्थ प्रधान लेखापाल श्री आर0डी0 त्रिपाठी के विरूद्ध शासकीय कर्मचारी की वेतन की राशि में गबन किये जाने की शिकायत की गई थी। प्राप्त शिकायत की जांच हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/330/पीए./कले./उम./जांच/2016/उमरिया दिनांक 13/12/2016 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/04/पीए/कले./उम./जांच/2017 दिनांक 04.01.2017 द्वारा 04 सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच कराया गया। जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का परीक्षण अपर कलेक्टर जिला उमरिया से कराया गया। जिसमें अपर कलेक्टर द्वारा निष्कर्षतः जांच समिति द्वारा निर्धारित जांच बिन्दुओं पर जांच नहीं कि गई, इसलिये पुनः जांच प्रतिवेदन लिये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 359/पीए/कले./उम./जांच/2017 दिनांक 28.08.2017 द्वारा जांच दल को बिन्दुवार संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था, किन्तु जांच दल के अधिकारी श्री ऋषि पवार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बांधवगढ़ एवं श्रीमती राजनी सिंह सिंगराम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली का स्थानांतरण अन्यत्र होने के कारण जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस कारण पुनः जांच दल गठित कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

अतः उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

10/07

(स्वरोचिष सोमवंशी)
कलेक्टर
जिला उमरिया (म0प्र0)

(97)

कार्यालय कलेक्टर जिला उमरिया मध्यप्रदेश

कार्यालय दूरभाष क्रमांक 07653–222600, फैक्स क्रमांक 07653–222106
E-mail– dmumaria@mp.nic.in

क्रमांक/191/1 /शिका./कले./2019 उमरिया, दिनांक 07/06/2019

–:: आदेश ::–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 04/पीए/कले./उम./दिनांक 04.01.2017 द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया में पदस्थ प्रधान लेखापाल श्री आर.डी. त्रिपाठी द्वारा शासकीय कर्मचारियों के वेतन की राशि में गबन किये जाने की शिकायत जांच हेतु समिति गठित की गई थी जिसमें समिति द्वारा समस्त विन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है साथ ही समिति के अध्यक्ष श्री ऋषि पवार अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ एवं सदस्य श्रीमती साधना सिंगराम, डिप्टी कलेक्टर उमरिया का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के कारण उक्त शिकायत के समस्त विन्दुओं पर जांच हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया था :–

1– श्री नीलाम्बर मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग बांधवगढ़ अध्यक्ष
2– श्री संदीप जायसवाल, प्र. तहसीलदार, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया सदस्य
3– श्री राजाराम लडिया, कोषालय अधिकारी, जिला उमरिया सदस्य

उपरोक्तानुसार जांच समिति प्रकरण की बिन्दुवार जांच कर बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(स्वरोचिष सोमवंशी)
कलेक्टर
जिला उमरिया (म0प्र0)
उमरिया, दिनांक07/06/2019

पृ0क्रमांक/191/1 /शिका./कले./2019

प्रतिलिपि :–

1– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उमरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– श्री नीलाम्बर मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग बांधवगढ़, जिला उमरिया की ओर पालनार्थ।
3– श्री संदीप जायसवाल, प्र. तहसीलदार, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया की ओर पालनार्थ।
4– श्री राजाराम लडिया, कोषालय अधिकारी, जिला उमरिया की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला उमरिया (म0प्र0)

(98)

कार्यालय कलेक्टर जिला उमरिया मध्यप्रदेश

कार्यालय दूरभाष क्रमांक 07653-222600, फैक्स क्रमांक 07653-222106
E-mail - dmumaria@mp.nic.in

क्रमांक / 2,५० / शिक्षा. / कले. / 2019 उमरिया, दिनांक ०9 / 07 / 2019

-:: संशोधित आदेश ::-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 04 / पीए / कले. / उम. / दिनांक 04.01.2017 द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया में पदस्थ प्रधान लेखापाल श्री आर.डी. त्रिपाठी द्वारा शासकीय कर्मचारियों के वेतन की राशि में गबन किये जाने की शिकायत जांच हेतु समिति गठित की गई थी जिसमें समिति द्वारा समस्त बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है साथ ही समिति के अध्यक्ष श्री ऋषि पवार अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ एवं सदस्य श्रीमती राधना सिंगराम, डिप्टी कलेक्टर उमरिया का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के कारण उक्त शिकायत के समस्त बिन्दुओं पर जांच हेतु कार्यालयीन आदेश क्र0 191 / 1 / शिक्षा. / कले. / 2019 उमरिया दिनांक 07.06.2019 द्वारा नवीन समिति गठित की गई थी किन्तु इसके दो सदस्यों का स्थानांतरण अन्यत्र होने के कारण जांच समिति मे आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार जांच समिति का गठन किया जाता है :-

1- श्री नीलमणी अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर, जिला उमरिया — अध्यक्ष
2- श्री राजाराम लडिया, कोषालय अधिकारी, जिला उमरिया — सदस्य
3- श्री अभिषेक पाण्डेय, प्र. तहसीलदार, नजूल, जिला उमरिया — सदस्य

उपरोक्तानुसार जांच समिति प्रकरण की बिन्दुवार विस्तृत जांच कर बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(रवरोचिष शीगवंशी)
कलेक्टर
जिला उमरिया (म0प्र0)

पृ0क्रमांक / 85 / / शिक्षा. / कले. / 2019 उमरिया, दिनांक ०9 / 07 / 2019.

प्रतिलिपि :-

1- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उमरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2- श्री नीलमणी अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर, जिला उमरिया की ओर पालनार्थ।
3- श्री राजाराम लडिया, कोषालय अधिकारी, जिला उमरिया की ओर पालनार्थ।
4- श्री अभिषेक पाण्डेय, नायब तहसीलदार, जिला उमरिया की ओर पालनार्थ।
5- संबंधित ..... की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला उमरिया (म0प्र0)

(92)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया (म.प्र.)

क्र / वि स. / 2019 / 2145 उमरिया दिनांक 12-04-2019

प्रति,

उप संचालक (विधान सभा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल (म.प्र.)

विषयः— विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2998 की जानकारी प्रेषित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2998 की जानकारी चाही गई है जो निम्नानुसार प्रेषित है –

प्रश्न (क) क्या उमरिया में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (CMHO एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल) द्वारा वर्ष 2005 से 2015 तक की गई नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों की फर्जी नियुक्तियों की शिकायतें समय–समय पर शासन को विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ तो शासन द्वारा उन फर्जी नियुक्तियों के लिये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर इस कार्यालय के अधीन वर्ष 2005 एवं 2007 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित नियुक्तियां कलेक्टर उमरिया की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति के अनुमोदन / अनुशंसा उपरांत रिक्त पदों की पूर्ति नियमानुसार की गई है। फर्जी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। फर्जी नियुक्ति के संबंध में शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई हैं। नियुक्तियां नियमानुसार की गई हैं इसमें कोई अधिकारी / कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न (ख) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में प्रश्नांकित विभाग द्वारा फर्जी (कूटरचित) ट्रेजरी ई पेमेन्ट No. S440042505 से S-440042509 दिनांक 17.05.2013 , No. S440045795 से S-440045797 तक दिनांक 03.07.2013, No. S440069044 एवं S-440069045 तक दिनांक 03.06.2014, No. S440068249 से S-440068259 तक दिनांक 23.05.2014 के कैशबुक बिल रजिस्टर एवं व्हाउचर्स का संधारण नियमानुसार किया गया है ? यदि हाँ तो उक्त पृष्ठों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।

उत्तर ट्रेजरी पेमेन्ट No. S440042505 से S-440042509 दिनांक 17.05.2013 , No. S440045795 से S-440045797 तक दिनांक 03.07.2013, No. S440069044 एवं S-440069045 तक दिनांक 03.06.2014, No. S440068249 से S-440068259 तक दिनांक 23.05.2014 द्वारा कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किया गया है जिसमें कोई कूटरचना नहीं की गई है कर्मचारियों के वेतन उनकी उपस्थिति पत्रक अनुसार उनके बैंक खातों में ई- पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

प्रश्न (ग) क्या जिला उमरिया के कर्मचारी Emp Code no 440004501 एवं Emp Code no 440004422 द्वारा प्रथम नियुक्ति से आज दिनांक तक नियमित रूप से किसी कार्यालय में सेवाएं दी गई है ? यदि हाँ तो कहाँ–कहाँ ?

उत्तर हाँ Emp Code no 440004501 श्रीमती संध्या चतुर्वेदी रिकार्ड कीपर के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक 12.11.2007 को उपस्थित हुई। कार्यालयीन आदेश क्रमांक / स्था. / 07 / 3914–15 दिनांक 12.11.2007 द्वारा श्रीमती चतुर्वेदी की डियुटी जिला मुख्यालय में लगाई गई थी। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक / स्था अवि / डी.पी.सी. / 13 / 2950–61 दिनांक 25.04.2013 के द्वारा श्रीमती

चतुर्वेदी की पदोन्नति संगणक के पद पर की गई। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था./14/662 दिनांक 12.02.2014 द्वारा श्रीमती चतुर्वेदी की डियुटी परिवार कल्याण शाखा जिला मुख्यालय में लगाई गई थी। तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया द्वारा आदेश क्रमांक/स्था./16/5125–26 दिनांक 26.11.2019 द्वारा आदेशानुसार प्राथमिक स्वा. केन्द्र करकेली में उपस्थित हुई। वर्तमान में श्रीमती चतुर्वेदी का स्थानांतरण संचालनालय स्वा. सेवायें म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./शिका/2017/536–वी भोपाल दिनांक 10.07.2019 द्वारा प्राथ. स्वा. केन्द्र करकेली जिला उमरिया से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल के अधीन किया गया है जिसके परिपेक्ष्य में उन्हे कार्यमुक्त किया जा चुका है।

Emp Code no 440004422 श्रीमती कल्पना द्विवेदी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.04.2008 को हुई थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया द्वारा इनकी डियुटी जिला मुख्यालय में लगाई गई। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक/स्था अवि/डी.पी.सी./12/4614 दिनांक 11.10.2012 के द्वारा पदोन्नति लैब असिस्टेन्ट के पद पर जिला चिकित्सालय शहडोल किया गया जिला चिकित्सालय शहडोल में श्रीमती द्विवेदी दिनांक 30.10.2012 को अपने पदोन्नति पद पर उपस्थित हुई। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक2/अवि.सेल–टी.पी./2013/755 आई भोपाल दिनांक 07.09.2013 द्वारा इनका स्थानांतरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया किया गया जिला चिकित्सालय शहडोल से दिनांक 11.09.2013 को कार्यमुक्त होकर इस कार्यालय में दिनांक 12.09.2013 को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया के आदेश क्रमांक/स्था./15/5303 दिनांक 18.09.2013 को श्रीमती द्विवेदी की डियुटी जिला चिकित्सालय उमरिया में लगाई गई थी। आदेश दिनांक 12.02.2014 के परिपालन में श्रीमती द्विवेदी सामु. स्वा. केन्द्र पाली में उपस्थित हुई। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था./1429 दिनांक 14.03.2014 द्वारा जिला चिकित्सालय उमरिया में डियुटी लगाई गई थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया के आदेश क्रमांक/स्था./16/5127-28 दिनांक 26.11.2016 द्वारा श्रीमती द्विवेदी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली हेतु आदेशित किया गया है।

उपरोक्त कर्मचारियों के नियुक्ति दिनांक से नियंत्रक अधिकारी तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया के आदेशानुसार जहाँ भी डियुटी लगाई जाकर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया वहाँ निरंतर कार्य सम्पादित किया गया है।

सेलरी 2 4 टेम

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला उमरिया (म.प्र.)
उमरिया दिनांक

पृ0क्र./वि.स./2019/
प्रतिलिपि :– वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
2. उप संचालक (शिकायत) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
3. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला उमरिया (म.प्र.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4 / शिका. / सेल.2 / ग्वालियर / 2019 / 2978 भोपाल, दिनांक 22/10/2019

// आदेश //

कलेक्टर, जिला ग्वालियर ने ज्ञाप दिनांक 02.02.2016 संचालनालय को प्रेषित करते हुये यह अवगत करवाया कि सिविल अस्पताल, ग्वालियर में पदस्थ डॉक्टरों की अनियमित उपस्थिति एवं मरीजों को उपचार हेतु परेशान होने की खबरें दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित होने पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, ग्वालियर द्वारा सिविल अस्पताल, ग्वालियर का दिनांक.30.12.2015 को ओ.पी. डी. (सायंकाल 5.00 से 6.00 के मध्य) का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान सिविल अस्पताल ग्वालियर में शिशुरोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ डॉ.ए.के. सिंधल अपने पदीय कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं पाये जाने पर संचालनालय के पत्र क्रमांक. 1838 / दिनांक 04.08.2016 द्वारा उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी कर प्रतिवाद उत्तर चाहा गया।

डॉ.सिंधल द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर का अभिमत चाहा गया जो संचालनालय में अप्राप्त किंतु डॉ.ए.के.सिंधल द्वारा उन्हें जारी नोटिस के प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर का संचालनालय स्तर पर परीक्षण किये जाने पर डॉ.सिंधल पर किसी प्रकार की कोई वित्तीय या गंभीर अनियमितता के आरोप नहीं होने के परिणामस्वरूप डॉ.ए.के.सिंधल, शिशुरोग विशेषज्ञ, सिविल हास्पिटल, ग्वालियर के विरूद्ध संचालनालय के पत्र क्रमांक.1838 दिनांक 4.8.2016 द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस,एतद् आदेश द्वारा उन्हें भविष्य के लिये सचेत करते हुये समाप्त किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त,मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक

पृ.क्रमांक.4 / शिका. / सेल.7 / मंदसौर / 2019 /
प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश की ओर उनके पत्र क्रमांक. / क्यू. / एस.टी. / 15–ब / 83 / 2016 / दिनांक 02.02.2016 के संदर्भ में प्रेषित।
3. उप संचालक,विज्ञप्त / गोपनीय / लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
4. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला ग्वालियर,मध्यप्रदेश।
7. डॉ.ए.के.सिंधल, शिशुरोग विशेषज्ञ, सिविल हास्पिटल, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
8. संभागीय कोष एवं लेखा ग्वालियर संभाग,ग्वालियर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेब साईट पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–4/दमोह/एफ–13/2019/ 2930 भोपाल, दिनांक 15/10/19

प्रति,

श्री लखन लाल तिवारी,
मलेरिया निरीक्षक,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,पथरिया,
जिला–दमोह, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह।

विषय:–श्री लखन लाल तिवारी,मलेरिया निरीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथरिया, जिला–दमोह, मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम ,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप श्री लखन लाल तिवारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पथरिया में मलेरिया निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं।

आपकी पदस्थी के दौरान संयुक्त संचालक,व्ही.बी.डी.सी.पी. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 21.04.2018 को सायं 4.00 बजे मलेरिया राष्ट्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक कार्यालय जिला मलेरिया अधिकारी, दमोह एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हटा जिला–दमोह में आहूत की गई थी । इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला मलेरिया अधिकारी के माध्यम से संबंधित कर्मचारियों को बैठक में उपस्थित रहने की सूचना दी गई थी, किन्तु आप बैठक में अनुपस्थित रहे । खण्ड चिकित्सा अधिकारी पथरिया द्वारा भी आपकी उपस्थिति को लेकर शिकायत की गई थी । उक्त संबंध में संचालनालय के पत्र क्रं.8/मले/324 दिनांक 28/4/18 द्वारा आपको स्पष्टकरण पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर आपके द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह के माध्यम से दिनांक 7/5/19 को दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आपके उत्तर असहमति व्यक्त करते हुए संचालनालय को प्रेषित किया है ।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

15/10

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./सेल–4/दमोह/एफ–13/2019/2931 भोपाल दिनांक 15/10/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग, सागर, मध्य प्रदेश।
2 संयुक्त संचालक,व्ही.बी.डी.सी.पी., स्थानीय कार्यालय की टीप दिनांक 14/06/2018।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति श्री लखन लाल तिवारी, मलेरिया निरीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, पथरिया, जिला–दमोह, मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
4. जिला मलेरिया अधिकारी, दमोह।
5. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
6. आदेश नस्ती।

15/10

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

पंजीकृत ए.डी. डाक से

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.557/ **भोपाल दिनांक / /2019,**

प्रति,

डॉ0 बसंत सारस्वत,
चिकित्सा अधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुंदरसी
जिला–बुरहानपुर म.प्र.।

द्वारा :– क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर संभाग इन्दौर मध्यप्रदेश।

विषयः– डॉ0 बसंत सारस्वत, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुंदरसी जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम,16 के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

––00––

यह कि आप डॉ0 बसंत सारस्वत, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुंदरसी जिला बुरहानपुर दिनांक 15.10.16 से 15.09.18 तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे।

आपका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 7 के प्रावधान "कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा" का उल्लंघन एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम–एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आप; अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की भागी बन गए हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ती के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावें? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में निर्णय किया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क.क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.557/ 232 /– **भोपाल,दिनांक** 11 /10/2019,

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल स्थानीय कार्यलय।
3. कलेक्टर,जिला–बुरहानपुर म.प्र.।

4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.। कारण बताओं सूचना पत्र को इनके स्थाई पते पर भेजें, कारण बताओं सूचना पत्र की तामीली करवाया जाना भी सुनिशिचत करें एवं इनकी पदस्थापना स्थल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पंचनामा तैयार करें। कृपया अभिस्वीकृति /पंचनामे का पालन प्रतिवेदन 10 दिवस में आद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. कलेक्टर, जिला–बुरहानपुर म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बुरहानपुर, म.प्र.।
7. सिविल सर्जन सह अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बुरहानपुर म.प्र.।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ती।

8/9/10

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पंजीकृत ए.डी. डाक से

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.548/ भोपाल दिनांक / /2019,

प्रति,

डॉ0 एकांश राय,
चिकित्सा अधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्लीमनाबाद,
जिला–कटनी म.प्र.।

द्वारा :– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय कटनी म.प्र.।

विषयः– डॉ0 एकांश राय,चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्लीमनाबाद, जिला कटनी मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम,16 के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

––00––

यह कि आप डॉ0 एकांश राय, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्लीमनाबाद विकास खण्ड बहोरीबंद,जिला कटनी दिनांक 16.04.2018 से 22.01.2019 तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे।

आपका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 7 के प्रावधान "कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा" का उल्लंघन एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम–एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आप अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की भागी बन गए हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ती के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावें? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में निर्णय किया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क.क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.548/230/– भोपाल,दिनांक 11/10/2019,

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल स्थानीय कार्यलय।
3. कलेक्टर,जिला–कटनी म.प्र.।

4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.।
5. कलेक्टर, जिला–कटनी म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कटनी म.प्र.। कारण बताओं सूचना पत्र को इनके स्थाई पते पर भेजें, कारण बताओं सूचना पत्र की तामीली करवाया जानां भी सुनिशिचत करें एवं इनकी पदस्थापना स्थल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पंचनामा तैयार करें। कृपया अभिस्वीकृति /पंचनामे का पालन प्रतिवेदन 10 दिवस में आद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. सिविल सर्जन सह अधीक्षक, जिला चिकित्सालय कटनी म.प्र.।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ती।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/2914 भोपाल, दिनांक 9/10/19

प्रति,

डॉ. इन्द्रजीत सिंह सिकरवार,
उप संचालक (अस्पताल प्रशासन एवं औषधि प्रकोष्ठ शाखा),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।

द्वाराः–संयुक्त संचालक, कार्यालय स्थापना शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, म.प्र.।

विषयः–डॉ. इन्द्रजीत सिंह सिकरवार, उप संचालक (अस्पताल प्रशासन एवं औषधि प्रकोष्ठ शाखा), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश– के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

––0––

यह कि आप डॉ. इन्द्रजीत सिंह सिकरवार, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल में उप संचालक (अस्पताल प्रशासन एवं औषधि प्रकोष्ठ शाखा) के पद पर पदस्थ हैं।

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश भोपाल के आदेश के पालन में मेसर्स किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड को समय पर राशि का भुगतान नहीं होने से उनके द्वारा भुगतान हेतु दायर प्रकरण एम.पी./3101/2019 में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय की कुर्की की कार्यवाही करके दिनांक 17.05.2019 को प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये गये थे। तत्समय आप उप संचालक, औषधि प्रकोष्ठ शाखा में पदस्थ थे। आपके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष लिखित रूप में एक माह में राशि माननीय न्यायालय में जमा करवा दूंगा संबंधी आश्वासन दिया गया था। (छायाप्रति संलग्न)

यह कि आपके द्वारा दिनांक 17.05.2019 से दिनांक 24.09.2019 के मध्य कुल 04 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी मेसर्स किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड का लंबित भुगतान की कार्यवाही आपके द्वारा पूर्ण नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.09.2019 को कार्यालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश भोपाल के कर्मचारियों का दल संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के कक्ष एवं औषधि प्रकोष्ठ शाखा की संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही हेतु उपस्थित हुआ। कुर्की दल द्वारा संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के कक्ष एवं औषधि प्रकोष्ठ की समस्त सामग्री को कोरिडोर में इकट्ठा कर सूचीबद्ध किया गया। उक्त कार्यवाही करते समय कुर्की दल को भुगतान की कार्यवाही हेतु लिखित आश्वासन पुनः दिया गया तत्पश्चात कुर्कीदल द्वारा कुर्की की कार्यवाही को स्थगित किया गया। (छायाप्रति संलग्न)

आपको उक्त घटना की संपूर्ण जानकारी पूर्व से एवं समय समय पर होने के बावजूद भी आपके द्वारा मेसर्स किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड को माननीय न्यायालय निर्णय के परिपालन में तथा माननीय न्यायालय को लिखित आश्वासन देने के उपरांत भी प्रकरण में गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुये भुगतान की कार्यवाही को समय पर पूर्ण नही करवाया। न्यायालय द्वारा की गई कुर्की की कार्यवाही से विभाग की छवि धूमिल हुई। इस प्रकार आपने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन उचित ढंग से संपादित नहीं कर प्रकरण में लापरवाही की गई।

.....2

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर संयुक्त संचालक, कार्यालय स्थापना शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. कलेक्टर ,जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, अस्पताल प्रशासन शाखा, स्थानीय कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
5. संयुक्त संचालक, कार्या.स्था., स्थानीय कार्यालय की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. इन्द्रजीत सिकरवार, उपसंचालक (अस्पताल प्रशासन एवं औषधि प्रकोष्ठ शाखा), संचलनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश को तामिली कराते हुये तामिली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को समय सीमा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
7. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–2/धार/2019/2912 भोपाल दिनांक 9/10/2019

प्रति,

डॉ. सुदेश कुमार सरल,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला धार मध्यप्रदेश।

द्वारा– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर म.प्र.।

विषयः– डॉ. सुदेश कुमार सरल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने बावत्।

–––––000–––––

यह कि आप डॉ. सुदेश कुमार सरल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार के पद पर पदस्थ है।

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेचायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र दिनांक 23.05.2019 के माध्यम से आपका आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2019 संचालनालय को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा दिनांक 10.06.2019 से 20.05.2019 तक विदेश प्रवास की अनुमति चाही गई थी।

यह कि प्रदेश में तत्समय दस्तक अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा था जिसके कारण आपका विदेश प्रवास का आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2019 स्वीकृति नहीं किया गया, किन्तु आप अनुमति/स्वीकृति प्राप्त किये बिना विदेश प्रवास पर चले गये।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–7 एवं 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर उचित माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेंगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

निरन्तर..2

पृ. क्र./4/शिका./सेल–2/धार/2019/ भोपाल दिनांक/10/2019

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

2 संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये म.प्र.।

3 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल/स्थानीय कार्यालय।

4 कलेक्टर, जिला धार म.प्र.।

5 क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. सुदेश कुमार सरल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार को तामील कराते हुये तामीली रिपोर्ट सात दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।

6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार म.प्र.।

7 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक धार म.प्र.।

8 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।

9 आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–7/देवास/2019/2840 भोपाल दिनांक 3/10/2019

प्रति,

श्रीमती उमा वर्मा,
स्टाफ नर्स,
सी.एच.सी. साडा राधोगढ जिला गुना मध्यप्रदेश।

द्वारा– **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना म.प्र.।**

विषयः– **कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध– श्रीमती उमा वर्मा स्टॉफ नर्स सी.एच.सी. साडा राधोगढ जिला गुना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।**

------000------

यह कि आप श्रीमती उमा वर्मा सी.एच.सी. साडा राधोगढ **जिला – गुना स्टाफ नर्स** के पद पर पदस्थ है।

आपकी पदस्थी के दौरान प्रसूता माधुरी पत्नि नीरज सोनी को दिनांक 31 जनवरी 2018 को प्रसव पीडा होने पर रात्री 10.30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साडा राधोगढ में भर्ती किया गया। उस दिन आप नाइट ड्यूटी पर थी। इस प्रकरण में नवजात शिशु का स्टल वर्थ एवं प्रसूता की मातृ मृत्यु हुई जिसमें आपके द्वारा अपने कथन में वास्तिविक जानकारी न देते हुए शासन को भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई।

प्रसूता माधुरी की भर्ती के दौरान आपके द्वारा केस सीट में लीकिंग अवधि का उल्लेख नही किया गया। केस सीट के नोटस के अनुसार प्रातः 2.00 बजे तक सारे पार्टोग्राफ सामान्य थे तब आपके द्वारा हाई रिस्क की कैसे पहचान की गई ओर मॉ श्रीमती शांति सोनी से हाई रिस्क कंसेंट लिये जाने का उल्लेख किया गया। श्रीमती शांति सोनी द्वारा अपने कथन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उन्हें हाई रिस्क के बारे में नही बताया गया। आपके द्वारा प्रसूता माधुरी को रैफर करने की जानकारी देते हुए श्रीमती शांति सोनी से हस्ताक्षर कराये गये। हस्ताक्षर के नीचे समय भी श्रीमती शांति सोनी द्वारा अंकित नही किया गया। प्रसूता की मॉ स्वयं आंगनवाडी कार्यकर्ता है ओर उनका कथन है कि यदि उक्त जोखिम के संबंध में जानकारी दी होती तो वे तत्काल उच्च संस्था में ले जाते। जिला अस्पताल मात्र 31 कि.मी. की दूरी पर ही था। अतः आपके द्वारा हाई रिस्क की पहचान नही की गयी और प्रसूता के परिजनों को हाई रिस्क के बारे में समुचित जानकारी दी जानी थी जो कि प्रदान नही की गयी।

यह कि प्रातः 4.00 बजे तक प्रसूता के स्टेबल होने का उल्लेख केस शीट में किया गया है। इसके बाद एफ.एच.एस. कम होने लगा फीटल डिस्ट्रेस था और प्रातः 5:05 पर 3:25 किलोग्राम का स्टिल बर्थ होना यह बताता है कि प्रसव की प्रगति प्रोटोकॉल के अनुसार निगरानी नहीं रखी गयी। जब एफ.एच.एस. कम होने लगा तब आपने चिकित्सक को नही बुलाया। आपके इस लापवाही पूर्ण कृत्य से प्रसूता एवं शिशु के जीवन को खतरा हुआ और उनकी जान नही बचाई जा सकी।

आप स्किल लैब का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है और प्रोटोकॉल के अनुसार पी.पी.एच. का प्रबंधन करने में सक्षम थी। केसशीट में एपिजियोटमी प्लेसेन्टा निकलने के बाद माइल्ड पीपीएच होना लेख किया है। जबकि डॉ. अंकित पाण्डेय जैन के अनुसार ड्रिपिंग्स रक्त से गीले थे एवं बकेट में भी रक्त था गर्भाशय संकुचित नही था, केन्युला चिकित्सक ने लगाया अतः केसशीट में पी.पी.एच. का उचित प्रबंधन करने के स्थान पर आपके द्वारा मिथया जानकारी लेख की गयी जो कि मरीज के प्रति आपकी गैरजिम्मेदाराना एवं लापरवाहीपूर्ण कृत्य की ओर इंगित करता है।

आकस्मिक स्थिति में शासकीय वाहन से रैफर किया जाना चाहिए था जबकि परिजन ने प्राइवेट वाहन में जिला चिकित्सालय ले जाने का उल्लेख किया है। रैफर स्लिप अनुसार आपके द्वारा सटेवल स्थिति में प्रातः 6.10 बजे प्रसूता को वाहन में गुना ले जाने स्थानांतरित किया। जबकि अस्पताल से बाहर निकलते ही 10 मिनिट बाद प्रसूता की मृत्यु हो गयी। यदि स्टेवल स्थिति में रैफर किया है तो 10 मिनिट में ही उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। अतः स्पष्ट हैं कि आपके द्वारा रैफर स्लिप केस शीट में दी गयी जानकारी मिथ्या, भ्रामक एवं असत्य है। आपका यह कृत्य सेवा में कमी दर्शाता है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खंण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कर्तव्य में गम्भीर लापवाही की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना के माध्यम से प्रस्तुत करें क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 में वर्णित लघु शास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

01/10
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/शिका./सेल–7/देवास/2019/2841 भोपाल दिनांक 3/10/2019

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2 मिशन संचालक एन.एच.एम. अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.।
3 उप संचालक, विज्ञप्त/लीगल/गोपनीय स्थानीय कार्यालय।
4 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.।
5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना की ओर **श्रीमती उमा वर्मा स्टॉफ नर्स सी.एच.सी. साडा राधोगढ जिला गुना म.प्र. को** जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित को तामिली कराते हुए तामिली रिर्पोट एवं संबंधित से प्रतिवाद उत्तर प्राप्त कर अभिमत सहित संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावें।
6 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।
7 आदेश नस्ति ।

01/10
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–7/देवास/2019/2838 भोपाल दिनांक 3/10/2019

प्रति,

डॉ. सुदेश कुमार सरल,
तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला देवास वर्तमान में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धार मध्यप्रदेश।

द्वारा– क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.।

विषयः– कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध– डॉ. सुदेश कुमार सरल तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

–––––000–––––

यह कि आप **डॉ.सुदेश कुमार सरल जिला – देवास में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी** के पद पर में पदस्थ थे।

कलेक्टर देवास ने पत्र क्रमांक 2673 दिनांक 17.07.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए लिखा है कि आपकी पदस्थी के दौरान राष्ट्रीय दृष्टीहीनता अभियान के अंतर्गत नबम्बर 2018 में जिले के शासकीय स्कूलों में छात्रों का नेत्र परीक्षण किया गया था जिसमें 2574 छात्र, छात्राओं को विभिन्न दृष्टिदोष होने के कारण चश्मे बनवाकर वितरित किया जाना था। निविदा प्रक्रिया के तहत् मोनिका आप्टिकल इन्दौर को चश्मे बनाने की निविदा प्राप्त हुई थी जिसके द्वारा फरवरी 2019 में चश्मे तैयार कर जिला चिकित्सालय देवास में दे दिये गये थे। मोनिका आप्टिकल इन्दौर को कार्य पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 31.03.2019 को राशि रूपये 8,82,227/– कर भुगतान कर दिया गया। कुल प्राप्त 2574 चश्मों में से 1386 चश्मों का वितरण किया जा चुका है। 1188 चश्मों का वितरण किया जाना शेष है। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है–पृष्ठ 1 से 4।

इस प्रकार राष्ट्रीय दृष्टिहीनता अभियान के अंतर्गत बनवाये गये चश्मों के वितरण में विलम्ब हुआ। आपके द्वारा रूचि नहीं लिये जाने के कारण उक्त स्थिति निर्मित हुई जो कर्तव्य के प्रति लापरवाही है। आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खंण्ड (i)(ii)(iii) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये उज्जैन के माध्यम से प्रस्तुत करें क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 में वर्णित लघु शास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेंगा।

30/10

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/शिका./सेल–7/देवास/2019/ भोपाल दिनांक /09/2019

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

2 कलेक्टर, देवास।

3 उप संचालक, विज्ञप्त/लीगल/गोपनीय स्थानीय कार्यालय।

4 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर **डॉ सुदेश कुमार सरल तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास म.प्र. वर्तमान में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धार को** जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित को तामिली कराते हुए तामिली रिर्पोट एवं संबंधित से प्रतिवाद उत्तर प्राप्त कर अभिमत सहित संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावें।

5 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।

6 आदेश नस्ति ।

10/10

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

(1) (9)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग देवास म.प्र.

देवास,दिनांक 12.7.19

क्रमांक/ 5327 /रीडर–1/2019

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला देवास म.प्र.

विषय – राष्ट्रीय दृष्टिहीनता अभियान के अन्तर्गत बनवाये गये चश्मो का शासकीय विद्यालयों में वितरण ना होने के संबंध में प्रतिवेदन।

सन्दर्भ :– श्रीमान के द्वारा दिये गये मौखिक निर्देश बाबद् ।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता अभियान के अन्तर्गत बनवाये गये चश्मो को स्कुली बच्चो (हितग्राहियों) को वितरण ना किये जाने के संबंध में दिये निर्देशानुसार जांच की गई । जांच उपरांत निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये है :–

1– राष्ट्रीय दृष्टिहिनता अभियान के अन्तर्गत नवम्बर–2018 में जिले के शासकीय स्कुलो में छात्रो का नेत्र परीक्षण किया गया था । जिसमें 2574 छात्र , छात्राओं को विभिन्न दृष्टिदोष होने के कारण चश्मे बनवाकर वितरित किया जाना था ।

2– निविदा प्रकिया के तहत मोनिका आप्टीकल इन्दौर को चश्मे बनाने की निविदा प्राप्त हुई थी । जिसके द्वारा फरवरी–2019 में चश्मे तैयार कर जिला चिकित्सालय देवास में दे दिये गये थे ।

3– संबंधित मोनिका आप्टीकल इन्दौर कार्य पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 31/मार्च/2019 को राशि रूपये 8,82,227/– का भुगतान कर दिया गया है ।

4– कुल प्राप्त 2574 चश्मो में से 1386 चश्मो का वितरण किया जा चुका है 1188 चश्मो का वितरण किया जाना शेष है । शेष बचे 1188 चश्मे सभी 6 ब्लाक में वितरित किये जाना है।

5–इस प्रकार राष्ट्रीय दृष्टिहीनता अभियान के अन्तर्गत बनवाये गये चश्मो के वितरण में विलंब हुआ है इस विलंब का कारण स्टोर कीपर श्री दीनेश भावसार एवं कय शाखा प्रभारी श्री राजेश वंशकार की लापरवाही प्रथम दृष्टया परीलक्षित होती है ।

6– मामला तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.के.सरल के कार्यकाल का है प्रथम दृष्टया इस प्रकार की लापरवाही में उनका भी दायित्व होना प्रतित होता है।

7– प्राथमिक जिम्मेदार शासकीय कर्मचारीयों स्टोर कीपर श्री दीनेश भावसार , एवं कय शाखा प्रभारी श्री राजेश वंशकार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास के माध्यम से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है ।

8– डॉ. एस.के.सरल तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास से स्पष्टीकरण मांगा जाना प्रस्तावित है ।

9– वितरण से शेष 1188 चश्मो के तवरित वितरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी देवास से समन्वय कर 3 दिवस के अन्दर वितरण करने हेतु निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास को दिये है ।

उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिती का प्रतिवेदन श्रीमान की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

संलग्न :– स्थल पंचनामा, जप्ती पंचनामा, सुपुर्दगीनामा, आदि

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग देवास म.प्र.

(2)

(9)

स्थल पंचनामा

दिनांक
10.07.2019
समय 3:45 दोपहर

हम उपस्थित यह पंचनामा तस्दीक कर देते हैं कि आज दिनांक 10.07.2019 को दोपहर 3:05 बजे श्रीमान अनुविकाशीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी महोदय अनुभाग देवास के टेलिफोन निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय देवास स्थित स्टोर रूम की जांच की हेतु उपस्थित हुआ। जांच में पाया कि वर्ष 2018-19 के स्कूली छात्रों के नेत्र परीक्षण उपरांत आए नंबर के चश्मे कुल 1188 नग 8 सीलबंद बॉक्स में स्टोर रूम के पास स्थित क्रय शाखा में रखे पाए गए। जिला लेखा प्रबंधक (NHM) श्रीमती सिंता पटेल कुशवाह द्वारा बताया गया कि जिला चिकित्सालय लेखापाल की अनिल वर्मा (NHM) जो दिनांक मई 2019 से बर्खास्त है द्वारा आज दिनांक मुझे उक्त सामग्री का कोई चार्ज सूची नहीं सौंपी गयी है। श्री राजीव तिवारी नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा बताया गया कि उक्त 2018-19 के स्कूली छात्रों के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की डिमांड इकलौते नवंबर 2018 में श्री अनिल वर्मा को सौंपी गयी थी। मौके पर उक्त सामग्री को जप्ती कर श्री दिनेश भावसार सहायक वर्ग-2 प्रकारी शाखा स्टोर रूम को सुपुर्दगी में दी गयी।

मौका पंचनामा तैयार किया सो सही।

Shiva Patel Kulesh
B/304/ Trupgrama
Indore KCMP
(9754195714)

10/7/19

M.T. Devkar
10/7/19

(3) (10)

जप्तीनामा व सुपुर्दगी नामा

दिनांक 10.07.2019

जप्ती करने वाले का नाम :— श्री प्रवीण पारीहार

पदनाम :— प्रभारी तहसीलदार तह. देवास

जप्ती की गयी वस्तु का विवरण :— स्कूली छात्रों के वेग परीक्षण उपरांत बनाए गए नंबर के चश्मे, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ब्लाक का नाम	संख्या
1.	बागली	374 नग
2.	सोनकच्छ	150 —"—
3.	टोंकखुर्द	258 —"—
4.	सतवास + कन्नौद	79 —"—
5.	खातेगांव	125 —"—
6.	देवास, बरोठा	86 + 116 = 202
	कुल योग	1188 नग

उक्त 1188 नग चश्मे 8 बक्सों में स्टोर रूम शाखा के पास क्रय शाखा में रखे पाए गए। जिन्हें आज दिनांक को दोपहर 3:10 बजे सील बंद अवस्था में जप्ती की गयी। तथा निमेष भावसार, सहायक वर्ग-2 प्रभारी शाखा स्टोर रूम को सुपुर्दगी में दी गयी।

Received
10/7/19

सुपुर्दगी लेने वाले
10/7/19

जप्ती करने वाले
10/7/19

(4) 22/6/19 अंधत्व (11)

प्रति,

श्रीमान सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक महोदय,
जिला देवास एवं Q.M.P. QBCS QEWAS

विषय:— वर्ष 2018-19 के स्कूली छात्रों के नेत्र परीक्षण उपरान्त चश्मे के नम्बर की सूची विषयक

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान मु.चि. एवं स्व. अधिकारी एवं आपके मौखिक आदेशानुसार वर्ष - 2018-19 के स्कूली बच्चों के परीक्षण पश्चात दिये गये चश्मों के नम्बर की सूची श्रीमती ज्योति अहीरे को निम्नलिखित अनुसार आज दिनांक को सौंपी जा रही है।

संलग्न :—

1. समस्त ब्लॉक की सूची

क्र.	ब्लॉक का नाम	नेत्र चि. स. का नाम	चश्मों के नं. की संख्या
1.	बागली	श्री आर.के.डी. वर्मा	374
2.	सोनकच्छ	श्री एलेक्स जोसेफ	150
3.	टोंक खुर्द	श्री सैयद जाकिर अली	258
4.	सत्वास + कन्नौद	श्री राठवीर खान	79
5.	खातेगाँव	श्री आशीष कुमार	125
6	A देवास B बरोठा	श्रीमती आशा सुमन के Locker में बंद है। श्री दीपक श्रीवास	सूची वर्मा (अति.) 86/202 116 [illegible]
योग	6	7	

Jyoti A Lore
RBSK
[illegible]

श्री राजीव [illegible]
[illegible]

पंजीकृत ए.डी. डाक से

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.549/ **भोपाल दिनांक / /2019,**

प्रति,

डॉ0 ऋषभ प्रताप सिंह यादव,
चिकित्सा अधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामतोरिया
जिला छतरपुर म.प्र.।

द्वारा :– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय छतरपुर ।

विषयः– डॉ0 ऋषभ प्रताप सिंह यादव, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामतोरिया जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम,16 के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

---00---

यह कि आप डॉ0 ऋषभ प्रताप सिंह यादव, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय शिवपुरी, में पदस्थ्य थे। तब आप दिनांक 10.09.2018 से 27.02.2019 तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से रहे।

आपका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 7 के प्रावधान "कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा" का उल्लंघन एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम–एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आप अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की भागी बन गए हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ती के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, [illegible] संभाग, [illegible] के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के अंतर्गत दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभावसे रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में निर्णय किया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क.क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.549/208/– भोपाल,दिनांक 27/09/2019,

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1.प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2.उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल स्थानीय कार्यलय।

निरंतर--2

3.क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर म.प्र.।

4.कलेक्टर, जिला–छतरपुर म.प्र.।

5.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छतरपुर, म.प्र.। कारण बताओं सूचना पत्र तालीम करवा कर पावती 10 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।

6.सिविल सर्जन सह अधीक्षक, जिला चिकित्सालय छतरपुर म.प्र.।

7.प्रभारी एम.आई.एस सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करावें।

8.आदेश नस्ती।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/पन्ना/2019/2810. भोपाल दिनांक 28/9/19

प्रति,

डॉ. आर.एस. त्रिपाठी,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला –पन्ना म.प्र. ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं सागर संभाग सागर ।

विषयः–डॉ. आर.एस. त्रिपाठी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला पन्ना को सिविल सेवा (वर्गीकरणा, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अर्न्तगत कारण बताओ सूचना पत्र ।

यह कि आप डॉ. आर.एस. त्रिपाठी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला पन्ना में पदस्थ हैं।

यह कि मिशन संचालक एन.एच.एम. भोपाल की टीप दिनांक 11.09.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जिला चिकित्सालय पन्ना में श्री विनोद साहू की पत्नि श्रीमति बबली साहू को दिनांक 16.02.2019 को प्रसूति हुई, जिन्हें जननी सुरक्षा योजना का लाभ न दिये जाने के कारण श्री साहू द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत कमांक 8398559 दिनांक 08.05.2019 दर्ज की गई । आपके द्वारा उक्त शिकायत के निराकरण में त्वारित कार्यवाही न करते हुए हितग्राही को जननी एक्सप्रेस योजना की राशि का भुगतान नहीं किया गया ।

यह कि श्रीमति बबली साहू के पति श्री विनोद साहू द्वारा की गई शिकायत का चयन दिनांक 06.09.19 को जन अधिकार कार्यक्रम में होने के पश्चात जननी एक्सप्रेस योजना एवं श्री साहू पंजीकृत श्रमिक होने से प्रसूति सहायता की राशि का भुगतान दिनांक 07.09.19 को आपके द्वारा किया गया।

यह कि आपके द्वारा हितग्राही को नियमानुसार जननी सुरक्षा योजना एवं हितग्राही पंजीकृत श्रमिक होने से प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं दिये जाने एवं उक्त योजनाओं का कियान्वयन सही प्रकार से नहीं करने से शिकायत की स्थिति निर्मित हुई । जन अधिकार कार्यक्रम में शिकायत का चयन होने के उपरांत हितग्राही को उक्त योजनाओं लाभ प्रदान किया गया । उक्त स्थिति से जन सामान्य में विभाग की छवि धूमिल हुई है ।

यह कि आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कर्तव्यहीनता की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

28/9/19
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

.....2

कमांक/4/शिका./सेल–1/पन्ना/2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल की ओर उनकी टीप दिनांक 11.09.19 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला पन्ना म.प्र.।
4. संयुक्त/उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल।
5. क्षैत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. आर.एस. त्रिपाठी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला पन्ना को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट चालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पन्ना म.प्र. ।
9. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें।
10. आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमाकः–4/शिका/सेल.3/SCN/सागर/2019/2717 भोपाल,दिनांक 24/9/19

प्रति,

डॉ.एस.आर.रोशन,
प्रभारी मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला छतरपुर (म.प्र.)।

द्वाराः–क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर म.प्र.।

विषयः–डॉ.एस.आर.रोशन, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सागर वर्तमान में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर के विरूद्ध म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 अंतर्गतकारण बताओ नोटिस।

यह कि आप एस.आर.रोशन, मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर दिनांक 15.2.2019 से दिनांक 27.7.2019 तक जिला सागर में पदस्थ रहे।

जननी सुरक्षा योजना एंव प्रसूति सहायता योजना संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु प्रभावी योजना है। जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ एंव नवजात शिशु मृत्यु में कमी लाना है। इन योजनाओं के संबंध में राज्य स्तर से समय–समय पर बैठक एंव दिशा निर्देश जारी कर मार्गदर्शन किया जाता रहा है।

जननी सुरक्षा योजना एंव प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत आपसे अपेक्षा की गई थी कि आप योग्य हितग्राही को तत्काल लाभ पहुचाकर न सिर्फ संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित कराते वरन् प्रसव पश्चात् प्रसूता के बेहतर पोषण आहार लेने की संभावनाओं को भी बढ़ाते।

यह कि आपके द्वारा जननी सुरक्षा योजना एंव प्रसूति सहायता योजना के सही कियान्वयन के प्रति आपकी उदासीनता परिलक्षित हुई, जिसके कारण जननी सुरक्षा योजना के 1486 एंव प्रसूति सहायता योजना के 723 प्रकरण लंबित है। जुलाई 2019 के प्रथम सप्ताह में वर्ष 2019–20 में आपके जिले में 11 में से 07 ब्लॉक में इन योजनाओं का भुगतान 5 जुलाई 2019 से प्रांरभ नहीं किया गया। इससे न सिर्फ विभाग की छवि धूमिल हुई साथ ही इन योजनाओं का मूल उद्देश्य (मातृ एंव नवजात शिशु मृत्यु में कमी लाना) भी पूरा नहीं हुआ है। आपके सकिय प्रयास न होने के कारण जिले में भुगतान की प्रकिया बाधित हुई है। राज्य स्तरीय दिशा–निर्देशों के प्रति उदासीनता दिखाने से प्रथम दृष्टया आपके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की जाना प्रतीत होता है।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कर्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

निरंतर.....2

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रणतथा अपील) नियम,1966 के नियम,10 अंतर्गत लघुशस्ति अधिरोपित की जावे ?

यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश.

पृ.कमाकः–4/शिका/सेल.3/SCN/सागर/2019/ भोपाल,दिनांक
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.स्थानीय कार्यालय।
3. निज सहायक, मिशन डायरेक्टर, एन.एच.एम, अरेरा हिल्स भोपाल।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर की ओर कारण बताओ सूचना पत्र की प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ.रोशन को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली कराकर पावती उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल सेल स्थानीय कार्यालय।
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण बताओ पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।

ह/-
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/रायसेन/एससीएन/2019/2715 भोपाल, दिनांक 24/9/19

प्रति,

डॉ.पी.एस. ठाकुर
जिला क्षय अधिकारी,
जिला–रायसेन, मध्यप्रदेश।

द्वाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायसेन।

विषयः–डॉ.पी.एस.ठाकुर, जिला क्षय अधिकारी, जिला–रायसेन, मध्यप्रदेश– के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

––0––

यह कि आप डॉ.पी.एस.ठाकुर, जिला रायसेन में जिला क्षय अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि जिला रायसेन में आपके द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के संबंध में मुख्य चिकित्सा एंवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायसेन के पत्र कमांक/स्थापना/2019/3590 दिनांक 17.06.2019 द्वारा राज्य क्षय अधिकारी को लिखा गया। (छायाप्रति संलग्न)

तत्संबंध में मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश के निर्देशों के पालन में राज्य कार्यक्रम अधिकारी (क्षय) द्वारा दिनांक 21.06.2019 को रायसेन जिले का भ्रमण किया गया। भ्रमण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायसेन के पत्र में उल्लेखित बिंदु/शिकायत सही पाई गई। भ्रमण में की गई जांच की 19 बिंदुओ की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। (छायाप्रति संलग्न)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के उक्त पत्र में उल्लेखित बिंदुओं तथा राज्य कार्यक्रम अधिकारी (क्षय) द्वारा भ्रमण कर प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आपके द्वारा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है एवं RNTCP कार्यक्रम में कोई प्रगति/सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है, आपके द्वारा प्रगति हेतु कोई प्रयास भी नहीं किये गये है।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

निरंतर.....2

क./4/शिका./सेल–5/रायसेन/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर ,जिला रायसेन, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायसेन की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ.पी.एस.ठाकुर, जिला क्षय अधिकारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश को तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट, साथ ही उनसे प्रतिवाद उत्तर प्राप्त कर, प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना स्पष्ट अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती ।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन म.प्र.

क्र./स्थापना//2019/ 3590 रायसेन दिनांक 17-6-19

प्रति,

राज्य क्षय अधिकारी,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.

विषयः-डॉ.पी.एस.ठाकुर,जिला क्षय अधिकारी रायसेन का प्रभार हटाने के संबंध में।

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डॉ.पी.एस.ठाकुर,पी.जी.एम.ओ.,जिला चिकित्सालय रायसेन को विगत 4 वर्षो से जिला क्षय अधिकारी,रायसेन का प्रभार दिया गया है,इनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती जा रही है,जिसकी जानकारी बिंदुवार निम्न है :-

1. इनके द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा हेतु प्रोटोकाल अनुसार भ्रमण नहीं किया जा रहा है, मेरे द्वारा ब्लाक उदयपुरा एवं ओ.गंज में समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में निर्देश देने के पश्चात् भी वे उपस्थित नहीं हुए।
2. दिनांक 27.5.2019 को आयोजित टी.बी. हितग्राहियों के भुगतान(डी.बी.टी.) की समीक्षा हेतु समस्त आर.एन.टी.सी.पी. स्टाफ की समीक्षा बैठक में भी निर्देश उपरांत अनुपस्थित रहे।
3. जिला क्षय केन्द्र रायसेन में कार्यालयीन समय में ये अनुपस्थित रहते हैं एवं दोपहर 1:00 के पश्चात् समस्त कार्यालयीन कार्य हेतु नोटशीट एवं पत्र हस्ताक्षर हेतु कर्मचारियों पर घर पर लाने हेतु दबाव बनाते हैं।
4. इनके द्वारा जिला चिकित्सालय में निर्धारित समय प्रातः9 से 4 बजे तक ओ.पी.डी. कार्य भी नहीं किया जाता है।
5. ओ.पी.डी. में न मिलने के कारण जिला क्षय केन्द्र में आये नये एवं उपचाररत टी.बी. मरीजों को देखने से मना कर दिया जाता हैं एवं उन्हें जिला चिकित्सालय में अन्य चिकित्सकों के पास रिफर कर दिया जाता है।
6. जिला चिकित्सालय में पदस्थ अन्य चिकित्सकों एवं खंड चिकित्सा अधिकारियों से इनका समन्वय न होने के कारण टी.बी. मरीजों के समय पर उपचार प्रारंभ करने में कठिनाई आ रही है।
7. इनके द्वारा एम.डी.आर. रोगियों को निर्धारित डी.आर.टी.बी. कक्ष में भर्ती न कर जनरल वार्ड में ही भर्ती करवा दिया जाता है, जिससे अन्य मरीजों में संक्रमण होने का खतरा रहता है।
8. Quinilone Resistant मरीजों की ऑटो ई.सी.जी. एवं अन्य आवश्यक जांचें नहीं करवाई जाती हैं, एवं उन्हें बिना परीक्षण करवाये ही हमिदिया अस्पताल, भोपाल रेफर कर दिया जाता है, जबकि नियमानुसार डी.आर. टी.बी. मरीजों को किसी औषिधि के दुष्प्रभाव उपरांत प्रारंभिक जांच कराकर नोडल डी.आर.टी.बी.सेंटर भोपाल में अग्रिम उपचार हेतु रिफर किया जाना होता है।
9. इनके द्वारा ब्लाक में आवश्यकता अनुसार टी.बी. की औषिधि एवं लैब सामग्री भी समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है जिस कारण निरंतर स्वास्थ्य संस्थाओं में स्टाक की कमी रहती है। इस कार्य हेतु इन्हें शासकीय वाहन(मार्शल जीप) भी उपलब्ध कराया गया है।

निरंतर .....

इनको समस्त जिले में कार्यक्रम संचालन में मुझे अपना सहयोग प्रदान करना एवं समय-समय पर कार्यक्रम की प्रगति से मुझे अवगत कराना है,किंतु इनके द्वारा न तो ब्लाक स्तर पर भ्रमण किया जा रहा है, न ही कार्यक्रम की समीक्षा की में उपस्थित रहते हैं। जिस कारण राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम की जिले में प्रगति प्रभावित हो रही है। इनके द्वारा अपने अधीनस्त कर्मचारियों के प्रति व्यवहार भी उचित नहीं है एवं उनको अनर्गल परेशान किया जाता है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रायसेन

पृ.क्र./स्थापना//2019/ 3590
रायसेन दिनांक 17-6-19

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त,स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल म.प्र.।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.,अरेरा हिल्स भोपाल।
4. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
5. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग,भोपाल।
6. कलेक्टर,जिला रायसेन।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रायसेन

Issues Identified during visit

Date 21.6.'19

1. DBT- Out of 4106 eligible beneficiaries, Bank details not available for 934 beneficiaries (22.74%). Out of 11768 eligible benefits, 4637 benefits have been paid (39.40%). Pendencies at STS level is 466, Pendencies at DTO level is 1802.
2. Notification Public- For 2Q'19 as of today 54.6%.
3. Notification Private- For 2Q'19 as of today 36.63%.
4. Outcome Public- For year 2018, outcome of 1617 patients out of eligible 1782 i.e. 90.74%
5. Outcome Private- For year 2018, outcome of 249 patients out of eligible 342 i.e. 72.80%
6. CBNAAT Utilisation- April - 185, May- 154 (Expected 250 per month)
7. Universal DST has happened for 58 patients out of 238 (24%) in the month of April & 37 out of 178 (21%) in the month of May, '19.
8. Pretreatment evaluation is not happening in the district.
9. Shorter regimen is not being initiated in the district.
10. POL has not been given to staff for last 7 months, staff getting demotivated.
11. DTO is making 1-2-day field visits.
12. MO-TCs practically are not visiting in the field except Silwani , Bareli & Udaipura.
13. Internet expenses for operating Tablet (Rs 150/- per month) has not been paid to RNTCP staff for last 6 months.
14. Right now file is moving from DTO to CMHO, from CMHO to DPM then again back to CMHO for work order and same process to be followed after for payments.
15. Salary of 2 STS, 2STLS, 1 DEO, 1 TB-HV is not credited since 2 months because of non mapping of heads by NHM
16. Maintenance of vehicles fund is available but not happening for last 2 years.
17. Salaries are being disbursed by month end almost during 20-25th of month instead of first week.
18. There is a vehicle available with DTO which should be used for transportation of Lab consumables and drugs from DTC to TB Unit as per RNTCP Guidelines. But in Raisen, DTO is not taking interest for this process so work is getting hampered at times and causing lot of problems to RNTCP staff.
19. DTO is reporting to DTC only for 2 hours, 11am to 1 pm.

Received.
21/6/19

21/6/19

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/होशंगाबाद/एससीएन/एफ–223/2019/2616 भोपाल, दिनांक 17/9/19

प्रति,

डॉ.नलिनी गौड,
जिला स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

द्वाराः–क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषयः–कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्ध– डॉ.नलिनी गौड, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–होशंगाबाद, मध्यप्रदेश––कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

00–00

यह कि आप डॉ.नलिनी गौड, जिला होशंगाबाद में जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

श्रीमती पूजा पत्नि श्री अमर सिंह सराठे, ग्राम पाटनी तह.बाबई की सिजेरियन डिलेवरी के साथ सी.टी.टी. जिला अस्पताल, होशंगाबाद में दिनांक 19.05.2018 को हुआ था। हितग्राही को नसबंदी की सहायता राशि रू 2200/– का भुगतान नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 22.01.2019 को सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज की गई, जिसका निवारण नहीं होने के कारण जन अधिकार कार्यक्रम में pre sol level पर शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 08.08.2019 को हितग्राही को उक्त राशि का भुगतान किया गया।

दिनांक 13.08.2019 को वल्लभ भवन भोपाल में आयोजित जन अधिकार कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिकायतकर्ता श्री अमरसिंह सराठे की शिकायत के निराकरण में हुये विलंब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये है। शिकायतकर्ता हितग्राही के पति श्री अमरसिंह सराठे द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन नं. 181 के माध्यम से दिनांक 22.01.2019 को शिकायत की गई कि उसे जननी सुरक्षा योजना की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज होने के बाद दिनांक 05.03.2019 को एल–1 स्तर अधिकारी, सिविल सर्जन, होशंगाबाद द्वारा दर्ज किया गया कि आवेदिका को राशि दिनांक 13.02.2019 को मिल चुकी है, शिकायत बंद की जावे। इस पर शिकायतकर्ता की असंतुष्टि के बाद दिनांक 14.03.2019 को एल–2 स्तर के अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा पुनः पोर्टल पर पर दर्ज किया गया कि राशि रू 2200/– दिनांक 13.02.2019 को हितग्राही के खाते में जमा कर दी गई है, जबकि हितग्राही को राशि का भुगतान नहीं हुआ था।

आपको परिवार नियोजन कार्यक्रम के नियमित पर्यवेक्षण का दायित्व होने के बावजूद आपके द्वारा प्रसूता श्रीमती पूजा सराठे को नसबंदी की राशि रू 2200/– का भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया। यदि आपके द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाता तो उक्त शिकायत की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा कार्यक्रम का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं किया जाता है, जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

निरंतर.....2

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

16/9
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–5/होशंगाबाद/एससीएन/एफ–223/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ.नलिनी गौड, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश को तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट एवं उनका प्रतिवाद उत्तर अपने स्पष्ट अभिमत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल संभाग, भोपाल मध्य प्रदेश।
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/होशंगाबाद/एससीएन/एफ–223/2019/2614 भोपाल, दिनांक 17/9/19

प्रति,

डॉ.सुधीर डेहरिया,
तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, होशंगाबाद,
वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–भोपाल, मध्यप्रदेश।

द्वाराः–क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल।

विषयः–**कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्ध– डॉ.सुधीर डेहरिया,** तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला–होशंगाबाद, मध्यप्रदेश––कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

00–00

यह कि आप डॉ.सुधीर डेहरिया, तत्समय जिला होशंगाबाद में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे।

श्रीमती पूजा पत्नि श्री अमर सिंह सराठे, ग्राम पाटनी तह.बाबई की सिजेरियन डिलेवरी के साथ सी.टी.टी. जिला अस्पताल, होशंगाबाद में दिनांक 19.05.2018 को हुआ था। हितग्राही को नसबंदी की सहायता राशि रू 2200/– का भुगतान नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 22.01.2019 को सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज की गई, जिसका निवारण नहीं होने के कारण जन अधिकार कार्यक्रम में pre sol level पर शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 08.08.2019 को हितग्राही को उक्त राशि का भुगतान किया गया।

दिनांक 13.08.2019 को वल्लभ भवन भोपाल में आयोजित जन अधिकार कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिकायतकर्ता श्री अमरसिंह सराठे की शिकायत के निराकरण में हुये विलंब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये है। शिकायतकर्ता हितग्राही के पति श्री अमरसिंह सराठे द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन नं. 181 के माध्यम से दिनांक 22.01.2019 को शिकायत की गई कि उसे जननी सुरक्षा योजना की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज होने के बाद दिनांक 05.03.2019 को एल–1 स्तर पर आपके द्वारा दर्ज किया गया कि आवेदिका को राशि दिनांक 13.02.2019 को मिल चुकी है, शिकायत बंद की जावे। इस पर शिकायतकर्ता की असंतुष्टि के बाद दिनांक 14.03.2019 को एल–2 स्तर के अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद द्वारा पुनः पोर्टल पर पर दर्ज किया गया कि राशि रू 2200/– दिनांक 13.02.2019 को हितग्राही के खाते में जमा कर दी गई है, जबकि हितग्राही को राशि का भुगतान नहीं हुआ था।

इस प्रकार आपके द्वारा बिना जानकारी प्राप्त किये कि हितग्राही को भुगतान हुआ है अथवा नहीं, सी.एम.हेल्पलाईन पोर्टल पर एल–1 स्तर पर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गई, जो आपकी अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

निरंतर.....2

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

16/9
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/होशंगाबाद/एससीएन/एफ–223/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ.सुधीर डेहरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल मध्यप्रदेश को तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट एवं उनका प्रतिवाद उत्तर अपने स्पष्ट अभिमत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा भोपाल संभाग, भोपाल मध्य प्रदेश।
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला होशंगाबाद/भोपाल मध्य प्रदेश।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/होशंगाबाद/एससीएन/एफ–223/2019/2612 भोपाल, दिनांक 17/9/19

प्रति,

डॉ.दिनेश कौशल,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

द्वाराः–क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल।

विषयः–कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्ध– डॉ.दिनेश कौशल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–होशंगाबाद, मध्यप्रदेश––कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

00–00

यह कि आप डॉ.दिनेश कौशल, जिला होशंगाबाद में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

श्रीमती पूजा पत्नि श्री अमर सिंह सराठे, ग्राम पाटनी तह.बाबई की सिजेरियन डिलेवरी के साथ सी.टी.टी. जिला अस्पताल, होशंगाबाद में दिनांक 19.05.2018 को हुआ था। हितग्राही को नसबंदी की सहायता राशि रू 2200/– का भुगतान नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 22.01.2019 को सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज की गई, जिसका निवारण नहीं होने के कारण जन अधिकार कार्यक्रम में pre sol level पर शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 08.08.2019 को हितग्राही को उक्त राशि का भुगतान किया गया।

दिनांक 13.08.2019 को वल्लभ भवन भोपाल में आयोजित जन अधिकार कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिकायतकर्ता श्री अमरसिंह सराठे की शिकायत के निराकरण में हुये विलंब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये है। शिकायतकर्ता हितग्राही के पति श्री अमरसिंह सराठे द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन नं. 181 के माध्यम से दिनांक 22.01.2019 को शिकायत की गई कि उसे जननी सुरक्षा योजना की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज होने के बाद दिनांक 05.03.2019 को एल–1 स्तर अधिकारी सिविल सर्जन, होशंगाबाद द्वारा दर्ज किया गया कि आवेदिका को राशि दिनांक 13.02.2019 को मिल चुकी है, शिकायत बंद की जावे। इस पर शिकायतकर्ता की असंतुष्टि के बाद आपके द्वारा दिनांक 14.03.2019 को पुनः पोर्टल पर एल–2 स्तर पर दर्ज किया गया कि राशि रू 2200/– दिनांक 13.02.2019 को हितग्राही के खाते में जमा कर दी गई है, जबकि हितग्राही को राशि का भुगतान नहीं हुआ था।

इस प्रकार आपके द्वारा बिना जानकारी प्राप्त किये कि हितग्राही को भुगतान हुआ है अथवा नहीं, सी.एम.हेल्पलाईन पोर्टल पर एल–2 स्तर पर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गई, जो आपकी अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

निरंतर.....2

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

16/9
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/होशंगाबाद/एससीएन/एफ–223/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ.दिनेश कौशल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश को तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट एवं उनका प्रतिवाद उत्तर अपने स्पष्ट अभिमत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल संभाग, भोपाल मध्य प्रदेश।
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

2608

क./4/शिका./सेल–5/भोपाल/एससीएन/एफ–221/2019, भोपाल, दिनांक 17-9-19

प्रति,

डॉ.श्रीमती शक्ति गोलाईत,
पी.जी.एम.ओ., जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल
मध्यप्रदेश।

द्वारा:–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल।

विषयः–कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्ध– डॉ.श्रीमती शक्ति गोलाईत, पी.जी.एम.ओ., जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल, मध्यप्रदेश––कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

00–00

यह कि आप डॉ.श्रीमती शक्ति गोलाईत, जयप्रकाश चिकित्सालय जिला–भोपाल में महिला चिकित्सक के पद पर पदस्थ हैं।

आपकी पदस्थी के दौरान दिनांक 06.11.2018 को प्रसूता श्रीमती लक्ष्मी लोधी पति श्री हुकम सिंह लोधी निवासी उदयपुरा को प्रसव हेतु जयप्रकाश चिकित्सालय में भर्ती किया गया था। जिसके प्रसव उपचार में हुई लापरवाही की जांच क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पूर्ण करते हुये जांच प्रतिवेदन पत्र दिनांक 18.05.2018 द्वारा अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जो संचालनालय में प्राप्त हुआ। (छायाप्रति संलग्न)

प्रतिवेदन में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा यह लेख किया कि प्रसूता जो एक हाईरिस्क केस थी, को जिला अस्पताल भोपाल में कोई उपचार नहीं दिया गया, प्रसूता का पी.ए. एवं पी. व्ही. चेकअप के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की लेब जांच नहीं कराई गई, जबकि जिला चिकित्सालय में 24X7 प्रयोगशाला एवं ब्लड बैंक सेवायें उपलब्ध है।

आपके द्वारा प्रसूता को अस्पताल में भर्ती होने के एक घंटे के अंदर ही सुल्तानिया जनाना अस्पताल रेफर कर दिया गया एवं आपके द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञ को दूरभाष पर सूचित नहीं किया एवं न ही कॉल कर बुलाया गया।/ रेफर करने के उपरांत परिजनों द्वारा महिला को प्रायवेट श्वेता अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां ऑपरेशन द्वारा शाम 5:52 बजे लडकी का जन्म हुआ, मां एवं बच्ची स्वस्थ थी। इस प्रकार जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होते हुये, बिना स्त्रीरोग विशेषज्ञ से परामर्श लिये प्रसूता को सुल्तानिया अस्पताल रेफर करके आपने अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती है।

निरंतर.....2

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की भागी बन गई हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

13/09
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/भोपाल/एससीएन/एफ–221/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ.श्रीमती शक्ति गोलाईत, पी.जी.एम.ओ., जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल मध्यप्रदेश को तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट एवं उनका प्रतिवाद उत्तर अपने स्पष्ट अभिमत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
6. संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग, भोपाल मध्य प्रदेश।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल मध्य प्रदेश।
9. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

(1)

य क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल संभाग भोपाल

क्रमांक / संभाग / ए...ए.एम. / 2019 / 5973 भोपाल, दिनांक 18 / 05 / 2019

प्रति,

अपर मिशन संचालक
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

विषय :– डा0 श्रीमती शक्ति गोलाइत, महिला चिकित्सक, जे.पी. चिकित्सालय भोपाल द्वारा बिना समुचित जॉच तथा बिना प्राथमिक उपचार के श्रीमती लक्ष्मी लोधी जिला रायसेन को रेफर करने के संबंध में।

संदर्भ :– एन.एच.एम. / एम.एच. / 2019 / 3950 भोपाल दिनांक 16.04.2019.

उपरोक्त विषयान्तर्गत जांच प्रतिवेदन संलग्न।

क्षेत्रीय संचालक
स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल संभाग, भोपाल

संलग्न - पृष्ठ 1-25

पृ.क्रमांक / संभाग / एन.एच.एम. / 2019 / 5974 भोपाल, दिनांक 18 / 05 / 2019

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम., 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल, म.प्र.।
4. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधिक्षक, जे.पी. अस्पताल, भोपाल, म.प्र.।

क्षेत्रीय संचालक 18.7.19
स्वास्थ्य सेवाऐं
भोपाल संभाग, भोपाल

25/7/19

जॉच प्रतिवेदन

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/संभाग/एन.एच.एम./2019/3817 भोपाल दि.24.04.2019 के पालन में जिन बिन्दुओ की जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश प्राप्त हुआ इसके संबंध में जॉच दल द्वारा दि.04.05.2019 को जिला चिकित्सालय भोपाल में समस्त संबंधित चिकित्सको एवं स्टाफ से चर्चा की एवं लिखित बयान लिये गये।

जे.पी. अस्पताल से शिकायतकर्ता की गर्भवती पत्नी श्रीमती लक्ष्मी लोधी पति हुकुम लोधी से संबधित आउटडोर/इनडोर पर्ची एवं अन्य दस्तावेजो के परीक्षण,स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं ड्यूटी चिकित्सक डॉ.शक्ति गोलाईत के द्वारा दिये गये बयान के आधार पर जॉच दल का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:-

1. प्रसूता श्रीमती लक्ष्मी लोधी पति हुकुम लोधी उम्र 30 वर्ष निवासी उदयपुरा जिला रायसेन दि.06.11.2018 को दोपहर 2:21 बजे जे.पी. चिकित्सालय भोपाल में दिखाने के लिये आयी, ओ.पी.डी.पर्ची संलग्न है।
2. आउटडोर से पर्ची बनने के आधा घण्टा पश्चात् लगभग दोपहर 3:00 बजे उक्त प्रसूता का इनडोर पर्चा बनाया गया, इनडोर पर्ची संलग्न है।
3. डॉ. शक्ति गोलाईत महिला चिकित्सा अधिकारी जो कि उस दिन दोपहरकालीन (1 से 8 बजे) ड्यूटी पर थी द्वारा प्रसूता लक्ष्मी को देखा गया एवं इनडोर पर्चे पर परीक्षण नोटस् अंकित किये गये। प्रसूता की भर्ती केस शीट नही बनाई गयी।
4. मरीज का यह दूसरा गर्भ था। पहला बच्चा आपॅरेशन से हुआ था, प्रसूता पूर्ण गर्भावस्था के साथ एवं पेट दर्द की शिकायत के लिये जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई। डॉ. शक्ति गोलाईत महिला चिकित्सा अधिकारी ने मरीज का पी.ए. एवं पी.व्ही. एग्जामिनेशन किया जिसमें स्कारटेन्डरनेस(टांको में तकलीफ) एवं खून की कमी(पेलर ++) एवं बच्चेदानी का मुॅह थोडा खुला होना अंकित किया गया है। इनडोर पर्ची पर किसी भी तरह के उपचार का उल्लेख नही है। ड्यूटी पर उपस्थित स्टाफ नर्स ने भी अपने बयान में यह लिखा है कि उक्त महिला को जिला चिकित्सालय में कोई भी दवाई या इंजेक्शन उनके द्वारा नही लगाया गया।
5. इनडोर पर्ची पर ही दोपहर 3:15 बजे महिला को सुल्तानिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉ. शक्ति गोलाईत द्वारा पर्ची पर ऑनकॉल स्त्री रोग विशेषज्ञ को सूचना देने संबंधी उल्लेख है। स्त्री रोग विशेषज्ञ को कॉल भेजकर बुलाने का कोई लिखित रिकार्ड नही है।
6. दोपहर 3:15 बजे उक्त प्रसूता को सुल्तानिया जनाना अस्पताल रेफर कर दिया गया।रेफर करने का कारण (ST) रेफरल आऊट रजिस्टर एवं रेफरल स्लीप में (ST) एवं एनिमिया अंकित है। रेफरल स्लीप संलग्न है।
7. स्त्री रोग विशेषज्ञ ऑनकॉल डॉ. प्रीति देवपुजारी ने अपने बयान में ये स्पष्ट उल्लेख किया है कि उक्त महिला की स्थिति के सबध में डॉ. शक्ति गोलाईत महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा उन्हे ना ही दूरभाष पर सूचना दी और ना ही कॉल कर बुलाया गया। यदि प्रसूता की गंभीर स्थिति के बारे में उन्हे ड्यूटी डॉक्टर डॉ. शक्ति गोलाईत द्वारा बताया जाता तो वे स्वयं उपस्थित होकर प्रसूता का परीक्षण एवं आवश्यक उपचार करती।

8. डॉ. शक्ति गालोईत पी.जी.एम.ओ. ने अपने बयान में इरा बात का उल्लेख किया है कि दि.06.11.2018 को उनकी इमरजेंसी ड्यूटी जे.पी. चिकित्सालय में थी उनके द्वारा श्रीमती लक्ष्मी लोधी का परीक्षण किया गया परंतु केस शीट पर अंकित नोट्स में उनके द्वारा किसी तरह के उपचार का उल्लेख नही किया गया है। डॉ. शक्ति गालोईत ने अपने बयान में भी किसी भी तरह के उचपार का जिक्र नही किया है। उनके द्वारा किसी भी तरह की जॉच भी नही कराई गई, जबकि उन्होने स्वयं अपने बयान में इस बात का उल्लेख किया कि मरीज के पास जो जॉच के पर्चे थे वो बहुत पुराने थे। डॉ. शक्ति गालोईत ने अपने बयान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि मरीज के अस्पताल में रुकने के दौरान उनकी उसके परिवारजनो से बहस हुई। परिजन जिला चिकित्सालय में महिला का ऑपरेशन कराना चाहते थे क्योकि महिला का पहला प्रसव ऑपरेशन से हुआ था एवं भर्ती के समय महिला को दर्द आ रहे थे। डॉ. शक्ति गालोईत ने अपने बयान में ऑनकॉल डॉक्टर डॉ. प्रीति देवपुजारी को दूरभाष पर मरीज के बारे में बताने का उल्लेख किया है एवं इस आशय के नोट्स भी इनडोर पर्ची में अंकित किये है,परंतु उनके द्वारा इरा महिला को दिखाने के लिये स्त्री रोग विशेषज्ञ को कॉल नही किया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रीति देवपुजारी ने अपने बयान में स्पष्ट शब्दो में उल्लेख किया है कि उन्हे उक्त महिला के बारे में डॉ. शक्ति द्वारा नही बताया गया, अन्यथा वह अवश्य आकर मरीज का परीक्षण व उपचार करती। डॉ शक्ति गालोईत द्वारा महिला के द्वारा कराई गई जॉचे/परीक्षण का कोई उल्लेख इनडोर पर्ची में नही किया है।महिला के परिजनो को महिला की स्थिति के बारे में, हाईरिस्क कन्सेन्ट एवं रेफर करने का कारण का उल्लेख इनडोर पर्ची पर कही भी नही किया गया है।
9. जॉच दल द्वारा शिकायतकर्ता को बुलाकर उनके बयान दि.22.05.2019 को दर्ज कराये गये जिसमें उन्होने पूर्व में की गई शिकायत का ही उल्लेख किया, उनके द्वारा महिला द्वारा गर्भावस्था में कराये गये परीक्षण एवं रेफर करने के पश्चात् कराये गये उपचार के दस्तावेज भी उपलब्ध कराये गये। उनके द्वारा बताया गया कि डॉ शक्ति गालोईत द्वारा महिला को सुल्तानिया अस्पताल रेफर किया गया, परंतु उनके द्वारा उसें श्वेता अस्पताल में भर्ती कराया गया जहॉ ऑपरेशन द्वारा शाम 5:52 बजे लडकी का जन्म हुआ वर्तमान में मॉ एवं बच्ची स्वस्थ है।
10. उक्त प्रकरण के संबंध में डॉ.आई. के चुघ अस्पताल अधीक्षक जे.पी जिला चिकित्सालय भोपाल को प्रकरण के संबध में अपना अभिमत देने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था परंतु लिखित अभिमत आज दिनांक तक अप्राप्त है।

<u>जॉच के बिन्दुवार तथ्य निम्नानुसार है:-</u>

1. डॉ. शक्ति गालोईत द्वारा प्रसूता लक्ष्मी लोधी निवासी उदयपुरा रायसेन जो एक हाईरिस्क केस थी को जिला अस्पताल भोपाल में कोई उपचार नही दिया गया (इनडोर पर्ची एवं स्टाफ के बयान) प्रसूता का पी.ए. एवं पी.व्ही. चेकअप के अतिरिक्त किसी भी तरह की लेब जॉच नही कराई गयी है,जबकि जिला चिकित्सालय मे 24X7 प्रयोगशाला एवं ब्लड बैंक सेवायें उपलब्ध है।

2. प्रसूता के अस्प अस्पताल रेफर क दिखलाया गया। के एक घण्टे अंदर ही उसको सुल्तानिया जनाना या एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ को कॉल कर प्रसूता को नही

3. परिजनो द्वारा असंवेदनशील व्यवहार के आरोप पर जॉच दल द्वारा किसी भी तरह की टिप्पणी किया जाना संभव नही है। परंतु शिकायतकर्ता की शिकायत एवं महिला चिकित्सा अधिकारी डॉ.शक्ति गालोईत के बयान के अनुसार जिला चिकित्सालय में भर्ती के दौरान एक घण्टे महिला चिकित्सक एवं परिजनो में आपस में बहस हुई इसका उल्लेख डॉ. शक्ति गालोईत द्वारा अपने बयान में किया गया है।

संलग्न:– I-बयान 1. डॉ. शक्ति गालोईत महिला चिकित्सा अधिकारी जे.पी. चिकि. भोपाल
2. प्रीति देवपुजारी स्त्री रोग विशेषज्ञ जे.पी. चिकि. भोपाल
3. स्टाफ नर्सेस जे.पी. चिकि. भोपाल
4. शिकायतकर्ता हुकुम सिंह लोधी पति श्रीमती लक्ष्मी लोधी

II- आऊटडोर/इनडोर पर्ची

III- रेफरल स्लीप

IV- उपचार पर्ची

डॉ. रजी फराज आर.एम.एन.सी.एच. समन्वयक सदस्य क्षैत्रीय संचालक स्वा.सेवायें कार्यालय भोपाल संभाग भोपाल सदस्य।	डॉ.श्रीमती कीर्ति डाले स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदस्य डॉ. के.एन.के. चिकित्सालय भोपाल	डॉ. सुरेश कुमार विकरोल, उपसंचालक अध्यक्ष क्षैत्रीय संचालक स्वा.सेवायें कार्यालय भोपाल संभाग भोपाल

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल–वी.सी. / 81 / 18 / 2019 / भोपाल दिनांक / /2019

प्रति,

श्री जे.एन. कान्या
तत्कालीन स्थापना लिपिक
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कार्यालय हरदा।
वर्तमान में मुख्य लिपिक
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला हरदा।

द्वारा– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक हर्रदा।

विषयः– श्री जे.एन. कान्या मुख्य लिपिक सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय हरदा के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र।

–––––000–––––

श्रीमती लक्ष्मी शर्मा पत्नि स्व. श्री प्रहलाद दास शर्मा नानमेडिकल सुपर वाइजर कुष्ठ नियंत्रण ईकाई खण्डवा की सहा. ग्रेड–3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत प्राप्त होने पर जांच प्रकरण क्रमांक 81 / 18 पंजीबद्ध करते हुए लोकायुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 2739 दिनांक 22.05.2019 द्वारा जांच करने हेतु प्रकरण संचालनालय को भेजा गया। संचालनालय के पत्र क्रमांक 992 दिनांक 28.05.2018 द्वारा प्रकरण क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये भोपाल संभाग भोपाल को जांच किये जाने हेतु भेजा गया। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये भोपाल संभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 9585 दिनांक 20.11.2018 द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन संचालनालय को भेजा गया। (संलग्न जांच प्रतिवेदन)

संचालनालय के पत्र क्रमांक 2 / अविज्ञप्त / सेल–5 / 2001 / 1284–एफ दिनांक 15.06.2001 द्वारा श्रीमती लक्ष्मी शर्मा पत्नि स्व. श्री प्रहलाद दास शर्मा एन.एम.एस कुष्ठ नियंत्रण ईकाई खण्डवा का प्रकरण अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा को भेजा गया था एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा के आदेश क्रमांक 5533 दिनांक 09.07.2001 द्वारा श्रीमती लक्ष्मी शर्मा की अनुकम्पा नियुक्ति सहा. ग्रेड–3 के पद पर की गई।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय) तृतीय श्रेणी लिपिक सेवा भर्ती नियम 1989 के प्रावधान अनुसार सहा. ग्रेड–3 के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नियुक्ति के समय श्रीमती लक्ष्मी शर्मा की शैक्षणिक योग्यता म.प्र. राज्य ओपन स्कूल भोपाल हाई स्कूल सर्टिफिकिट परीक्षा वर्ष 1999 में उत्तीर्ण थी, अर्थात् 10वी उत्तीर्ण थी, इस कारण से सहा. ग्रेड–3 के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण नही करने से नियुक्ति हेतु पात्र नही थी, तत्समय आप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा कार्यालय में स्थापना लिपिक के पद पर पदस्थ थे आपके द्वारा निर्धारित योग्यता को नजर अंदाज करते हुए सहा. ग्रेड–3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमो के विपरीत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो कर्तव्यों के प्रति लापरवाही दर्शाता है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खंण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप नही है। आप उक्तानुसार नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये, अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला हरदा के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा **(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)** 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. / 4 / शिका. / सेल–वी.सी. / 81 / 18 / 2019 / 2601 भोपाल दिनांक 16/9/2019

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 सचिव, लोकायुक्त कार्यालय लोकायुक्त भवन भोपाल की ओर लोकायुक्त प्रकरण 81 / 18 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3 निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. स्थानीय कार्यालय।
4 कलेक्टर जिला हरदा म.प्र.।
5 उप संचालक, विज्ञप्त / लीगल / गोपनीय स्थानीय कार्यालय।
6 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला – हरदा **श्री जे.एन. कान्या मुख्य लिपिक सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय हरदा** को जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति को तामिल कराते हुए तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना स्पष्ट अभिमत अंकित करते हुए संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।
8 आदेश नस्ति ।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/सिंगरौली/2019/2467 भोपाल दिनांक 29/8/2019

प्रति,

श्री ए.पी. नामदेव,
संगणक एवं प्रभारी लेखापाल,
कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय बैढन सिंगरौली (म.प्र.) ।

विषयः–श्री ए.पी. नामदेव, संगणक एवं प्रभारी लेखापल जिला चिकित्सालय बैढन सिंगरौली के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरणा, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र ।

यह कि आप श्री ए.पी. नामदेव, संगणक एवं प्रभारी लेखापल, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय बैढन सिंगरौली के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में बायोमेडिकल वेस्ट मद अंतर्गत बजट राशि रूपये 870000/– निर्धारित थी के विरूद्ध राशि रूपये 887300/– का व्यय किया गया है । आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से वित्तीय स्थिति छिपाते हुए निर्धारित बजट राशि से अधिक राशि के लंबित देयको को भुगतान हेतु वर्ष 2018–19 में प्रस्तुत कर राशि का आहरण किया गया है जिससे राशि रूपये 17,300/– का नियम विरूद्ध एवं अधिक व्यय हुआ । इस प्रकार आपके द्वारा गत वर्षो का व्यय निर्धारित मापदण्ड से अधिक एवं वरिष्ठ कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया गया जो एस.आर. 115 व म.प्र. कोष संहिता नियम 283 का उल्लंघन है ।

इस प्रकार आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का उचित निर्वहन न किया जाकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन किया गया है तथा आप उक्त कृत्य करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके द्वारा की गई उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए अधिक व्यय की गई राशि में से आधी राशि रूपये 8650/– की आपसे वसूली मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (3) के अन्तर्गत की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

....2

क्रमांक/4/शिका./सेल–1/सिंगरौली/2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपी– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. भोपाल ।
3. अपर संचालक (वित्त) स्थानीय कार्यालय की ओर उनकी टीप क्रमांक 2780 दिनांक 26.11.18 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
4. कलेक्टर, जिला सिंगरौली म.प्र.।
5. उप संचालक, अविज्ञप्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल ।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, रीवा संभाग रीवा म.प्र.
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि जारी नोटिस की प्रति श्री ए.पी. नामदेव, प्रभारी लेखापाल सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरौली को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
8. प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ति ।

सही/-
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–व्ही.सी./144–18/2019/2476 भोपाल, दिनांक 29/8/19

प्रति,

डॉ.अर्पणा सक्सेना,
चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय
जिला–आगर मालवा, मध्यप्रदेश।

द्वाराः–सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला–आगर मालवा।

विषयः–कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्ध– डॉ. अर्पणा सक्सेना, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय जिला–आगर मालवा, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत।

––0––

यह कि आप डॉ. अर्पणा सक्सेना, जिला चिकित्सालय जिला आगर मालवा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ है।

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 22.07.2019 में लेख किया गया है कि आपके द्वारा दो जीवित बच्चे होने संबंधी जानकारी विभाग को दी गई है, जबकि आपकी तीन जीवित संतानें हैं। इस प्रकार आपके द्वारा तीसरी जीवित संतान की जानकारी विभाग से छुपाई गई। आपकी तीसरी संतान का जन्म दिनांक 27/06/2011 को हुआ है । मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम, 22(4) में प्रावधान है कि कि प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार या राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा एवं स्पष्टीकरण में उल्लेख है कि–इस उप नियम के प्रयोजन के लिये सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को अवचार माना जाएगा यदि उनमें से एक का जन्म 26/01/2001 को या उसके पश्चात हो ।

इस प्रकार आपके द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम, 22(4) उल्लंघन किया गया है जो अवचार है इस कारण आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला–आगर मालवा के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10 के अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे ?

यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

29/8

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क.4/शिका./सेल–व्ही.सी./144–18/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्य प्रदेश।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला–आगर मालवा की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ.अर्पणा सक्सेना, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला–आगर मालवा, मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 07 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
7. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

अंतिम स्मरण पत्र

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

1. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिलाः–** (1) बैतूल (2)राजगढ (3)भिण्ड (4)मुरैना (5)श्योपूर (6)शिवपुरी (7)सिंगरौली (8)सागर (9)छतरपुर (10)रीवा (11)अनूपपुर (12)नीमच (13)रतलाम (14)उमरिया, मध्यप्रदेश।
2. **सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिलाः–** (1) नीमच (2) छतरपुर (3) अनूपपुर (4)सागर (5)डिण्डौरी (6)सिंगरौली (7)उमरिया (8)अशोकनगर, मध्यप्रदेश।

विषयः–संचालनालय स्तर से जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिवाद उत्तर 03 दिवस की समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भः–संचालनालय से जारी नोटिस पत्र दिनांक 11.04.2019 पत्र दिनांक 12.04.2019 एवं पत्र दिनांक 15.04.2019।

–000–

उपरोक्त विषयांतर्गत मेसर्स हेल्थ सिक्योर प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के देयक भुगतान आपके द्वारा लंबित रखे जाने पर संचालनालय स्तर से उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश जारी किये गये थे। तत्संबंध में आपको संचालनालय के पत्र दिनांक 27.06.2019 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किया गया था, किंतु आपके द्वारा जारी नोटिस में अंकित सम्यावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जारी नोटिस का प्रतिवाद उत्तर आज दिनांक तक संचालनालय में प्रस्तुत नही किया गया है। संचालनालय स्तर से जारी नोटिस विभागीय वेबसाईट पर अपलोड है।

अतः आपको अंतिम अवसर दिया जाकर पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक द्वारा जारी नोटिस का प्रतिवाद उत्तर संचालनालय को 03 दिवस की समयावधि में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही करते हुये प्रकरण की अद्यतन स्थिति से मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड को शीघ्र अवगत कराया जा सकें।

पत्र में वर्णित समयावधि में प्रतिवाद उत्तर आपकी ओर से अप्राप्त होने की स्थिति में विलंब हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा अनुमोदित।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/एससीएन/2019/ 9403 भोपाल, दिनांक 21/08/2019

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ।

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर पत्र प्रेषित कर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

21/08/19

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.व्ही.सी./जां.प्र.क.1103/17/2019/2332 भोपाल, दिनांक 6/8/19

प्रति,

डॉ0विजेन्द्र चुड़ीहार,
ब्लॉक मेड़िकल आफिसर,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,बड़ौद,जिला आगर,
मालवा,मध्यप्रदेश।

द्वारा :– क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन,मध्यप्रदेश।

विषयः– डॉ0विजेन्द्र चुड़ीहार, ब्लॉक मेड़िकल आफिसर,समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ौद, जिला आगर,मालवा मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम,16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00–00

यह कि आप विजेन्द्र चुड़ीहार,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ौद जिला आगर मालवा में ब्लॉक मेड़िकल आफिसर के पद पर पदस्थ है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ौद में आपकी पदस्थ अवधि के दौरान आपके द्वारा अपने धर पर काम करने वाले सफाईकर्मी के खाते में पेसा ड़ालकर शासन के पैसे का दुरूपयोग करने, बड़ौद अस्पताल में साफ–सफाई व मरम्मत के नाम पर शासन के पैसे का अवैध खर्चा बताने तथा बड़ौद अस्पताल में लेबोरेटरी एवं एक्सरे कक्ष में भी आपके द्वारा अवैध खर्चा बताने संबंधी वित्तीय अनियमितता किये जाने की शिकायत, लोकायुक्त कार्यालय को प्राप्त होने पर लोकायुक्त संगठन द्वारा आपके विरूद्ध जांच प्रकरण कमांक.1103/17 पंजीबद्ध करते हुये जांच प्रतिवेदन चाहा गया।

लोकायुक्त संगठन से प्राप्त शिकायत , संचालनालय को शासन के माध्यम से प्राप्त होने पर प्राप्त शिकायती प्रकरण जांच हेतु , क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर पत्र कमांक.232/दिनांक 10.01.2019 द्वारा प्रेषित कर जांच प्रतिवेदन चाहा गया जो क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन से उनके पत्र कमांक.675/दिनांक 08.02.2019 (**प्रति संलग्न**) द्वारा प्राप्त हुआ। जिसमें आपके द्वारा रोगी कल्याण समिति के सफाई कर्मी से धर पर कार्य लिया जाना शासकीय राशि को सफाई कर्मी के खाते में जारी करना,महिला स्वास्थ्य शिविर में भोजन की व्यवस्था नियमानुसार नहीं होना ,स्वयं के नाम से पंजीबद्ध वाहन को अन्य के नाम से कार्यालय में अटैच करना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कराये गये मरम्मत कार्य का मूल्यांकन नहीं किया जाना पाया गया ।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 के उप नियम, एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

निरन्तर.....2

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त, स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक 4 / शिका. / सेल.व्ही.सी. / जां.प्र.क.1103 / 17 / 2019 / 2333 भोपाल, दिनांक 6/8/19

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. नाम से विधि सलाहकार–एक, लोकायुक्त कार्यालय,मध्यप्रदेश समाधान भवन,भोपाल की ओर जांच प्रकरण कमांक.1103 / 17 के संदर्भ में प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
3. कलेक्टर,जिला आगर,मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक, विज्ञप्त / गोपनीय / लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित डॉ.विजेन्द्र चुड़ीहार,ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,बड़ौद जिला आगर,मालवा को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावें तथा प्रतिवाद उत्तर उनसे प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर भी समयावधि में संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–आगर,मध्यप्रदेश।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला आगर, मध्यप्रदेश।
8. संभागीय कोष एवं लेखा उज्जैन संभाग, उज्जैन , मध्यप्रदेश।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला आगर, मध्यप्रदेश।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–व्ही.सी./अलीराजपुर/2019/2247 भोपाल, दिनांक 30/07/2019

प्रति,

डॉ.प्रभाकर नानावरे,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन ।

विषयः–कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्ध– डॉ.प्रभाकर नानावरे, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलीराजपुर –कारण बताओ नोटिस मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील 1966 के नियम 16 अतर्गत ।

–00–

यह कि आप डॉ.प्रभाकर नानावरे, जिला–अलीराजपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ थे।

आपके विरूद्व शिकायत (छायाप्रति संलग्न) प्राप्त होने पर कलेक्टर, अलीराजपुर ने अपने आदेश दिनांक 01/06/2016 द्वारा जॉच हेतु समिति गठित की समिति के द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिनांक 06/09/2016 को कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया(छायाप्रति संलग्न) कलेक्टर ने पत्र दिनांक 20/09/2016 के द्वारा उक्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करके प्रतिवेदन में दशाई गई अनियमित्ताओ के संबंध में आपसे तथ्यात्मक बिन्दूवार प्रतिवेदन चाहा गया था । आपने पत्र दिनांक 06/01/2017 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । आपके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर जॉच समिति से परीक्षण करवाया गया एवं समिति के द्वारा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । आपके द्वारा जॉच प्रतिवेदन पर प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन/उत्तर परीक्षण उपरांत जॉच समिति द्वारा समाधानकारक नहीं पाया गया(छायाप्रति संलग्न), जिसके अनुक्रम में कलेक्टर,अलीराजपुर के पत्र दिनांक 28/03/2017 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा आयुक्त, इंदौर संभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया । आयुक्त, इंदौर सभांग के द्वारा आपके कारण बताओ नोटिस दिनांक 17/05/2017 जारी किया गया। आपका स्थानांतरण इंदौर संभाग के बाहर हो जाने के कारण प्रकरण कार्यवाही हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल को प्राप्त हुआ है।

आपके द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलीराजपुर के पद पर पदस्थी के दौरान वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में जिले के समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारियो से आवश्यक समस्त प्रकार की दवाईयॉ, भंडार सामग्री एवं समस्त उपयोगी सामग्री की मांग पत्र प्राप्त नहीं किये गये तथा जिले की कुल मांग व संख्यॉ का आकलन नहीं किया गया एवं जिले हेतु क्रय की जाने वाली कुल सामग्री का अनुमोदन क्रय समिति से नहीं कराया गया। उक्त वित्तीय वर्षो में शासन से विभिन्न बजट शीर्षो में प्राप्त आवंटन के लेप्स होने की संभावना से बचने के लिये जिले के समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारियों से उन्हें लगने वाली आवश्यक समस्त प्रकार की दवाईयां, भण्डार सामग्री एवं अन्य समस्त उपयोगी सामग्री का मांग पत्र लिये बिना ही जिला स्तर पर सामग्री का क्रय एवं वितरण किया गया तथा सामग्री का भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया गया।

.....2

इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा भंडार क्रय नियमो का पालन नही किया गया है। जॉच के समय आपके द्वारा जॉच समिति को कई अभिलेख एवं स्टॉक पंजी आदि उपलब्ध नहीं कराये गये ।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध **मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10 के** अन्तर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

8/6/17
ofe (नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./सेल–व्ही.सी./अलीराजपुर/2019/2248 भोपाल, दिनांक 30/07/2019

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, इंदौर संभाग इन्दौर ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला–अलीराजपुर/रतलाम, मध्यप्रदेश।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नोटिस की प्रति डॉ.प्रभाकर नानावरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–रतलाम को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

8/6/17
ofe स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/विदिशा/एससीएन/एफ–163/2019/2237 भोपाल, दिनांक 30/7/19

प्रति,

डॉ.बी.एल.आर्य
तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
वर्तमान अस्थीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय
जिला– विदिशा, मध्य प्रदेश।

विषयः–अनुशासनात्मक कार्यवाही विरूद्ध– डॉ.बी.एल.आर्य, तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा वर्तमान में अस्थीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, जिला–विदिशा, मध्यप्रदेश–कारण बताओ नोटिस।

00–00

यह कि आप डॉ.बी.एल.आर्य, जिला विदिशा में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर दिनांक 21.05.2015 से दिनांक 21.05.2018 तक पदस्थ थे।

यह कि आपकी पदस्थी के दौरान आपके द्वारा सफाई के मद से विभिन्न प्रकार की सफाई सामग्री, बायोमेडिकल वेस्ट तथा कलेक्शन बेग पर राशि रू 3715980/– एवं लंबित देयकों के भुगतान रू 817266/– पर कुल रू 4533246/– का व्यय किया गया, जबकि इस मद में विभागीय मापदण्ड रू 1702368/– था। आपके द्वारा सामग्री की खरीद के पीछे आवश्यकता एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का पालन नही किया गया। संपूर्ण क्रय में भण्डार क्रय नियम 2015 का पालन नही किया गया एवं मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 8 एवं 9 तथा 118 का पालन नही किया गया।

आपके द्वारा क्रय करते समय मद परिवर्तन कर वित्तीय संहिता नियम 8 एवं मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग नियम 121(4) को भंग कर स्वयं को वित्तीय अनियमितता का भागी बना लिया है।

आपके द्वारा सफाई मद से वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लंबित देयकों का भुगतान किया गया। इन बिलों पर सक्षम स्वीकृति एवं एसआर 115 तथा मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता नियम 283 का पालन नही किया गया।

उपरोक्त क्रय में क्रय समिति का अनुमोदन भी प्राप्त नही किया गया। वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग 2 में प्रत्यायोजित अधिकारों का उल्लंघन किया गया तथा वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति से बचने हेतु क्रयादेशों को विभक्त भी किया गया।

अतः आपका उपरोक्त वर्णित कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये, स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः आप नोटिस जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें अन्यथा क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रक तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें। यदि आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–5/विदिशा/एससीएन/एफ–163/2019/2238 भोपाल, दिनांक 30/7/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. संचालक वित्त/अस्पताल प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल म.प्र.।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल म.प्र.।
5. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2019/797-Y भोपाल, दिनांक 23/07/2019

प्रति,

डॉ0 रमेश चन्द्र नीमा,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला खरगोन, म0प्र0

विषयः- कारण बताओ नोटिस।

000-000

यह है कि संचालनालय के आदेश कमांक 2/अवि/सेल-टी.पी./एफ-496/2019/163-टी, दिनांक 28.02.2019 के तहत श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, लेखापाल, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगोन का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बडवानी के अधीन किया गया था।

यह है कि उपरोक्त स्थानांतरण आदेश में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि संबंधित कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा।

यह है कि उपरोक्त निर्देश के बावजूद आपके द्वारा श्री सुरेशचन्द्र वर्मा, लेखापाल को पत्र कमांक 5058 दिनांक 07.06.2019 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन न करते हुये अवेहेलना की गई है।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्व मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रंण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। यदि आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा निर्देशित-

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक, (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2019/798-Y भोपाल, दिनांक 23/07/2019

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वा. एवं परि. क. विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर, म0प्र0
03. उप संचालक (शिकायत) स्थानीय कार्यालय।
04. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन) स्था.कार्यालय।
05. प्रभारी M.I.S. स्था. कार्यालय।

अपर संचालक, (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2019/795-Y भोपाल, दिनांक 23/07/2019

प्रति,

श्री सुरेशचन्द्र वर्मा,
लेखापाल, कार्यालय मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगोन।
(वर्तमान में कार्यालय सीएमएचओ,बडवानी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– कारण बताओ नोटिस।

000–000

यह है कि संचालनालय के आदेश कमांक 2/अवि/सेल–टी.पी. /एफ–496/2019/163–टी, दिनांक 28.02.2019 के तहत आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगोन से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बडवानी के अधीन प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण किया गया था।

यह है कि उपरोक्त स्थानांतरण आदेश में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि संबंधित कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा।

यह है कि उपरोक्त निर्देश के पालन में आपके द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगोन को कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगोन के पत्र कमांक 5058 दिनांक 07.06.2019 के द्वारा आपको कार्यमुक्त किया गया है। आप जिला खरगोन में ही कार्यमुक्ति दिनांक तक निरन्तर शासकीय कार्य करते रहें। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन न करते हुये अवेहलना की गई है।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्व मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रंण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। यदि आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा निर्देशित–

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक, (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–टी.पी./2019/796-Y भोपाल, दिनांक23/07/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वा. एवं परि. क. विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर, म0प्र0
03. उप संचालक (शिकायत) स्थानीय कार्यालय।
04. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक (प्रशासन) स्था.कार्यालय।
05. प्रभारी M.I.S. स्था. कार्यालय।

अपर संचालक, (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–2/एफ–51/अशोकनगर/2019/2123 भोपाल दिनांक 16/07/2019

प्रति,

डॉ. (श्रीमती) लेखा तिवारी,
स्त्रीरोग विशेषज्ञ,
मेटरनिटी प्रभारी अधिकारी
जिला चिकित्सालय अशोकनगर मध्यप्रदेश।

द्वारा– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोकनगर म.प्र.।

विषयः–डॉ. (श्रीमती) लेखा तिवारी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, मेटरनिटी प्रभारी अधिकारी, जिला चिकित्सालय अशोकनगर के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

———000———

यह कि आप डॉ. (श्रीमती) लेखा तिवारी **स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय अशोकनगर में मेटरनिटी प्रभारी अधिकारी** के पद पर पदस्थ है।

आपकी पदस्थी दौरान दिनांक 25.02.2019 को दैनिक पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार "छह घंटे तडपती रही प्रसूता और डॉ. करते रहे रैफर प्रसूता और शिशु की मौत" के संबंध में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पत्र दिनांक 28.03.2019 के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोकनगर का पत्र दिनांक 06.03.2019, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक अशोकनगर का पत्र दिनांक 02.09.2019 एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रसूता श्रीमती रामवती आदिवासी पत्नी विनोद निवासी नईसराय को दिनांक 25.02.2019 को दोपहर 11.33 बजे जिला चिकित्सालय अशोकनगर के प्रसूति वार्ड में भर्ती किया गया था। आपके द्वारा मरीज के अटेण्डर को जटिल प्रसव की जानकारी देते हुए उनसे सहमति प्राप्त कर प्रसूता को मेडिकल कॉलेज भोपाल रैफर किया गया, मेडिकल कॉलेज जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में बताया गया है कि यदि आपके द्वारा प्रसूता को Blood Transfusion किया जाता एवं रैफर करने के पूर्व तत्काल (Emergency) में ऑपरेशन किया जाता तो प्रसूता की जान बचने की सम्भावना थी। (संलग्न परिशिष्ट–1)

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये ग्वालियर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोकनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कई बार निर्देशित करने के उपरांत भी आप मुख्यालय पर निवास नही करती है, बार–बार कार्यालयीन आदेशो का जानबूझकर उलंघन करती है। आपको सप्ताह में 1 दिवस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाये देने के लिए निर्देशित किया गया था किन्तु आपके द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में अपनी उपस्थिति नही दी गई। (संलग्न परिशिष्ट–2–3) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक अशोकनगर के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा प्रसूता को मेडिकल कॉलेज भोपाल रैफर किये जाने की कोई सूचना उन्हें नही दी गई है और न ही कोई सहयोग लिया गया है। (संलग्न परिशिष्ट–4) इस प्रकार आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाना परिलक्षित हुई है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। आप अपने आपको कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये, अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोकनगर के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावें। यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./4/शिका./सेल–2/एफ– 51/अशोकनगर/2019/ भोपाल दिनांक 16/07/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। 2724

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2 निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. स्थानीय कार्यालय।
3 कलेक्टर जिला अशोकनगर म.प्र.।
4 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
5 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल/स्थानीय कार्यालय
6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोकनगर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कृपया जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति डॉ. (श्रीमती) लेखा तिवारी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, मेटरनिटी प्रभारी अधिकारी जिला चिकित्सालय अशोकनगर को तामिल कराकर पावती सात दिन में भिजवाना सुनिश्चित करें।
7 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक अशोकनगर म.प्र.
8 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।
9 आदेश नस्ति ।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमाकः–4/शिका/सेल.3/SCN/सिवनी/2019/2121 भोपाल,दिनांक 16/7/2019

प्रति,

डॉ.के.सी.मेश्राम,
मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला सिवनी (म.प्र.)।

द्वाराः–क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.।

विषयः–डॉ.के.सी.मेश्राम, मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस अंतर्गत नियम 16 म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966

यह कि आप डॉ.के.सी.मेश्राम, मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जिला सिवनी में पदस्थ है।

यह कि आपकी पदस्थी के दौरान मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी में वित्तीय वर्ष 2018–19 में साफ–सफाई मद अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड से अधिक राशि रूपये 7,29,710/–का व्यय किया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक गत वर्षो का लंबित व्यय का भुगतान वरिष्ठ कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया गया। जिससे म.प्र.कोषालय संहिता एस.आर.115 का पालन नहीं हुआ। क्रय में भण्डार क्रय नियम 2015 का उल्लंघन एंव शासन द्वारा निर्धारित मद (लेखाशीर्ष) से भुगतान न कर अन्य मद से भुगतान किया गया। जिससे म.प्र.कोषालय संहिता के नियम 121(4) तथा आपके द्वारा कृत्य कार्यवाही से म.प्र.कोषालय संहिता 283 के नियमों का उल्लंघन हुआ जिससे वित्तीय अनियमितता पाई गई है।

आपका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एंव कर्तव्य परायण न रहते हुये आपने स्वंय को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः कारण बतायें कि क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 10के अतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे। आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें। यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

16/7/19
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश.

2.....

पृ.क्रमाकः–4/शिका/सेल.3/SCN/सिवनी/2019/2122 भोपाल,दिनांक 16/7/2019
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला सिवनी म.प्र.।
4. अपर संचालक (वित्त) स्थानीय कार्यालय।
5. संयुक्त संचालक (अस्प0प्रशासन) स्थानीय कार्यालय ।
6. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रषितकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ.मेश्राम को जारी कारण बताओ नोटिस की तामिली करांकर पावती उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. संयुक्त संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल सेल स्थानीय कार्यालय।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय कीं ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण बताओ नोटिस विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।

16/7
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश.

पृ.क्रमाकः–4/शिका/सेल.3/SCN/सिवनी/2019/2122 भोपाल,दिनांक 16/7/2019

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला सिवनी म.प्र.।
4. अपर संचालक (वित्त) स्थानीय कार्यालय।
5. संयुक्त संचालक (अस्प0प्रशासन) स्थानीय कार्यालय ।
6. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रषितकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ.मेश्राम को जारी कारण बताओ नोटिस की तामिली कराकर पावती उपलब्ध करांना सुनिश्चित करें।
7. संयुक्त संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल सेल स्थानीय कार्यालय।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण बताओ नोटिस विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।

/

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.7/देवास/एस.सी.एन./2019/2067 भोपाल, दिनांक 10/7/2019

प्रति,

डॉ.राकेश कुमार सक्सैना,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–देवास,मध्यप्रदेश।

द्वारा :– क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन , मध्यप्रदेश।

विषयः–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :– डॉ.राकेश कुमार सक्सैना, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला देवास, मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम, 16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00–00

यह कि आप डॉ.राकेश कुमार सक्सेना, जिला देवास में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, के पद पर पदस्थ है। जिला देवास में आपकी पदस्थी के दौरान कलेक्टर, जिला देवास ने पत्र कमांक./स्वा. स्थापना/2019/10360/दिनांक 5.7.2019 **(परिशिष्ट–एक)** आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन को प्रेषित कर लेख किया कि जन अधिकार सुनवाई कमांक.1000002719 पी.आ.ई.दिनांक 5.7.2019 सी.एम.हैल्पलाईन शिकायत कमांक.7210836 दिनांक 22.10.2018 को संज्ञान में लेते हुये शिकायतकर्ता बलवान सिंह निवासी टोंकखुर्द ब्लॉक सोनकच्छ जिला देवास द्वारा इस आशय की शिकायत की गई कि हितग्राही कविताबाई पति श्री बलवानसिंह की प्रसूति दिनांक 12.11.2017 को एम.जी.अस्पताल देवास में हुई थी जिनका आवेदन दिनांक 13.11.2017 है। परन्तु दिनांक 04 जुलाई 2019 तक जननी सुरक्षा योजना राशि का भुगतान हितग्राही कविताबाई को नहीं किया गया।

कलेक्टर, देवास द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को प्रेषित पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि हितग्राही श्रीमती कविताबाई को भुगतान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुये समय पर नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप लगभग 30 माह पश्चात भुगतान नहीं किये जाने संबंधी शिकायत प्रकाश में आने के पश्चात् किया गया।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम –3 के उप नियम, एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लधुशास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना , एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

प्रमुख सचिव,स्वास्थ्य द्वारा आदेशित।

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.7/देवास/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल,मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
3. संचालक,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,स्थानीय कार्यालय।
4. कलेक्टर, देवास, मध्यप्रदेश ।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
6. उप संचालक,मातृ स्वास्थ्य एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में आपके द्वारा प्रेषित टीप दिनांक 8.7.2019 के संदर्भ में प्रेषित।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन मध्यप्रदेश की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला देवास डॉ.राकेश कुमार सक्सैना को तामिली कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीध्र उपलब्ध करावें तथा जारी नोटिस की प्रविष्टी संबंधित की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की प्रमाणित प्रति तथा प्रतिवाद उत्तर उनसे प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास,मध्यप्रदेश।
9. संभागीय कोष एवं लेखा उज्जैन संभाग मध्यंप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला देवास,मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साईट पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(9)

कार्यालय कलेक्टर जिला–देवास म.प्र.

क्रमांक / स्वा.स्थापना / 2019 / 10358 देवास, दिनांक 5.7.19

जाने,

आयुक्त
उज्जैन संभाग उज्जैन (म.प्र.)

विषय :– अनुशासनात्मक कार्यवाही -- डॉ. राकेश कुमार सक्सेना नेत्ररोग विशेषज्ञ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला–देवास बाबत्।

कृपया विषयान्तर्गत जन अधिकार सुनवाई क्रमांक 1000002719, Pre दिनांक 05–07–2019 सी.एम. हेल्पलाईन शिकायत क्रमांक 7210036 दिनांक 22 / 10 / 2018 को संज्ञान में लिया गया है। शिकायतकर्ता बलवान सिंह जी निवासी टोंकचुर्द ब्लाक सोनकच्छ जिला–देवास मोबाईल नं. 8319202870 द्वारा शिकायत की गई कि हितग्राही कविताबाई पति बलवानसिंह की प्रसूति दिनांक 12–11–2017 को एम. जी. अस्पताल देवास में हुई थी, आवेदन दिनांक 13–11–2017 है परंतु दिनांक 04 जुलाई 2019 तक जननी सुरक्षा योजना राशि का भुगतान नहीं हुआ था। चेक भुगतान लगभग 30 माह पश्चात् आज ही शिकायत प्रकाश में आने के उपरांत किया गया है।

इस संबंध में एल–1 अधिकारी डॉ. राकेश कुमार सक्सेना नेत्ररोग विशेषज्ञ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला–देवास एवं एल–2 अधिकारी डॉ. एस.के. सरल, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–देवास (वर्तमान में जिला–धार) को प्रथम दृष्टया कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। इनका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम तीन के उपनियम (i),(ii),(iii) में निहित प्रावधानों के तहत घोर अनुशासनहीनता अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है। डॉ. एस.के. सरल तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–देवास (वर्तमान में जिला–धार) के विरूद्ध संभाग से अन्यत्र पदस्थ होने से प्रस्ताव स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल को भेजा गया है।

अतः डॉ. राकेश कुमार सक्सेना नेत्ररोग विशेषज्ञ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला–देवास के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम [illegible] अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

कलेक्टर
जिला–देवास म.प्र.

क्रमांक / स्थापना / 2019 / 10359 देवास, दिनांक 5.7.19

प्रतिलिपि :–

स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–देवास म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर (शिकायत) जिला देवास म.प्र.

क्रमांक 713 / शिका. / पीजीआर / 2019 देवास दिनांक 05 / 07 / 2019

प्रति,

1. प्रमुख सचिव,
   स्वास्थ्य सेवायें,
   म. प्र. शासन, भोपाल
2. आयुक्त,
   स्वास्थ्य सेवाये,
   म. प्र. शासन,भोपाल
3. आयुक्त,
   उज्जैन संभाग उज्जैन
4. संचालक,
   जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ,
   भोपाल म. प्र.

विषय :– जननी सुरक्षा योजना का लाभ न मिलने बाबद।

संदर्भ :– मा. मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त शिकायत कमांक 1000002719, pre दिनांक 05.07.2019

———000———

उपर्युक्त विषयांतर्गत **माननीय मुख्यमंत्री के जन अधिकार कार्यकम** के अंतर्गत शिकायत का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.10.2018 को शिकायतकर्ता श्री बलवानसिंह निवासी भलाईकलॉ तहसील सोनकच्छ जिला देवास द्वारा सी. एम. हेल्पलाईन कॉल सेंटर 181 पर इस आशय की शिकायत दर्ज करवाई गई कि दिनांक 12.11.2017 को उसकी पत्नि श्रीमती कविता बाई को जिला अस्पताल देवास में प्रसूति हुई है। जननी सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिये दिनांक 03.11.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है, किंतु आज दिनांक तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

2– उक्त शिकायत दिनांक 22.10.2018 को एल–1 अधिकारी डॉ. आर. के. सक्सेना, पद– सिविल सर्जन देवास द्वारा एल–1 अधिकारी के रूप में प्रतिवेदन पोर्टल पर दर्ज किया गया जो निम्नानुसार :–

" सिविल सर्जन शिकायतकर्ता को अवगत कार्य जाता हे की शासन से मिलने वाली जननी सुरक्षा की राशि के लिए ई–वित्त प्रवाह सॉफ्टवेयर से भुगतान हेतु निर्देश दिए हे लेखापाल द्वारा बताया गया हे की आपके द्वारा दिए गए खाते में १५ कार्य दिवस में राशि नियमानुसार हस्तांतरित कर दी जावेगी "

3– उक्त प्रतिवेदन पर सी. एम. हेल्पलाईन कॉल सेंटर 181 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन भविष्यात्मक निराकरण होने के कारण पुनः एल–1 स्तर पर लंबित किया गया। एल–1 अधिकारी द्वारा दिनांक 13.11.2018 तक शिकायत में कोई निराकरण न किये जाने

के परिणामस्वरूप शिकायत निरूत्तर लेवल –2 अधिकारी डॉ. एस. के. सरल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास को निराकरण हेतु अगले स्तर पर दिनांक 13.11.2018 को अंतरित हुई।

4– दिनांक 13.11.2018 से दिनांक 26.11.2018 तक एल–2 अधिकारी डॉ. एस. के. सरल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास द्वारा शिकायत में कोई निराकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप शिकायत निरूत्तर लेवल –3 अधिकारी डॉ. के. के. वास्कले, क्षैत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन को निराकरण हेतु अगले स्तर पर दिनांक 26.11.2018 को अंतरित हुई।

5– दिनांक 26.11.2018 से दिनांक 17.12.2018 तक एल–3 अधिकारी डॉ. के. के. वास्कले, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा शिकायत में कोई निराकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप शिकायत निरूत्तर अंतरित होते हुए एल–4 स्तर पर अंतरित हुई। दिनांक 22.12.2018 को एल–4 स्तर पर " **सिविल सर्जन शिकायतकर्ता को अवगत कार्य जाता हे की शासन से मिलने वाली जननी सुरक्षा की राशि के लिए ई–वित्त प्रवाह सॉफ्टवेयर से भुगतान हेतु निर्देश दिए हे लेखापाल द्वारा बताया गया हे की आपके द्वारा दिए गए खाते में १५ कार्य दिवस में राशि नियमानुसार हस्तांतरित कर दी जावेगी** " दर्ज कर शिकायत को बंद कर दिया गया।

वर्तमान स्थिति – जननी सुरक्षा योजना में पात्रतानुसार राशि रू. 1400/– अक्षरी चौदह सौ रूपये शिकायतकर्ता की पत्नि श्रीमती कविता बाई का खाता बंद होने से शिकायतकर्ता के आई.डी.बी.आई बैंक के अन्य खाता कमांक 032104000254069 में आज दिनांक 05.07.2019 को जमा कर दी गई है। तत्कालीन लेखापाल श्री अनिल वर्मा अन्य अनियमितताओं के कारण पूर्व में ही दिनांक 14.05.2019 को सेवा से पृथक किया जा चुका है। सिविल सर्जन डॉ. आर. के. सक्सेना के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन को एवं तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. के. सरल के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किया जा रहा है।

प्रतिवेदन सादर प्रेषित।

कलेक्टर,
जिला देवास

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.7/देवास/एस.सी.एन./2019/2065 भोपाल, दिनांक 10/7/2019

प्रति,

डॉ.एस.के.सरल,
तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–देवास,मध्यप्रदेश।

वर्तमान में :–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–धार,मध्यप्रदेश।

द्वारा :– क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।

विषयः–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :– डॉ.एस.के.सरल, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार, मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम,16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00–00

यह कि आप डॉ.एस.के.सरल जिला धार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ है। कलेक्टर, जिला देवास ने पत्र कमांक./स्वा.स्थापना/2019/10360/दिनांक 5.7.2019 **(परिशिष्ट–एक)** स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख किया कि जन अधिकार सुनवाई कमांक.1000002719 पी.आ.ई.दिनांक 5.7.2019 सी.एम.हैल्पलाईन शिकायत कमांक.7210836 दिनांक 22.10.2018 को संज्ञान में लेते हुये शिकायतकर्ता बलवान सिंह निवासी टोंकखुर्द ब्लॉक सोनकच्छ जिला देवास द्वारा इस आशय की शिकायत की गई कि हितग्राही कविताबाई पति श्री बलवानसिंह की प्रसूति दिनांक 12.11.2017 को एम.जी.अस्पताल देवास में हुई थी जिनका आवेदन दिनांक 13.11.2017 है। परन्तु दिनांक 04 जुलाई 2019 तक जननी सुरक्षा योजना राशि का भुगतान हितग्राही कविताबाई को नहीं किया गया।

कलेक्टर, देवास द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को प्रेषित पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि हितग्राही श्रीमती कविताबाई को भुगतान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुये समय पर नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप लगभग 30 माह पश्चात भुगतान नहीं किये जाने संबंधी शिकायत प्रकाश में आने के पश्चात् किया गया ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम –3 के उप नियम, एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लधुशास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना , एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

प्रमुख सचिव,स्वास्थ्य द्वारा आदेशित।

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.7/देवास/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल,मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
3. संचालक,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,स्थानीय कार्यालय।
4. कलेक्टर, धार/देवास, मध्यप्रदेश ।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
6. उप संचालक,मातृ स्वास्थ्य एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल, की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में आपके द्वारा प्रेषित टीप दिनांक 8.7.2019 के संदर्भ में प्रेषित।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार डॉ.एस.के.सरल को तामिली कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावें तथा जारी नोटिस की प्रविष्टी संबंधित की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की प्रमाणित प्रति तथा प्रतिवाद उत्तर उनसे प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला देवास,मध्यप्रदेश।
9. संभागीय कोष एवं लेखा इन्दौर/उज्जैन संभाग मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला धार/देवास, मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साईट पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(7)

कार्यालय कलेक्टर जिला–देवास म.प्र.

क्रमांक/स्वा.स्थापना/2019/10360 देवास, दिनांक 5-7-19

प्रति,

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
म.प्र.

विषय :– अनुशासनात्मक कार्यवाही – डॉ. एस.के. सरल, नेत्ररोग विशेषज्ञ, तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला–देवास (वर्तमान में जिला–धार) बाबत्।

कृपया विषयान्तर्गत जन अधिकार सुनवाई क्रमांक 1000002719, Pre दिनांक 05–07–2019 सी.एम. हेल्पलाईन शिकायत क्रमांक 7210836 दिनांक 22/10/2018 को संज्ञान में लिया गया है। शिकायतकर्ता बलवान सिंह जी निवासी टोंकखुर्द ब्लाक सोनकच्छ जिला–देवास मोबाईल नं. 8319202870 द्वारा शिकायत की गई कि शितग्रही कविताबाई पति बलवानसिंह की प्रसूति दिनांक 12–11–2017 को एम. जी. अस्पताल देवास में हुई थी, आवेदन दिनांक 13–11–2017 है परंतु दिनांक 04 जुलाई 2019 तक जननी सुरक्षा योजना राशि का भुगतान नहीं हुआ था। उक्त भुगतान लगभग 19 माह पश्चात् होना ही शिकायत प्रकाश में आने के उपरांत किया गया है।

इस संबंध में एस–1 अधिकारी डॉ. राकेश कुमार शर्मा नेत्ररोग विशेषज्ञ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला–देवास एवं एस–2 अधिकारी डॉ. एस.के. सरल, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–देवास को प्रथम दृष्टया कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। इनका यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम तीन के उपनियम (1)(ii)(iii) में निहित प्रावधानों के तहत घोर अनुशासनहीनता अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है। डॉ. राकेश कुमार शर्मा नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला देवास के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव संभागायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा गया है।

अतः डॉ. एस.के. सरल, नेत्ररोग विशेषज्ञ, तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला–देवास (वर्तमान में जिला–धार) के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

कलेक्टर
जिला–देवास म.प्र.

क्रमांक/स्थापना/2019/10361 देवास, दिनांक 5-7-19

प्रतिलिपि :–

आयुक्त (राजस्व) उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला–देवास म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर (शिकायत) जिला देवास म.प्र.

क्रमांक 713 / शिका. / पीजीआर / 2019 देवास दिनांक 05 / 07 / 2019

प्रति,

1. प्रमुख सचिव,
   स्वास्थ्य सेवायें,
   म. प्र. शासन, भोपाल
2. आयुक्त,
   स्वास्थ्य सेवाये,
   म. प्र. शासन,भोपाल
3. आयुक्त,
   उज्जैन संभाग उज्जैन
4. संचालक,
   जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ,
   भोपाल म. प्र.

विषय :– जननी सुरक्षा योजना का लाभ न मिलने बाबद्।

संदर्भ :– मा. मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त शिकायत कमांक 1000002719, pre दिनांक 05.07.2019

———000———

उपर्युक्त विषयांतर्गत **माननीय मुख्यमंत्री के जन अधिकार कार्यक्रम** के अंतर्गत शिकायत का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.10.2018 को शिकायतकर्ता श्री बलवानसिंह निवासी भलाईकलॉ तहसील सोनकच्छ जिला देवास द्वारा सी. एम. हेल्पलाईन कॉल सेंटर 181 पर इस आशय की शिकायत दर्ज करवाई गई कि दिनांक 12.11.2017 को उसकी पत्नि श्रीमती कविता बाई को जिला अस्पताल देवास में प्रसूति हुई है। जननी सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिये दिनांक 03.11.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है, किंतु आज दिनांक तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

2– उक्त शिकायत दिनांक 22.10.2018 को एल–1 अधिकारी डॉ. आर. के. सक्सेना, पद– सिविल सर्जन देवास द्वारा एल–1 अधिकारी के रूप में प्रतिवेदन पोर्टल पर दर्ज किया गया जो निम्नानुसार :–

" सिविल सर्जन शिकायतकर्ता को अवगत कार्य जाता हे की शासन से मिलने वाली जननी सुरक्षा की राशि के लिए ई–वित्त प्रवाह सॉफ्टवेयर से भुगतान हेतु निर्देश दिए हे लेखापाल द्वारा बताया गया हे की आपके द्वारा दिए गए खाते में १५ कार्य दिवस में राशि नियमानुसार हस्तांतरित कर दी जावेगी "

3– उक्त प्रतिवेदन पर सी. एम. हेल्पलाईन कॉल सेंटर 181 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन भविष्यात्मक निराकरण होने के कारण पुनः एल–1 स्तर पर लंबित किया गया। एल–1 अधिकारी द्वारा दिनांक 13.11.2018 तक शिकायत में कोई निराकरण न किये जाने

के परिणामस्वरूप शिकायत निरूत्तर लेवल –2 अधिकारी डॉ. एस. के. सरल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास को निराकरण हेतु अगले स्तर पर दिनांक 13.11.2018 को अंतरित हुई।

4– दिनांक 13.11.2018 से दिनांक 26.11.2018 तक एल–2 अधिकारी डॉ. एस. के. सरल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास द्वारा शिकायत में कोई निराकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप शिकायत निरूत्तर लेवल –3 अधिकारी डॉ. के. के. वास्कले, क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन को निराकरण हेतु अगले स्तर पर दिनांक 26.11.2018 को अंतरित हुई।

5– दिनांक 26.11.2018 से दिनांक 17.12.2018 तक एल–3 अधिकारी डॉ. के. के. वास्कले, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा शिकायत में कोई निराकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप शिकायत निरूत्तर अंतरित होते हुए एल–4 स्तर पर अंतरित हुई। दिनांक 22.12.2018 को एल–4 स्तर पर <u>सिविल सर्जन शिकायतकर्ता को अवगत कार्य जाता हे की शासन से मिलने वाली जननी सुरक्षा की राशि के लिए ई–वित्त प्रवाह सॉफ्टवेयर से भुगतान हेतु निर्देश दिए हे, लेखापाल द्वारा बताया गया हे की आपके द्वारा दिए गए खाते में १५ कार्य दिवस में राशि नियमानुसार हस्तांतरित कर दी जावेगी</u> दर्ज कर शिकायत को बंद कर दिया गया।

वर्तमान स्थिति – जननी सुरक्षा योजना में पात्रतानुसार राशि रू. 1400/– अक्षरी चौदह सौ रूपये शिकायतकर्ता की पत्नि श्रीमती कविता बाई का खाता बंद होने से शिकायतकर्ता के आई.डी.बी.आई बैंक के अन्य खाता कमांक 0321040000254069 में आज दिनांक 05.07.2019 को जमा कर दी गई है। तत्कालीन लेखापाल श्री अनिल वर्मा अन्य अनियमितताओं के कारण पूर्व में ही दिनांक 14.05.2019 को सेवा से पृथक किया जा चुका है। सिविल सर्जन डॉ. आर. के. सक्सेना के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन को एवं तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. के. सरल के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किया जा रहा है।

प्रतिवेदन सादर प्रेषित।

कलेक्टर,
जिला देवास

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.6/शिका/सेल.4/जिला–दमोह/2019/1733 भोपाल, दिनांक 20/6/19

प्रति,

श्री एल.एन.जड़िया,
तत्कालीन कय लिपिक,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,दमोह
मध्यप्रदेश।

द्वारा :– क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर संभाग,सागर, मध्यप्रदेश।

विषयः– श्री एल.एन.जड़िया, तत्कालीन कय लिपिक,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह,मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्य प्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम,16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00–00

यह कि आप श्री एल.एन.जड़िया जिला दमोह में दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2015 की अवधि में कय लिपिक के पद पर पदस्थ थे।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक.6/ऑडिट/2017/543 दिनांक 18.08.2017 के परिपालन में संचालनालय का तीन सदस्यीय जांच दल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह के कार्यालय में उपस्थित होकर वित्तीय वर्ष 2014–2015 में कय की गई औषधि/सामग्री एवं उपकरणों के एन.एच.एम.के लंबित देयक एवं राज्य बजट से लंबित देयक एवं एन.एच.एम.दमोह द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में जारी किये गये कय आदेश एवं उनके विरूद्ध किये गये भुगतान की जांच उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के आधार पर दिनांक 4.9.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय दमोह में उपस्थित होकर की गई एवं जांच प्रतिवेदन (प्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नानुसार कमियां पाई गई :–

बिन्दु कमांक.1 :–

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह में कुछ प्रकरणों कोटेशन में स्वीकृत फर्म के अतिरिक्त अन्य फर्मो से टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत दरों पर राशि रूपये 40,58,124/–की सामग्री एवं औषधि का कय करते हुये आपने शासन को वित्तीय हानि पहुँचाई गई।

बिन्दु कमांक.2 :–

एस.डी.एम.आई.एस.में एंटी रेबीज वेक्सीन की दर उपलब्ध होने के बावजूद आपने अन्य फर्मो से राशि रूपये 2,51,853/–रूपये के एंटी रेबीज वेक्सीन का कय करते हुये आपने शासन को वित्तीय हानि पहुँचाते हुये दवा नीति वर्ष 2009 का पालन नहीं किया गया।

बिन्दु कमांक.3 :–

यह कि सामग्री प्राप्ति दिनांक 29.12.2014 है जबकि सामग्री कय आदेश दिनांक 05.01.2015 है अतः राशि रूपये 1,48,000/–की सामग्री का आदेश जारी होने के पूर्व ही प्राप्त होना संदेह की परिधि में आता है एवं अनियमितता का धोतक है।

बिन्दु कमांक.4 :–

म.प्र. खादीग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत ग्रामोद्योग भण्ड़ार एम्पोरियम, छिन्दवाड़ा को सीधे राशि रूपये 3,35,000/–के कय आदेश जारी किये गये जो भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन है।

निरन्तर.....2

20/6/19

बिन्दु कमांक.5 :–

मेडिनोवा जबलपुर से बेसिक मशीन मास्क जेल फेस मास्क राशि रूपये 2,54,520/–का क्रय बगैर टेण्डर कोटेशन से किया गया जिसमें वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति नहीं ली गई न ही भण्ड़ार क्रय नियमों का पालन किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.6 :–

शासकीय मुद्रणालय से एन.ओ.सी.प्राप्त किये बिना आपके द्वारा राशि रूपये 3,70,783/–का अशासकीय संस्था से मुद्रण करते हुये आपके द्वारा शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.7 :–

मृगनयनी एम्पोरियम को राशि रूपये 30,89,770/–के क्रय आदेश जारी किये गये जिसमें आपके द्वारा भण्ड़ार क्रय नियमों का उल्लंधन करते हुये शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.8 :–

टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म को जिसकी दर को स्वीकृत नहीं किया गया था राशि रूपये 7,83,381/–के क्रय आदेश जारी किये गये जो कि भण्ड़ार क्रय नियमों का उल्लंधन है।

बिन्दु कमांक.9 :–

नमूना जांच में मांग पत्र दिनांक 19.01.2015 में ग्ल्यूकोमीटर की उपलब्धता निरंक दर्शाई गई है जबकि स्टॉक रजिस्टर में 7,998 ग्ल्यूकोमीटर के पीसेस शेष दर्शाये गये। इस प्रकार आपके द्वारा सामग्री होते हुये भी गलत जानकारी देकर अनावश्यक मांग की गई।

बिन्दु कमांक.10 :–

राज्य बजट में लंबित देयकों में से कोटेशन/टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म से राशि रूपये 5,04,974/–के क्रय आदेश जारी किये गये शेष देयक संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार आपके द्वारा भण्ड़ार क्रय नियमों का उल्लंधन कर वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

उपरोक्त संपूर्ण बिन्दुओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके द्वारा उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं में भण्ड़ार क्रय नियम एवं दवा नीति वर्ष 2009 का उल्लंधन करके आपने वित्तीय अनियमितता करते हुये शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

इस प्रकार आपके द्वारा उक्त कृत्य करके आपने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 के उप नियम, एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) व भण्डार क्रय नियमों के साथ ही दवा नीति वर्ष 2009 का स्पष्ट उल्लंधन करते हुये स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः आप कारण बतावें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 10 के अंतर्गत लधुशास्ति अधिरोपित की जावें। अतः आप दिनांक 08.07.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवाद उत्तर एवं अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। यदि आपका उत्तर उक्त दिनांक को प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रकरण में अंतिम निर्णय ले लिया जावेगा।

7/7/19

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....3

पृ.कमांक.6/शिका./सेल.4/जिला–दमोह/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित्।
2. कलेक्टर,दमोह,मध्यप्रदेश।
3. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. अतिरिक्त संचालक,वित्त, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण के संदर्भ में प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर दिसंबर 2017 की अवधि में आपको आबंटित प्रश्न कमांक.807 से उद्भूत आश्वासन कमांक.1634 एवं दिसंबर 2017 की अवधि में ही आबंटित प्रश्न कमांक.1521 से उद्भूत लंबित आश्वासन कमांक.1639 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. उप संचालक,विधान सभा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर दिसंबर 2017 की अवधि में एन. एच.एम.को आबंटित प्रश्न कमांक.807 से उद्भूत आश्वासन कमांक.1634 एवं दिसंबर 2017 की अवधि में ही एन.एच.एम.को आबंटित प्रश्न कमांक.1521 से उद्भूत लंबित आश्वासन कमांक.1639 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस श्री एल.एन.जड़िया, तत्कालीन कय लिपिक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
10. संभागीय कोष एवं लेखा सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश ।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड़ पर अपलोड़ करें।

19/6

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
(मध्यप्रदेश)

:: जांच प्रतिवेदन ::

विषयः— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एन.एच.एम. एवं राज्य बजट में वित्तीय 2014—15 में क्रय की गई औषधि एवं उपकरण के लंबित देयकों की जॉच/अंकेक्षण के संबंध में।

1—प्रस्तावनाः—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 6/आडिट/2017/543 दिनांक 18.08.2017 के परिपालन में संचालनालय का जांच दल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह के कार्यालय में जॉच हेतु दिनांक 04.09.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह कार्यालय में उपस्थित हुआ तत्पश्चात् जांच संबंधी कार्यवाही की गई :—

2—कार्य विवरणः—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह कार्यालय के पत्र क्रमांक स्था.अवि./9537 दिनांक 02.05.2017 के क्रम में संचालनालय की जांच दल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 में क्रय की गई औषधि/सामग्री एवं उपकरणों के एन.एच.एम. के लंबित देयक एवं राज्य बजट के लंबित देयक एवं एन.एच.एम. दमोह द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 में जारी किये गये क्रय आदेश एवं उनके विरूद्ध किये गए भुगतान की जांच की गई। उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो के अनुसार निम्नानुसार जांच का विवरण प्रस्तुत हैं।

3—कार्यप्रभारः—

वर्ष एवं 2014—15 में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह के कार्यालय में निम्नांकित अधिकारी कर्मचारी प्रभार में रहे :—

क्रं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	अवधि
1	डॉ0 ओ.पी. गौतम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	26.09.2013 से 10.04.2015
2	डॉ0 ओ.पी. गौतम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	26.09.2013 से 10.04.2015

3	डॉ0 बी.पी. अहिरवार / डॉ0 राकेश राय	भण्डार अधिकारी	वर्ष 2014–15
4	श्री अमित ठाकुर (प्रभारी)	जिला कार्यकम प्रबंधक	वर्ष 2014–15
5	श्री राजेश श्रीवास्तव	जिला लेखा प्रबंधक	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
6	श्री संजीव कुमार जैन	लेखापाल	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
7	श्री अविनाश तिवारी	कय लिपिक	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
8	श्री एल.एन. जड़िया	कय लिपिक	वर्ष 13.11.2014 से 28.07.2015 तक
9	कु. प्रिया यादव	स्टोर कीपर	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15

1. वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्रय की गई औषधि/सामग्री/उपकरण के लंबित देयकों संबंधी विवरण ।

बिन्दु–1:– वित्तीय वर्ष 2014–15 में जारी किये गये टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत फर्म के अतिरिक्त अन्य फर्म से टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत दरों राशि रू. 40,58,124/– की सामग्री एवं औषधियों का कय किया गया। जो कि औषधि नीति 2009 का एवं भण्डार कय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– कमांक–1 (विवरण)**

बिन्दु–2:– एस.डी.एम.आई.एस. में एण्टी रेबीज वैक्सीन की दर उपलब्ध होने के बावजूद अन्य फर्म से राशि रू. 2,51,853/– एण्टी रेबीज वैक्सीन का कय किया गया। **परिशिष्ट– कमांक–2 (विवरण)**

बिन्दु–3:– सामग्री कय हेतु दिनांक 05.01.2015 को कय आदेश जारी किए गए एवं सामग्री प्राप्ति का बिल दिनांक 29.12.2014 को ही प्रस्तुत किया गया। राशि रू. 1,48,000/– संदेहास्पद की परीधि में आकर घोर अनियमितता का धोतक हैं। **परिशिष्ट– कमांक–3 (विवरण)**

बिन्दु–4:– म.प्र. खादीग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत खादी ग्रामोद्योग भण्डार/एम्पोरियम, छिंदवाड़ा से बेडशीट का सीधे क्रय किया गया । जो कि भण्डार क्रय नियमों में आरक्षित आयटम एवं अधिकृत संस्था नहीं हैं। राशि रू. 3,35,000/– **परिशिष्ट– कमांक–4 (विवरण)**

बिन्दु–5:– राशि रू. 3,90,783/– का मुद्रण कार्य किया गया। मुद्रण कार्य हेतु शासकीय मुद्रणालय को आर्डर नहीं दिया गया न ही एन.ओ.सी. प्राप्त की, समस्त कार्य अशासकीय संस्थाओं से किया गया। जो कि भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– कमांक–5 (विवरण)**

बिन्दु–6:– मेडिनोवा जबलपुर द्वारा प्रस्तुत स्पेशिफिकेशन एवं पत्रक के आधार पर बेसिक मशीन मास्क जेल फेस मास्क राशि रू. 2,54,520/– का क्रय किया गया । इस हेतु न हीं टेण्डर, कोटेशन प्राप्त किये गये न हीं वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति प्राप्त की गई। **परिशिष्ट– कमांक–6 (विवरण)**

बिन्दु–7:– मृगनयनी एम्पोरियम को सामग्री क्रय हेतु राशि रू. 30,89,770/– के क्रय आदेश जारी किये गये। जिसका कनवर्शन मृगनयनी द्वारा क्रमशः कोजी ट्रेडर्स ग्वालियर, शिवा मेडिकल जबलपुर, सुपर सेल्स कार्पोरेशन जबलपुर को किया गया । उक्त सामग्री का प्रदाय इन्हीं संस्था के द्वारा किया गया। भण्डार क्रय नियमानुसार मृगनयनी एम्पोनियम उक्त सामग्री प्रदाय हेतु अधिकृत नहीं हैं न हीं उक्त संस्था को सामग्री क्रय हेतु कनवर्शन किये जाने का अधिकार हैं। भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन किया गया। **परिशिष्ट– कमांक–8 (विवरण)**

बिन्दु–8:– टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म को जिसकी दर को स्वीकृत नहीं किया गया था राशि रू. 7,83,381/– के क्रय आदेश जारी किये गये। जो कि भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– कमांक–9 (विवरण)**

बिन्दु–9:– नमूना जांच में मांग पत्र एवं स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जिसमें भण्डार शाखा द्वारा मांग पत्र दिनांक 19.01.2015 में ग्लूकोमीटर की उपलब्धता मिल दर्शाई गई हैं जबकि स्टॉक रजिस्टर में 07.01.2015 में 7,998/– ग्लूकोमीटर के पीसेज शेष दर्शाये गये हैं। जो आवश्यकता न होने पर भी क्रय किया गया। **परिशिष्ट– कमांक–10 (विवरण)**

बिन्दु–10:– राज्य बजट में लंबित देयकों में से कोटेशन/टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म से राशि रू. 5,04,974/– के क्रय आदेश जारी किये गये शेष देयक कमांक 1005, 1008, 1009, 1012, 361, 366, 367, 37816, 1726 के देयक संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कराये गये। **परिशिष्ट– कमांक–10 (विवरण)**

2. वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्रय की गई औषधि/सामग्री/उपकरण का आर.सी.एच./एन.एच.एम. से किया गया कय एवं भुगतान संबंधी विवरण ।

बिन्दु–1:– वित्तीय वर्ष 2014–15 की एन.एच.एम. अन्तर्गत जिलें को स्वीकृत कार्ययोजना में उपार्जन मद में मुख्य रूप से राशि 350.44 लाख रूपयें की स्वीकृति जारी की गई थी जिसके विरूद्ध एफ.एम.आई.एस. की रिर्पोट अनुसार राशि 320.83 लाख रूपयें का व्यय किया गया है। परिशिष्ट– कमांक–1 (विवरण)

बिन्दु–2:– उपरोक्त स्वीकृत बजट का उपयोग म.प्र. दवा नीति 2009 एवं राज्य स्तर के निर्देशानुसार किया जाना था । लेखों के परीक्षण में ज्ञात हुआ कि उपार्जन मद में जिले द्वारा लगभग राशि 366.46 लाख रूपयें का व्यय किया गया है ।

बिन्दु–3:– कुल स्वीकृति में से **मिशन फलैक्सीपूल (एन.एच.एम.) अन्तर्गत** उपार्जन मद में कुल राशि 292.54 लाख रूपयें की स्वीकृति जिले को प्राप्त हुई थीं । केशबुक के अनुसार एन.एच.एम. बैंक खाते से उपार्जन मद में कुल राशि 247.45 लाख रूपयें का व्यय किया है । जिसमें से राशि 82.83 लाख रूपयें का व्यय राज्य स्तर से–स्वीकृत दरों (टी.एन.एम.एस.सी.) पर किया गया है एवं राशि 164.62 लाख रूपयें का व्यय जिला स्तर से विभिन्न प्रकियाओं के माध्यम से किया गया है । **28 प्रतिशत टीएनएमएससी से कय एवं 56 प्रतिशत स्थानीय कय किया गया।**

बिन्दु–4:– कुल स्वीकृति में से **आर.सी.एच. अन्तर्गत** उपार्जन मद में कुल राशि 57.90 लाख रूपयें की स्वीकृति जिले को प्राप्त हुई थी । केशबुक के अनुसार आर.सी.एच. बैंक खाते से उपार्जन मद में कुल राशि 118.99 लाख रूपयें का व्यय किया है । जिसमें से राशि 9.01 लाख रूपयें का व्यय राज्य स्तर से स्वीकृत दरों (टी.एन.एम.एस.सी.) पर किया गया है एवं राशि 109.97 लाख रूपयें का व्यय जिला स्तर से विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है । **15 प्रतिशत टीएनएमएससी से कय एवं 190 प्रतिशत स्थानीय कय किया गया।** परिशिष्ट– कमांक–4 (विवरण)

बिन्दु–5:– राशि 36.60 लाख रूपयें के कयादेश वित्तीय वर्ष 2013–14 में जारी किया गया था जिनका भुगतान वित्तीय वर्ष 2014–15 में किया गया है ।

बिन्दु–6:– समस्त कय प्रकियां में शासन के म.प्र. भंडार कय नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया है । म.प्र. दवा नीति अनुसार 80:20 अनुपात का पालन नही किया गया है ।

(निष्कर्ष)

1. कुछ प्रकरणों में टेण्डर प्रक्रिया में शामिल फर्मो की स्वीकृति दरो से सामग्री/औषधियों का क्रय न कर अन्य फर्म (जो टेण्डर प्रक्रिया में शामिल नहीं) से क्रय कर भण्डार क्रय नियमों का उल्लघंन किया गया।

2. मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत ग्रामोंद्योग भण्डार एम्पोरियम, छिन्दवाड़ा को सीधे क्रय आदेश किया गया जो की भण्डार क्रय नियमों का उल्लघंन है।

3. समाग्री प्राप्ति दिनांक 29.12.2014 है जबकि सामग्री क्रय आदेश दिनांक 05.01.2015 हैं, अर्थात सामग्री कय आदेश जारी होने के पूर्व ही प्राप्त हुई संदेहास्पद की परीधि में आकर अनियमितता का घोतक है।

4. मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालय से न कराकर अशासकीय संस्थाओं से कराया गया। जो भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन है। अशासकीय संस्थाओं से कार्य कराने के पूर्व शासकीय मुद्रणालय से N.O.C प्राप्त की जानी थी।

5. रूपये 2,54,520/-, का सामग्री क्रय किया गया जिस हेतु टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया नही की गई ।

6. मृगनयनी एम्पोरियम से सामग्री क्रय की गई है। जिसका कनवर्शन मृगनयनी एम्पोरियम द्वारा जारी किया, उक्त सामग्री प्रदाय हेतु मृगनयनी एम्पोरियम अधिकृत नहीं है।

7. मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक/एन.एच.एम./वित्त/2015/12694, भोपाल दिनांक 16.11.2015 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह को निर्देशित किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के एन.एच.एम. अन्तर्गत लंबित देयक राशि 1.90 करोड का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत बजट से किया जायें, किंतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह द्वारा निर्देशों के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया । 28.29

8. पुनः एन.एच.एम. के पत्र कमांक/एन.एच.एम./वित्त शाखा/2016/1562, भोपाल दिनांक 12.2.2016 से बिंदु कमांक 07 के संदर्भ में निर्देशित किया गया था लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह द्वारा भुगतान नहीं किया गया ।

9. एन.एच.एम. बजट अन्तर्गत लंबित देयकों के संबंध में कयादेश जारी होने के उपरांत संबधित फर्म द्वारा सामग्री/औषधि का प्रदाय किया गया। अतः संबंधित फर्मो को भुगतान करने पर विचार किया जा सकता हैं।

कनिष्ठ
लेखा परीक्षक
(प्रभाकर होड़ु)

राज्य लेखा प्रबंधक
एन.एच.एम.
(रामदीप [illegible])

लेखा अधिकारी
(संतोष [illegible])

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.6/शिका/सेल.4/जिला–दमोह/2019/1731 भोपाल, दिनांक 20/6/19

प्रति,

श्री अविनाश तिवारी,
तत्कालीन कय लिपिक,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,दमोह
मध्यप्रदेश।

वर्तमान में :–फार्मासिस्ट कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला दमोह।

द्वारा :– क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर संभाग,सागर, मध्यप्रदेश।

विषयः– श्री अविनाश तिवारी, तत्कालीन कय लिपिक,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह, मध्यप्रदेश वर्तमान में फार्मासिस्ट,कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला दमोह के विरूद्ध मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम,16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00–00

यह कि आप श्री अविनाश तिवारी, जिला दमोह में दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03. 2015 की अवधि में कय लिपिक के पद पर पदस्थ थे वर्तमान में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,दमोह में पदस्थ है।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक.6/ऑडिट/2017/543 दिनांक 18.08.2017 के परिपालन में संचालनालय का तीन सदस्यीय जांच दल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह के कार्यालय में उपस्थित होकर वित्तीय वर्ष 2014–2015 में कय की गई औषधि/ सामग्री एवं उपकरणों के एन.एच.एम.के लंबित देयक एवं राज्य बजट से लंबित देयक एवं एन.एच.एम.दमोह द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में जारी किये गये कय आदेश एवं उनके विरूद्ध किये गये भुगतान की जांच उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के आधार पर दिनांक 4.9.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय दमोह में उपस्थित होकर की गई एवं जांच प्रतिवेदन (प्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नानुसार कमियां पाई गई :–

बिन्दु कमांक.1 :–

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह में कुछ प्रकरणों कोटेशन में स्वीकृत फर्म के अतिरिक्त अन्य फर्मो से टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत दरों पर राशि रूपये 40,58,124/–की सामग्री एवं औषधि का कय करते हुये आपने शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.2 :–

एस.डी.एम.आई.एस.में एंटी रेबीज वेक्सीन की दर उपलब्ध होने के बावजूद आपने अन्य फर्मो से राशि रूपये 2,51,853/–रूपये के एंटी रेबीज वेक्सीन का कय करते हुये आपने शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाते हुये दवा नीति वर्ष 2009 का पालन नहीं किया गया।

बिन्दु कमांक.3 :–

यह कि सामग्री प्राप्ति दिनांक 29.12.2014 है जबकि सामग्री कय आदेश दिनांक 05.01.2015 है अतः राशि रूपये 1,48,000/–की सामग्री का आदेश जारी होने के पूर्व ही प्राप्त होना संदेह की परिधि में आता है एवं अनियमितता का धोतक है।

बिन्दु कमांक.4 :–

म.प्र. खादीग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत ग्रामोद्योग भण्ड़ार एम्पोरियम, छिन्दवाड़ा को सीधे राशि रूपये 3,35,000/–के कय आदेश जारी किये गये जो भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन है।

निरन्तर.....2

8/10/16

बिन्दु कमांक.5 :–

मेडिनोवा जबलपुर से बेसिक मशीन मास्क जेल फेंस मास्क राशि रूपये 2,54,520/–का क्रय बगैर टेण्डर कोटेशन से किया गया जिसमें वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति नहीं ली गई न ही भण्ड़ार क्रय नियमों का पालन किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.6 :–

शासकीय मुद्रणालय से एन.ओ.सी.प्राप्त किये बिना आपके द्वारा राशि रूपये 3,70,783/–का अशासकीय संस्था से मुद्रण करते हुये आपके द्वारा शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.7 :–

मृगनयनी एम्पोरियम को राशि रूपये 30,89,770/–के क्रय आदेश जारी किये गये जिसमें आपके द्वारा भण्ड़ार क्रय नियमों का उल्लंधन करते हुये शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.8 :–

टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म को जिसकी दर को स्वीकृत नहीं किया गया था राशि रूपये 7,83,381/–के क्रय आदेश जारी किये गये जो कि भण्ड़ार क्रय नियमों का उल्लंधन है।

बिन्दु कमांक.9 :–

नमूना जांच में मांग पत्र दिनांक 19.01.2015 में ग्ल्यूकोमीटर की उपलब्धता निरंक दर्शाई गई है जबकि स्टॉक रजिस्टर में 7,998 ग्ल्यूकोमीटर के पीसेस शेष दर्शाये गये। इस प्रकार आपके द्वारा सामग्री होते हुये भी गलत जानकारी देकर अनावश्यक मांग की गई।

बिन्दु कमांक.10 :–

राज्य बजट में लंबित देयकों में से कोटेशन/टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म से राशि रूपये 5,04,974/–के क्रय आदेश जारी किये गये शेष देयक संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार आपके द्वारा भण्ड़ार क्रय नियमों का उल्लंधन कर वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

उपरोक्त संपूर्ण बिन्दुओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके द्वारा उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं में भण्ड़ार क्रय नियम एवं दवा नीति वर्ष 2009 का उल्लंधन करके आपने वित्तीय अनियमितता करते हुये शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

इस प्रकार आपके द्वारा उक्त कृत्य करके आपने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 के उप नियम, एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) व भण्डार क्रय नियमों के साथ ही दवा नीति वर्ष 2009 का स्पष्ट उल्लंधन करते हुये स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः आप कारण बतावें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 10 के अंतर्गत लधुशास्ति अधिरोपित की जावें। अतः आप दिनांक 08.07.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवाद उत्तर एवं अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। यदि आपका उत्तर उक्त दिनांक को प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रकरण में अंतिम निर्णय ले लिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....3

पृ.क्रमांक.6/शिका./सेल.4/जिला–दमोह/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित्।
2. कलेक्टर,दमोह,मध्यप्रदेश।
3. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. अतिरिक्त संचालक,वित्त, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण के संदर्भ में प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर दिसंबर 2017 की अवधि में आपको आबंटित प्रश्न क्रमांक.807 से उद्भूत आश्वासन क्रमांक.1634 एवं दिसंबर 2017 की अवधि में ही आबंटित प्रश्न क्रमांक.1521 से उद्भूत लंबित आश्वासन क्रमांक.1639 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. उप संचालक,विधान सभा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर दिसंबर 2017 की अवधि में एन. एच.एम.को आबंटित प्रश्न क्रमांक.807 से उद्भूत आश्वासन क्रमांक.1634 एवं दिसंबर 2017 की अवधि में ही एन.एच.एम.को आबंटित प्रश्न क्रमांक.1521 से उद्भूत लंबित आश्वासन क्रमांक.1639 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस श्री अविनाश तिवारी, तत्कालीन कय लिपिक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह वर्तमान में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,दमोह को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
9. संभागीय कोष एवं लेखा सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड़ पर अपलोड़ करें।

8/1/6

आयुक्त स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
(मध्यप्रदेश)

:: जांच प्रतिवेदन ::

विषयः— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एन.एच.एम. एवं राज्य बजट में वित्तीय 2014—15 में कय की गई औषधि एवं उपकरण के लंबित देयकों की जॉच/अंकेक्षण के संबंध में।

1—प्रस्तावनाः—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक 6/आडिट/ 2017/543 दिनांक 18.08.2017 के परिपालन में संचालनालय का जांच दल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह के कार्यालय में जॉच हेतु दिनांक 04.09.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह कार्यालय में उपस्थित हुआ तत्पश्चात् जांच संबंधी कार्यवाही की गई :—

2—कार्य विवरणः—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह कार्यालय के पत्र कमांक स्था.अवि./9537 दिनांक 02.05.2017 के कम में संचालनालय की जांच दल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 में कय की गई औषधि/सामग्री एवं उपकरणों के एन.एच.एम. के लंबित देयक एवं राज्य बजट के लंबित देयक एवं एन.एच.एम. दमोह द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 में जारी किये गये कय आदेश एवं उनके विरुद्ध किये गए भुगतान की जांच की गई। उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो के अनुसार निम्नानुसार जांच का विवरण प्रस्तुत हैं।

3—कार्यप्रभारः—

वर्ष एवं 2014—15 में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह के कार्यालय में निम्नांकित अधिकारी कर्मचारी प्रभार में रहे :—

कं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	अवधि
1	डॉ0 ओ.पी. गौतम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	26.09.2013 से 10.04.2015
2	डॉ0 ओ.पी. गौतम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	26.09.2013 से 10.04.2015

3	डॉ0 बी.पी. अहिरवार / डॉ0 राकेश राय	भण्डार अधिकारी	वर्ष 2014–15
4	श्री अमित ठाकुर (प्रभारी)	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	वर्ष 2014–15
5	श्री राजेश श्रीवास्तव	जिला लेखा प्रबंधक	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
6	श्री संजीव कुमार जैन	लेखापाल	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
7	श्री अविनाश तिवारी	कय लिपिक	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
8	श्री एल.एन. जड़िया	कय लिपिक	वर्ष 13.11.2014 से 28.07.2015 तक
9	कु. प्रिया यादव	स्टोर कीपर	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15

1. वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्रय की गई औषधि/सामग्री/उपकरण के लंबित देयकों संबंधी विवरण ।

बिन्दु–1:– वित्तीय वर्ष 2014–15 में जारी किये गये टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत फर्म के अतिरिक्त अन्य फर्म से टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत दरों राशि रू. 40,58,124/– की सामग्री एवं औषधियों का कय किया गया। जो कि औषधि नीति 2009 का एवं भण्डार कय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– कमांक–1 (विवरण)**

बिन्दु–2:– एस.डी.एम.आई.एस. में एण्टी रेबीज वैक्सीन की दर उपलब्ध होने के बावजूद अन्य फर्म से राशि रू. 2,51,853/– एण्टी रेबीज वैक्सीन का कय किया गया। **परिशिष्ट– कमांक–2 (विवरण)**

बिन्दु–3:– सामग्री कय हेतु दिनांक 05.01.2015 को कय आदेश जारी किए गए एवं सामग्री प्राप्ति का बिल दिनांक 29.12.2014 को ही प्रस्तुत किया गया। राशि रू. 1,48,000/– संदेहास्पद की परीधि में आकर घोर अनियमितता का धोतक हैं। **परिशिष्ट– कमांक–3 (विवरण)**

बिन्दु–4:– म.प्र. खादीग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत खादी ग्रामोद्योग भण्डार/एम्पोरियम, छिंदवाड़ा से बेडशीट का सीधे कय किया गया । जो कि भण्डार कय नियमों में आरक्षित आयटम एवं अधिकृत संस्था नहीं हैं। राशि रू. 3,35,000/– **परिशिष्ट– कमांक–4 (विवरण)**

बिन्दु–5:– राशि रू. 3,90,783/– का मुद्रण कार्य किया गया। मुद्रण कार्य हेतु शासकीय मुद्रणालय को आर्डर नहीं दिया गया न ही एन.ओ.सी. प्राप्त की, समस्त कार्य अशासकीय संस्थाओं से किया गया। जो कि भण्डार कय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– कमांक–5 (विवरण)**

बिन्दु–6:– मेडिनोवा जबलपुर द्वारा प्रस्तुत स्पेशिफिकेशन एवं पत्रक के आधार पर बेसिक मशीन मास्क जेल फेस मास्क राशि रू. 2,54,520/– का कय किया गया । इस हेतु न हीं टेण्डर, कोटेशन प्राप्त किये गये न हीं वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति प्राप्त की गई। **परिशिष्ट– कमांक–6 (विवरण)**

बिन्दु–7:– मृगनयनी एम्पोरियम को सामग्री कय हेतु राशि रू. 30,89,770/– के कय आदेश जारी किये गये। जिसका कनवर्शन मृगनयनी द्वारा कमशः कोजी ट्रेडर्स ग्वालियर, शिवा मेडिकल जबलपुर, सुपर सेल्स कार्पोरेशन जबलपुर को किया गया । उक्त सामग्री का प्रदाय इन्हीं संस्था के द्वारा किया गया। भण्डार कय नियमानुसार मृगनयनी एम्पोनियम उक्त सामग्री प्रदाय हेतु अधिकृत नहीं हैं न हीं उक्त संस्था को सामग्री कय हेतु कनवर्शन किये जाने का अधिकार हैं। भण्डार कय नियमों का उल्लंघन किया गया। **परिशिष्ट– कमांक–8 (विवरण)**

बिन्दु–8:– टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म को जिसकी दर को स्वीकृत नहीं किया गया था राशि रू. 7,83,381/– के कय आदेश जारी किये गये। जो कि भण्डार कय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– कमांक–9 (विवरण)**

बिन्दु–9:– नमूना जांच में मांग पत्र एवं स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जिसमें भण्डार शाखा द्वारा मांग पत्र दिनांक 19.01.2015 में ग्लूकोमीटर की उपलब्धता निल दर्शाई गई हैं जबकि स्टॉक रजिस्टर में 07.01.2015 में 7,998/– ग्लूकोमीटर के पीसेज शेष दर्शाये गये हैं। जो आवश्यकता न होने पर भी क्रय किया गया। **परिशिष्ट– कमांक–10 (विवरण)**

बिन्दु–10:– राज्य बजट में लंबित देयकों में से कोटेशन/टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म से राशि रू. 5,04,974/– के कय आदेश जारी किये गये शेष देयक कमांक 1005, 1008, 1009, 1012, 361, 366, 367, 37816, 1726 के देयक संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कराये गये। **परिशिष्ट– कमांक–10 (विवरण)**

(8)

2. वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्रय की गई औषधि/सामग्री/उपकरण का आर.सी.एच./एन.एच.एम. से किया गया क्रय एवं भुगतान संबंधी विवरण ।

बिन्दु–1:– वित्तीय वर्ष 2014–15 की एन.एच.एम. अन्तर्गत जिले को स्वीकृत कार्ययोजना में उपार्जन मद में मुख्य रूप से राशि 350.44 लाख रूपयें की स्वीकृति जारी की गई थी जिसके विरूद्ध एफ.एम.आई.एस. की रिर्पोट अनुसार राशि 320.83 लाख रूपयें का व्यय किया गया है। **परिशिष्ट– कमांक–1 (विवरण)**

बिन्दु–2:– उपरोक्त स्वीकृत बजट का उपयोग म.प्र. दवा नीति 2009 एवं राज्य स्तर के निर्देशानुसार किया जाना था । लेखों के परीक्षण में ज्ञात हुआ कि उपार्जन मद में जिले द्वारा लगभग राशि 366.46 लाख रूपयें का व्यय किया गया है ।

बिन्दु–3:– कुल स्वीकृति में से **मिशन फलैक्सीपूल (एन.एच.एम.) अन्तर्गत** उपार्जन मद में कुल राशि 292.54 लाख रूपयें की स्वीकृति जिले को प्राप्त हुई थी । केशबुक के अनुसार एन.एच.एम. बैंक खाते से उपार्जन मद में कुल राशि 247.45 लाख रूपयें का व्यय किया है । जिसमें से राशि 82.83 लाख रूपयें का व्यय राज्य स्तर से स्वीकृत दरों (टी.एन.एम.एस.सी.) पर किया गया है एवं राशि 164.62 लाख रूपयें का व्यय जिला स्तर से विभिन्न प्रकियाओं के माध्यम से किया गया है । **28 प्रतिशत टीएनएमएससी से क्रय एवं 56 प्रतिशत स्थानीय क्रय किया गया।**

बिन्दु–4:– कुल स्वीकृति में से **आर.सी.एच. अन्तर्गत** उपार्जन मद में कुल राशि 57.90 लाख रूपयें की स्वीकृति जिले को प्राप्त हुई थी । केशबुक के अनुसार आर.सी.एच. बैंक खाते से उपार्जन मद में कुल राशि 118.99 लाख रूपयें का व्यय किया है । जिसमें से राशि 9.01 लाख रूपयें का व्यय राज्य स्तर से स्वीकृत दरों (टी.एन.एम.एस.सी.) पर किया गया है एवं राशि 109.97 लाख रूपयें का व्यय जिला स्तर से विभिन्न प्रकियाओं के माध्यम से किया गया है । **15 प्रतिशत टीएनएमएससी से क्रय एवं 190 प्रतिशत स्थानीय क्रय किया गया।** **परिशिष्ट– कमांक–4 (विवरण)**

बिन्दु–5:– राशि 36.60 लाख रूपयें के क्रयादेश वित्तीय वर्ष 2013–14 में जारी किया गया था जिनका भुगतान वित्तीय वर्ष 2014–15 में किया गया है ।

बिन्दु–6:– समस्त क्रय प्रकिया में शासन के म.प्र. भंडार क्रय नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया है । म.प्र. दवा नीति अनुसार 80:20 अनुपात का पालन नही किया गया है ।

(निष्कर्ष)

1. कुछ प्रकरणों में टेण्डर प्रकिया में शामिल फर्मो की स्वीकृति दरो से सामग्री/औषधियों का क्रय न कर अन्य फर्म (जो टेण्डर प्रक्रिया में शामिल नहीं) से क्रय कर भण्डार क्रय नियमों का उल्लघंन किया गया।

2. मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत ग्रामोंद्योग भण्डार एम्पोरियम, छिन्दवाड़ा को सीधे क्रय आदेश किया गया जो की भण्डार क्रय नियमों का उल्लघंन है।

3. समाग्री प्राप्ति दिनांक 29.12.2014 है जबकि सामग्री क्रय आदेश दिनांक 05.01.2015 हैं, अर्थात सामग्री कय आदेश जारी होने के पूर्व ही प्राप्त हुई संदेहास्पद की परीधि में आकर अनियमितता का घोतक है।

4. मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालय से न कराकर अशासकीय संस्थाओं से कराया गया। जो भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन है। अशासकीय संस्थाओं से कार्य कराने के पूर्व शासकीय मुद्रणालय से N.O.C प्राप्त की जानी थी।

5. रूपये 2,54,520/– का सामग्री क्रय किया गया जिस हेतु टेण्डर/कोटेशन प्रकिया नही की गई ।

6. मृगनयनी एम्पोरियम से सामग्री क्रय की गई है। जिसका कनवर्शन मृगनयनी एम्पोरियम द्वारा जारी किया, उक्त सामग्री प्रदाय हेतु मृगनयनी एम्पोरियम अधिकृत नहीं है।

7. मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक/एन.एच.एम./वित्त/2015/12694, भोपाल दिनांक 16.11.2015 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह को निर्देशित किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के एन.एच.एम. अन्तर्गत लंबित देयक राशि 1.90 करोड का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत बजट से किया जायें, किंतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह द्वारा निर्देशों के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया । 28.29

8. पुनः एन.एच.एम. के पत्र कमांक/एन.एच.एम./वित्त शाखा/2016/1562, भोपाल दिनांक 12.2.2016 से बिंदु कमांक 07 के संदर्भ में निर्देशित किया गया था लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह द्वारा भुगतान नहीं किया गया ।

9. एन.एच.एम. बजट अन्तर्गत लंबित देयकों के संबंध में कयादेश जारी होने के उपरांत संबधित फर्म द्वारा सामग्री/औषधि का प्रदाय किया गया। अतः संबंधित फर्मो को भुगतान करने पर विचार किया जा सकता हैं।

कनिष्ठ
लेखा परीक्षक
(प्रभाकर ढोके)

राज्य लेखा प्रबंधक
एन.एच.एम.
(रामदीन [illegible])

लेखा अधिकारी
(संतोष [illegible])

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.6/शिका./सेल.4/जिला–दमोह/2019/1729 भोपाल, दिनांक 20/6/19

प्रति,

डॉ.राकेश राय,
तत्कालीन भण्ड़ार अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,दमोह
मध्यप्रदेश।

वर्तमान में :–मेड़िकल आफिसर, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला दमोह।

द्वारा :– क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर संभाग,सागर, मध्यप्रदेश।

विषयः– डॉ.राकेश राय,तत्कालीन भण्ड़ार अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह मध्यप्रदेश वर्तमान में मेड़िकल ऑफिसर,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह के विरूद्ध मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम,16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00–00

यह कि आप श्री अविनाश तिवारी, जिला दमोह में दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2015 की अवधि में भण्ड़ार अधिकारी के पद पर पदस्थ थे वर्तमान में मेड़िकल आफिसर के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह में पदस्थ है।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक.6/ऑडिट/2017/543 दिनांक 18.08.2017 के परिपालन में संचालनालय का तीन सदस्यीय जांच दल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह के कार्यालय में उपस्थित होकर वित्तीय वर्ष 2014–2015 में कय की गई औषधि/ सामग्री एवं उपकरणों के एन.एच.एम.के लंबित देयक एवं राज्य बजट से लंबित देयक एवं एन.एच.एम.दमोह द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में जारी किये गये कय आदेश एवं उनके विरूद्ध किये गये भुगतान की जांच उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के आधार पर दिनांक 4.9.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय दमोह में उपस्थित होकर की गई एवं जांच प्रतिवेदन (प्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नानुसार कमियां पाई गई :–

बिन्दु कमांक.1 :–

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह में कुछ प्रकरणों कोटेशन में स्वीकृत फर्म के अतिरिक्त अन्य फर्मो से टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत दरों पर राशि रूपये 40,58,124/–की सामग्री एवं औषधि का कय करते हुये आपने शासन को वित्तीय हानि पहुँचाई गई।

बिन्दु कमांक.2 :–

एस.डी.एम.आई.एस.में एंटी रेबीज वेक्सीन की दर उपलब्ध होने के बावजूद आपने अन्य फर्मो से राशि रूपये 2,51,853/–रूपये के एंटी रेबीज वेक्सीन का कय करते हुये आपने शासन को वित्तीय हानि पहुँचाते हुये दवा नीति वर्ष 2009 का पालन नहीं किया गया।

बिन्दु कमांक.3 :–

यह कि सामग्री प्राप्ति दिनांक 29.12.2014 है जबकि सामग्री कय आदेश दिनांक 05.01.2015 है अतः राशि रूपये 1,48,000/–की सामग्री का आदेश जारी होने के पूर्व ही प्राप्त होना संदेह की परिधि में आता है एवं अनियमितता का धोतक है।

बिन्दु कमांक.4 :–

म.प्र. खादीग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत ग्रामोद्योग भण्ड़ार एम्पोरियम, छिन्दवाड़ा को सीधे राशि रूपये 3,35,000/–के कय आदेश जारी किये गये जो भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन है।

निरन्तर.....2

19/6

बिन्दु कमांक.5 :–

मेडिनोवा जबलपुर से बेसिक मशीन मास्क जेल फेस मास्क राशि रूपये 2,54,520/–का कय बगैर टेण्डर कोटेशन से किया गया जिसमें वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति नहीं ली गई न ही भण्ड़ार कय नियमों का पालन किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.6 :–

शासकीय मुद्रणालय से एन.ओ.सी.प्राप्त किये बिना आपके द्वारा राशि रूपये 3,70,783/–का अशासकीय संस्था से मुद्रण करते हुये आपके द्वारा शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.7 :–

मृगनयनी एम्पोरियम को राशि रूपये 30,89,770/–के कय आदेश जारी किये गये जिसमें आपके द्वारा भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन करते हुये शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.8 :–

टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म को जिसकी दर को स्वीकृत नहीं किया गया था राशि रूपये 7,83,381/–के कय आदेश जारी किये गये जो कि भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन है।

बिन्दु कमांक.9 :–

नमूना जांच में मांग पत्र दिनांक 19.01.2015 में ग्ल्यूकोमीटर की उपलब्धता निरंक दर्शाई गई है जबकि स्टॉक रजिस्टर में 7,998 ग्ल्यूकोमीटर के पीसेस शेष दर्शाये गये। इस प्रकार आपके द्वारा सामग्री होते हुये भी गलत जानकारी देकर अनावश्यक मांग की गई।

बिन्दु कमांक.10 :–

राज्य बजट में लंबित देयकों में से कोटेशन/टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म से राशि रूपये 5,04,974/–के कय आदेश जारी किये गये शेष देयक संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार आपके द्वारा भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन कर वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

उपरोक्त संपूर्ण बिन्दुओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके द्वारा उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं में भण्ड़ार कय नियम एवं दवा नीति वर्ष 2009 का उल्लंधन करके आपने वित्तीय अनियमितता करते हुये शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

इस प्रकार आपके द्वारा उक्त कृत्य करके आपने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 के उप नियम, एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) व भण्डार कय नियमों के साथ ही दवा नीति वर्ष 2009 का स्पष्ट उल्लंधन करते हुये स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः आप कारण बतावें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 10 के अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावें। अतः आप दिनांक 08.07.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवाद उत्तर एवं अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। यदि आपका उत्तर उक्त दिनांक को प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रकरण में अंतिम निर्णय ले लिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....3

पृ.कमांक.6/शिका./सेल.4/जिला–दमोह/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित्।
2. कलेक्टर,दमोह,मध्यप्रदेश।
3. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. अतिरिक्त संचालक,वित्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर दिसंबर 2017 की अवधि में आपको आबंटित प्रश्न कमांक.807 से उद्भूत आश्वासन कमांक.1634 एवं दिसंबर 2017 की अवधि में ही आबंटित प्रश्न कमांक.1521 से उद्भूत लंबित आश्वासन कमांक.1639 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. उप संचालक,विधान सभा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर दिसंबर 2017 की अवधि में एन. एच.एम.को आबंटित प्रश्न कमांक.807 से उद्भूत आश्वासन कमांक.1634 एवं दिसंबर 2017 की अवधि में ही एन.एच.एम.को आबंटित प्रश्न कमांक.1521 से उद्भूत लंबित आश्वासन कमांक.1639 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस डॉ.राकेश राय, तत्कालीन भण्ड़ार अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह वर्तमान में मेड़िकल आफिसर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,दमोह,मध्यप्रदेश।
10. संभागीय कोष एवं लेखा सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड़ पर अपलोड़ करें।

19/6

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
(मध्यप्रदेश)

:: जांच प्रतिवेदन ::

विषयः— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एन.एच.एम. एवं राज्य बजट में वित्तीय 2014—15 में कय की गई औषधि एवं उपकरण के लंबित देयकों की जॉच/अंकेक्षण के संबंध में।

1—प्रस्तावनाः—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक 6/आडिट/ 2017/543 दिनांक 18.08.2017 के परिपालन में संचालनालय का जांच दल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह के कार्यालय में जॉच हेतु दिनांक 04.09.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह कार्यालय में उपस्थित हुआ तत्पश्चात् जांच संबंधी कार्यवाही की गई :—

2—कार्य विवरणः—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह कार्यालय के पत्र कमांक स्था.अवि./9537 दिनांक 02.05.2017 के कम में संचालनालय की जांच दल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 में कय की गई औषधि/सामग्री एवं उपकरणों के एन.एच.एम. के लंबित देयक एवं राज्य बजट के लंबित देयक एवं एन.एच.एम. दमोह द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 में जारी किये गये कय आदेश एवं उनके विरूद्ध किये गए भुगतान की जांच की गई। उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो के अनुसार निम्नानुसार जांच का विवरण प्रस्तुत हैं।

3—कार्यप्रभारः—

वर्ष एवं 2014—15 में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह के कार्यालय में निम्नांकित अधिकारी कर्मचारी प्रभार में रहे :—

कं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	अवधि
1	डॉ0 ओ.पी. गौतम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	26.09.2013 से 10.04.2015
2	डॉ0 ओ.पी. गौतम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	26.09.2013 से 10.04.2015

3	डॉ0 बी.पी. अहिरवार / डॉ0 राकेश राय	भण्डार अधिकारी	वर्ष 2014–15
4	श्री अमित ठाकुर (प्रभारी)	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	वर्ष 2014–15
5	श्री राजेश श्रीवास्तव	जिला लेखा प्रबंधक	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
6	श्री संजीव कुमार जैन	लेखापाल	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
7	श्री अविनाश तिवारी	क्रय लिपिक	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
8	श्री एल.एन. जड़िया	क्रय लिपिक	वर्ष 13.11.2014 से 28.07.2015 तक
9	कु. प्रिया यादव	स्टोर कीपर	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15

1. वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्रय की गई औषधि/सामग्री/उपकरण के लंबित देयकों संबंधी विवरण ।

बिन्दु–1:– वित्तीय वर्ष 2014–15 में जारी किये गये टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत फर्म के अतिरिक्त अन्य फर्म से टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत दरों राशि रू. 40,58,124/– की सामग्री एवं औषधियों का क्रय किया गया। जो कि औषधि नीति 2009 का एवं भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– क्रमांक–1 (विवरण)**

बिन्दु–2:– एस.डी.एम.आई.एस. में एण्टी रेबीज वैक्सीन की दर उपलब्ध होने के बावजूद अन्य फर्म से राशि रू. 2,51,853/– एण्टी रेबीज वैक्सीन का क्रय किया गया। **परिशिष्ट– क्रमांक–2 (विवरण)**

बिन्दु–3:– सामग्री क्रय हेतु दिनांक 05.01.2015 को क्रय आदेश जारी किए गए एवं सामग्री प्राप्ति का बिल दिनांक 29.12.2014 को ही प्रस्तुत किया गया। राशि रू. 1,48,000/– संदेहास्पद की परीधि में आकर घोर अनियमितता का धोतक हैं। **परिशिष्ट– क्रमांक–3 (विवरण)**

बिन्दु–4:– म.प्र. खादीग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत खादी ग्रामोद्योग भण्डार/एम्पोरियम, छिंदवाड़ा से बेडशीट का सीधे क्रय किया गया । जो कि भण्डार क्रय नियमों में आरक्षित आयटम एवं अधिकृत संस्था नहीं हैं। राशि रू. 3,35,000/– **परिशिष्ट– क्रमांक–4 (विवरण)**

बिन्दु–5:– राशि रू. 3,90,783/– का मुद्रण कार्य किया गया। मुद्रण कार्य हेतु शासकीय मुद्रणालय को आर्डर नहीं दिया गया न ही एन.ओ.सी. प्राप्त की, समस्त कार्य अशासकीय संस्थाओं से किया गया। जो कि भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– क्रमांक–5 (विवरण)**

बिन्दु–6:– मेडिनोवा जबलपुर द्वारा प्रस्तुत स्पेशिफिकेशन एवं पत्रक के आधार पर बेसिक मशीन मास्क जेल फेस मास्क राशि रू. 2,54,520/– का क्रय किया गया । इस हेतु न हीं टेण्डर, कोटेशन प्राप्त किये गये न हीं वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति प्राप्त की गई। **परिशिष्ट– क्रमांक–6 (विवरण)**

बिन्दु–7:– मृगनयनी एम्पोरियम को सामग्री क्रय हेतु राशि रू. 30,89,770/– के क्रय आदेश जारी किये गये। जिसका कनवर्शन मृगनयनी द्वारा क्रमशः कोजी ट्रेडर्स ग्वालियर, शिवा मेडिकल जबलपुर, सुपर सेल्स कार्पोरेशन जबलपुर को किया गया । उक्त सामग्री का प्रदाय इन्हीं संस्था के द्वारा किया गया। भण्डार क्रय नियमानुसार मृगनयनी एम्पोनियम उक्त सामग्री प्रदाय हेतु अधिकृत नहीं हैं न हीं उक्त संस्था को सामग्री क्रय हेतु कनवर्शन किये जाने का अधिकार हैं। भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन किया गया। **परिशिष्ट– क्रमांक–8 (विवरण)**

बिन्दु–8:– टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म को जिसकी दर को स्वीकृत नहीं किया गया था राशि रू. 7,83,381/– के क्रय आदेश जारी किये गये। जो कि भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– क्रमांक–9 (विवरण)**

बिन्दु–9:– नमूना जांच में मांग पत्र एवं स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जिसमें भण्डार शाखा द्वारा मांग पत्र दिनांक 19.01.2015 में ग्लूकोमीटर की उपलब्धता मिल दर्शाई गई हैं जबकि स्टॉक रजिस्टर में 07.01.2015 में 7,998/– ग्लूकोमीटर के पीसेज शेष दर्शाये गये हैं। जो आवश्यकता न होने पर भी क्रय किया गया। **परिशिष्ट– क्रमांक–10 (विवरण)**

बिन्दु–10:– राज्य बजट में लंबित देयकों में से कोटेशन/टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म से राशि रू. 5,04,974/– के क्रय आदेश जारी किये गये शेष देयक क्रमांक 1005, 1008, 1009, 1012, 361, 366, 367, 37816, 1726 के देयक संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कराये गये। **परिशिष्ट– क्रमांक–10 (विवरण)**

2. वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्रय की गई औषधि/सामग्री/उपकरण का आर.सी.एच./एन.एच.एम. से किया गया कय एवं भुगतान संबंधी विवरण।

बिन्दु–1:– वित्तीय वर्ष 2014–15 की एन.एच.एम. अन्तर्गत जिले को स्वीकृत कार्ययोजना में उपार्जन मद में मुख्य रूप से राशि 350.44 लाख रूपयें की स्वीकृति जारी की गई थी जिसके विरूद्ध एफ.एम.आई.एस. की रिर्पोट अनुसार राशि 320.83 लाख रूपयें का व्यय किया गया है। परिशिष्ट– कमांक–1 (विवरण)

बिन्दु–2:– उपरोक्त स्वीकृत बजट का उपयोग म.प्र. दवा नीति 2009 एवं राज्य स्तर के निर्देशानुसार किया जाना था। लेखों के परीक्षण में ज्ञात हुआ कि उपार्जन मद में जिले द्वारा लगभग राशि 366.46 लाख रूपयें का व्यय किया गया है।

बिन्दु–3:– कुल स्वीकृति में से **मिशन फलैक्सीपूल (एन.एच.एम.) अन्तर्गत** उपार्जन मद में कुल राशि 292.54 लाख रूपयें की स्वीकृति जिले को प्राप्त हुई थी। केशबुक के अनुसार एन.एच.एम. बैंक खाते से उपार्जन मद में कुल राशि 247.45 लाख रूपयें का व्यय किया है। जिसमें से राशि 82.83 लाख रूपयें का व्यय राज्य स्तर से स्वीकृत दरों (टी.एन.एम.एस.सी.) पर कियां गया है एवं राशि 164.62 लाख रूपयें का व्यय जिला स्तर से विभिन्न प्रकियाओं के माध्यम से किया गया है। **28 प्रतिशत टीएनएमएससी से कय एवं 56 प्रतिशत स्थानीय कय किया गया।**

बिन्दु–4:– कुल स्वीकृति में से **आर.सी.एच. अन्तर्गत** उपार्जन मद में कुल राशि 57.90 लाख रूपयें की स्वीकृति जिले को प्राप्त हुई थी। केशबुक के अनुसार आर.सी.एच. बैंक खाते से उपार्जन मद में कुल राशि 118.99 लाख रूपयें का व्यय किया है। जिसमें से राशि 9.01 लाख रूपयें का व्यय राज्य स्तर से स्वीकृत दरों (टी.एन.एम.एस.सी.) पर किया गया है एवं राशि 109.97 लाख रूपयें का व्यय जिला स्तर से विभिन्न प्रकियाओं के माध्यम से किया गया है। **15 प्रतिशत टीएनएमएससी से कय एवं 190 प्रतिशत स्थानीय कय किया गया।** परिशिष्ट– कमांक–4 (विवरण)

बिन्दु–5:– राशि 36.60 लाख रूपयें के कयादेश वित्तीय वर्ष 2013–14 में जारी किया गया था जिनका भुगतान वित्तीय वर्ष 2014–15 में किया गया है।

बिन्दु–6:– समस्त कय प्रकिया में शासन के म.प्र. भंडार कय नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया है। म.प्र. दवा नीति अनुसार 80:20 अनुपात का पालन नही किया गया है।

(निष्कर्ष)

1. कुछ प्रकरणों में टेण्डर प्रकिया में शामिल फर्मो की स्वीकृति दरो से सामग्री/औषधियों का क्रय न कर अन्य फर्म (जो टेण्डर प्रक्रिया में शामिल नहीं) से क्रय कर भण्डार क्रय नियमों का उल्लघंन किया गया।

2. मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत ग्रामोंद्योग भण्डार एम्पोरियम, छिन्दवाड़ा को सीधे क्रय आदेश किया गया जो की भण्डार क्रय नियमों का उल्लघंन है।

3. समाग्री प्राप्ति दिनांक 29.12.2014 है जबकि सामग्री क्रय आदेश दिनांक 05.01.2015 हैं, अर्थात सामग्री कय आदेश जारी होने के पूर्व ही प्राप्त हुई संदेहास्पद की परीधि में आकर अनियमितता का घोतक है।

4. मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालय से न कराकर अशासकीय संस्थाओं से कराया गया। जो भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन हैं। अशासकीय संस्थाओं से कार्य कराने के पूर्व शासकीय मुद्रणालय से N.O.C प्राप्त की जानी थी।

5. रूपये 2,54,520/– का सामग्री क्रय किया गया जिस हेतु टेण्डर/कोटेशन प्रकिया नही की गई ।

6. मृगनयनी एम्पोरियम से सामग्री क्रय की गई है। जिसका क्नवर्शन मृगनयनी एम्पोरियम द्वारा जारी किया, उक्त सामग्री प्रदाय हेतु मृगनयनी एम्पोरियम अधिकृत नहीं है।

7. मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक/एन.एच.एम./वित्त/2015/12694, भोपाल दिनांक 16.11.2015 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह को निर्देशित किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के एन.एच.एम. अन्तर्गत लंबित देयक राशि 1.90 करोड का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत बजट से किया जायें, किंतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह द्वारा निर्देशों के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया । 28.29

8. पुनः एन.एच.एम. के पत्र कमांक/एन.एच.एम./वित्त शाखा/2016/1562, भोपाल दिनांक 12.2.2016 से बिंदु कमांक 07 के संदर्भ में निर्देशित किया गया था लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह द्वारा भुगतान नहीं किया गया ।

9. एन.एच.एम. बजट अन्तर्गत लंबित देयकों के संबंध में कयादेश जारी होने के उपरांत संबधित फर्म द्वारा सामग्री/औषधि का प्रदाय किया गया। अतः संबंधित फर्मो को भुगतान करने पर विचार किया जा सकता हैं।

कनिष्ठ
लेखा परीक्षक
(प्रभाकर ढोके)

राज्य लेखा प्रबंधक
एन.एच.एम.
(अमरदीप [illegible])

लेखा अधिकारी
(संतोष [illegible])

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.6/शिका./सेल.4/जिला–दमोह/2019/ 1727 भोपाल, दिनांक 20/6/19

प्रति,

डॉ.बी.पी.अहिरवार,
तत्कालीन भण्ड़ार अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,दमोह
मध्यप्रदेश।

वर्तमान में :–ब्लाक मेड़िकल आफिसर, तेंदूखेड़ा जिला दमोह,मध्यप्रदेश।

द्वारा :– क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर संभाग,सागर, मध्यप्रदेश।

विषयः–डॉ.बी.पी.अहिरवार, तत्कालीन भण्ड़ार अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह, मध्यप्रदेश वर्तमान में ब्लाक मेड़िकल आफिसर तेंदूखेड़ा जिला दमोह, मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम,16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00–00

यह कि आप डॉ.बी.पी.अहिरवार जिला दमोह में दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2015 की अवधि में भण्ड़ार अधिकारी के पद पर पदस्थ थे वर्तमान में आप ब्लाक मेड़िकल आफिसर के पद पर तेंदूखेड़ा जिला दमोह में पदस्थ है।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक.6/ऑडिट/2017/543 दिनांक 18.08.2017 के परिपालन में संचालनालय का तीन सदस्यीय जांच दल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह के कार्यालय में उपस्थित होकर वित्तीय वर्ष 2014–2015 में क्रय की गई औषधि/ सामग्री एवं उपकरणों के एन.एच.एम.के लंबित देयक एवं राज्य बजट से लंबित देयक एवं एन.एच.एम.दमोह द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में जारी किये गये क्रय आदेश एवं उनके विरूद्ध किये गये भुगतान की जांच उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के आधार पर दिनांक 4.9.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय दमोह में उपस्थित होकर की गई एवं जांच प्रतिवेदन (प्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नानुसार कमियां पाई गई :–

बिन्दु क्रमांक.1 :–

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह में कुछ प्रकरणों कोटेशंन में स्वीकृत फर्म के अतिरिक्त अन्य फर्मो से टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत दरों पर राशि रूपये 40,58,124/–की सामग्री एवं औषधि का क्रय करते हुये आपने शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु क्रमांक.2 :–

एस.डी.एम.आई.एस.में एंटी रेबीज वेक्सीन की दर उपलब्ध होने के बावजूद आपने अन्य फर्मो से राशि रूपये 2,51,853/–रूपये के एंटी रेबीज वेक्सीन का क्रय करते हुये आपने शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाते हुये दवा नीति वर्ष 2009 का पालन नहीं किया गया।

बिन्दु क्रमांक.3 :–

यह कि सामग्री प्राप्ति दिनांक 29.12.2014 है जबकि सामग्री क्रय आदेश दिनांक 05.01.2015 है अतः राशि रूपये 1,48,000/–की सामग्री का आदेश जारी होने के पूर्व ही प्राप्त होना संदेह की परिधि में आता है एवं अनियमितता का धोतक है।

बिन्दु क्रमांक.4 :–

म.प्र.खादीग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत ग्रामोद्योग भण्ड़ार एम्पोरियम, छिन्दवाड़ा को सीधे राशि रूपये 3,35,000/–के क्रय आदेश जारी किये गये जो भण्ड़ार क्रय नियमों का उल्लंधन है।

निरन्तर.....2

20/6/19

बिन्दु कमांक.5 :–

मेडिनोवा जबलपुर से बेसिक मशीन मास्क जेल फेस मास्क राशि रूपये 2,54,520/–का कय बगैर टेण्डर कोटेशन से किया गया जिसमें वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति नहीं ली गई न ही भण्ड़ार कय नियमों का पालन किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.6 :–

शासकीय मुद्रणालय से एन.ओ.सी.प्राप्त किये बिना आपके द्वारा राशि रूपये 3,70,783/–का अशासकीय संस्था से मुद्रण करते हुये आपके द्वारा शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.7 :–

मृगनयनी एम्पोरियम को राशि रूपये 30,89,770/–के कय आदेश जारी किये गये जिसमें आपके द्वारा भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन करते हुये शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.8 :–

टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म को जिसकी दर को स्वीकृत नहीं किया गया था राशि रूपये 7,83,381/–के कय आदेश जारी किये गये जो कि भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन है।

बिन्दु कमांक.9 :–

नमूना जांच में मांग पत्र दिनांक 19.01.2015 में ग्ल्यूकोमीटर की उपलब्धता निरंक दर्शाई गई है जबकि स्टॉक रजिस्टर में 7,998 ग्ल्यूकोमीटर के पीसेस शेष दर्शाये गये। इस प्रकार आपके द्वारा सामग्री होते हुये भी गलत जानकारी देकर अनावश्यक मांग की गई।

बिन्दु कमांक.10 :–

राज्य बजट में लंबित देयकों में से कोटेशन/टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म से राशि रूपये 5,04,974/–के कय आदेश जारी किये गये शेष देयक संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार आपके द्वारा भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन कर वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

उपरोक्त संपूर्ण बिन्दुओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके द्वारा उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं में भण्ड़ार कय नियम एवं दवा नीति वर्ष 2009 का उल्लंधन करके आपने वित्तीय अनियमितता करते हुये शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

इस प्रकार आपके द्वारा उक्त कृत्य करके आपने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 के उप नियम, एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) व भण्डार कय नियमों के साथ ही दवा नीति वर्ष 2009 का स्पष्ट उल्लंधन करते हुये स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः आप कारण बतावें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 10 के अंतर्गत लधुशास्ति अधिरोपित की जावें। अतः आप दिनांक 08.07.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवाद उत्तर एवं अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। यदि आपका उत्तर उक्त दिनांक को प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रकरण में अंतिम निर्णय ले लिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....3

पृ.क्रमांक.6/शिका./सेल.4/जिला–दमोह/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित्।
2. कलेक्टर,दमोह, मध्यप्रदेश।
3. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. अतिरिक्त संचालक,वित्त, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण के संदर्भ में प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर दिसंबर 2017 की अवधि में आपको आबंटित प्रश्न क्रमांक.807 से उद्भूत आश्वासन क्रमांक.1634 एवं दिसंबर 2017 की अवधि में ही आबंटित प्रश्न क्रमांक.1521 से उद्भूत लंबित आश्वासन क्रमांक.1639 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. उप संचालक,विधान सभा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर दिसंबर 2017 की अवधि में एन. एच.एम.को आबंटित प्रश्न क्रमांक.807 से उद्भूत आश्वासन क्रमांक.1634 एवं दिसंबर 2017 की अवधि में ही एन.एच.एम.को आबंटित प्रश्न क्रमांक.1521 से उद्भूत लंबित आश्वासन क्रमांक.1639 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस डॉ.बी.पी.अहिरवार,तत्कालीन भण्ड़ार अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,दमोह को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
10. संभागीय कोष एवं लेखा सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला दमोह,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड़ पर अपलोड़ करें।

8/1/16

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
(मध्यप्रदेश)

:: जांच प्रतिवेदन ::

विषयः— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एन.एच.एम. एवं राज्य बजट में वित्तीय 2014—15 में कय की गई औषधि एवं उपकरण के लंबित देयकों की जॉच/अंकेक्षण के संबंध में।

1—प्रस्तावनाः—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक 6/आडिट/ 2017/543 दिनांक 18.08.2017 के परिपालन में संचालनालय का जांच दल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह के कार्यालय में जॉच हेतु दिनांक 04.09.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह कार्यालय में उपस्थित हुआ तत्पश्चात् जांच संबंधी कार्यवाही की गई :—

2—कार्य विवरणः—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह कार्यालय के पत्र कमांक स्था.अवि./9537 दिनांक 02.05.2017 के कम में संचालनालय की जांच दल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 में कय की गई औषधि/सामग्री एवं उपकरणों के एन.एच.एम. के लंबित देयक एवं राज्य बजट के लंबित देयक एवं एन.एच.एम. दमोह द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 में जारी किये गये कय आदेश एवं उनके विरुद्ध किये गए भुगतान की जांच की गई। उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो के अनुसार निम्नानुसार जांच का विवरण प्रस्तुत हैं।

3—कार्यप्रभारः—

वर्ष एवं 2014—15 में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह के कार्यालय में निम्नांकित अधिकारी कर्मचारी प्रभार में रहे :—

कं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	अवधि
1	डॉ0 ओ.पी. गौतम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	26.09.2013 से 10.04.2015
2	डॉ0 ओ.पी. गौतम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	26.09.2013 से 10.04.2015

3	डॉ0 बी.पी. अहिरवार / डॉ0 राकेश राय	भण्डार अधिकारी	वर्ष 2014–15
4	श्री अमित ठाकुर (प्रभारी)	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	वर्ष 2014–15
5	श्री राजेश श्रीवास्तव	जिला लेखा प्रबंधक	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
6	श्री संजीव कुमार जैन	लेखापाल	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
7	श्री अविनाश तिवारी	कय लिपिक	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
8	श्री एल.एन. जड़िया	कय लिपिक	वर्ष 13.11.2014 से 28.07.2015 तक
9	कु. प्रिया यादव	स्टोर कीपर	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15

1. वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्रय की गई औषधि/सामग्री/उपकरण के लंबित देयकों संबंधी विवरण ।

बिन्दु–1:– वित्तीय वर्ष 2014–15 में जारी किये गये टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत फर्म के अतिरिक्त अन्य फर्म से टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत दरों राशि रू. 40,58,124/– की सामग्री एवं औषधियों का कय किया गया। जो कि औषधि नीति 2009 का एवं भण्डार कय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– कमांक–1 (विवरण)**

बिन्दु–2:– एस.डी.एम.आई.एस. में एण्टी रेबीज वैक्सीन की दर उपलब्ध होने के बावजूद अन्य फर्म से राशि रू. 2,51,853/– एण्टी रेबीज वैक्सीन का कय किया गया। **परिशिष्ट– कमांक–2 (विवरण)**

बिन्दु–3:– सामग्री कय हेतु दिनांक 05.01.2015 को कय आदेश जारी किए गए एवं सामग्री प्राप्ति का बिल दिनांक 29.12.2014 को ही प्रस्तुत किया गया। राशि रू. 1,48,000/– संदेहास्पद की परीधि में आकर घोर अनियमितता का धोतक हैं। **परिशिष्ट– कमांक–3 (विवरण)**

बिन्दु–4:– म.प्र. खादीग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत खादी ग्रामोद्योग भण्डार/एम्पोरियम, छिंदवाड़ा से बेडशीट का सीधे कय किया गया । जो कि भण्डार कय नियमों में आरक्षित आयटम एवं अधिकृत संस्था नहीं हैं। राशि रू. 3,35,000/– **परिशिष्ट– कमांक–4 (विवरण)**

बिन्दु–5:– राशि रू. 3,90,783/– का मुद्रण कार्य किया गया। मुद्रण कार्य हेतु शासकीय मुद्रणालय को आर्डर नहीं दिया गया न ही एन.ओ.सी. प्राप्त की, समस्त कार्य अशासकीय संस्थाओं से किया गया। जो कि भण्डार कय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– कमांक–5 (विवरण)**

बिन्दु–6:– मेडिनोवा जबलपुर द्वारा प्रस्तुत स्पेशिफिकेशन एवं पत्रक के आधार पर बेसिक मशीन मास्क जेल फेस मास्क राशि रू. 2,54,520/– का कय किया गया । इस हेतु न हीं टेण्डर, कोटेशन प्राप्त किये गये न हीं वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति प्राप्त की गई। **परिशिष्ट– कमांक–6 (विवरण)**

बिन्दु–7:– मृगनयनी एम्पोरियम को सामग्री कय हेतु राशि रू. 30,89,770/– के कय आदेश जारी किये गये। जिसका कनवर्शन मृगनयनी द्वारा कमशः कोजी ट्रेडर्स ग्वालियर, शिवा मेडिकल जबलपुर, सुपर सेल्स कार्पोरेशन जबलपुर को किया गया । उक्त सामग्री का प्रदाय इन्हीं संस्था के द्वारा किया गया। भण्डार कय नियमानुसार मृगनयनी एम्पोनियम उक्त सामग्री प्रदाय हेतु अधिकृत नहीं हैं न हीं उक्त संस्था को सामग्री कय हेतु कनवर्शन किये जाने का अधिकार हैं। भण्डार कय नियमों का उल्लंघन किया गया। **परिशिष्ट– कमांक–8 (विवरण)**

बिन्दु–8:– टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म को जिसकी दर को स्वीकृत नहीं किया गया था राशि रू. 7,83,381/– के कय आदेश जारी किये गये। जो कि भण्डार कय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– कमांक–9 (विवरण)**

बिन्दु–9:– नमूना जांच में मांग पत्र एवं स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जिसमें भण्डार शाखा द्वारा मांग पत्र दिनांक 19.01.2015 में ग्लूकोमीटर की उपलब्धता निल दर्शाई गई हैं जबकि स्टॉक रजिस्टर में 07.01.2015 में 7,998/– ग्लूकोमीटर के पीसेज शेष दर्शाये गये हैं। जो आवश्यकता न होने पर भी क्रय किया गया। **परिशिष्ट– कमांक–10 (विवरण)**

बिन्दु–10:– राज्य बजट में लंबित देयकों में से कोटेशन/टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म से राशि रू. 5,04,974/– के कय आदेश जारी किये गये शेष देयक कमांक 1005, 1008, 1009, 1012, 361, 366, 367, 37816, 1726 के देयक संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कराये गये। **परिशिष्ट– कमांक–10 (विवरण)**

(8)

2. वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्रय की गई औषधि/सामग्री/उपकरण का आर.सी.एच./एन.एच.एम. से किया गया क्रय एवं भुगतान संबंधी विवरण ।

बिन्दु–1:– वित्तीय वर्ष 2014–15 की एन.एच.एम. अन्तर्गत जिले को स्वीकृत कार्ययोजना में उपार्जन मद में मुख्य रूप से राशि 350.44 लाख रूपयें की स्वीकृति जारी की गई थी जिसके विरूद्ध एफ.एम.आई.एस. की रिर्पोट अनुसार राशि 320.83 लाख रूपयें का व्यय किया गया है। **परिशिष्ट– कमांक–1 (विवरण)**

बिन्दु–2:– उपरोक्त स्वीकृत बजट का उपयोग म.प्र. दवा नीति 2009 एवं राज्य स्तर के निर्देशानुसार किया जाना था । लेखों के परीक्षण में ज्ञात हुआ कि उपार्जन मद में जिले द्वारा लगभग राशि 366.46 लाख रूपयें का व्यय किया गया है ।

बिन्दु–3:– कुल स्वीकृति में से **मिशन फलैक्सीपूल (एन.एच.एम.) अन्तर्गत** उपार्जन मद में कुल राशि 292.54 लाख रूपयें की स्वीकृति जिले को प्राप्त हुई थी । केशबुक के अनुसार एन.एच.एम. बैंक खाते से उपार्जन मद में कुल राशि 247.45 लाख रूपयें का व्यय किया है । जिसमें से राशि 82.83 लाख रूपयें का व्यय राज्य स्तर से स्वीकृत दरों (टी.एन.एम.एस.सी.) पर किया गया है एवं राशि 164.62 लाख रूपयें का व्यय जिला स्तर से विभिन्न प्रकियाओं के माध्यम से किया गया है । **28 प्रतिशत टीएनएमएससी से क्रय एवं 56 प्रतिशत स्थानीय क्रय किया गया।**

बिन्दु–4:– कुल स्वीकृति में से **आर.सी.एच. अन्तर्गत** उपार्जन मद में कुल राशि 57.90 लाख रूपयें की स्वीकृति जिले को प्राप्त हुई थी । केशबुक के अनुसार आर.सी.एच. बैंक खाते से उपार्जन मद में कुल राशि 118.99 लाख रूपयें का व्यय किया है । जिसमें से राशि 9.01 लाख रूपयें का व्यय राज्य स्तर से स्वीकृत दरों (टी.एन.एम.एस.सी.) पर किया गया है एवं राशि 109.97 लाख रूपयें का व्यय जिला स्तर से विभिन्न प्रकियाओं के माध्यम से किया गया है । **15 प्रतिशत टीएनएमएससी से क्रय एवं 190 प्रतिशत स्थानीय क्रय किया गया। परिशिष्ट– कमांक–4 (विवरण)**

बिन्दु–5:– राशि 36.60 लाख रूपयें के क्रयादेश वित्तीय वर्ष 2013–14 में जारी किया गया था जिनका भुगतान वित्तीय वर्ष 2014–15 में किया गया है ।

बिन्दु–6:– समस्त क्रय प्रकिया में शासन के म.प्र. भंडार क्रय नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया है । म.प्र. दवा नीति अनुसार 80:20 अनुपात का पालन नही किया गया है ।

(निष्कर्ष)

1. कुछ प्रकरणों में टेण्डर प्रकिया में शामिल फर्मो की स्वीकृति दरो से सामग्री/औषधियों का क्रय न कर अन्य फर्म (जो टेण्डर प्रक्रिया में शामिल नहीं) से क्रय कर भण्डार क्रय नियमों का उल्लघंन किया गया।

2. मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत ग्रामोंद्योग भण्डार एम्पोरियम, छिन्दवाड़ा को सीधे क्रय आदेश किया गया जो की भण्डार क्रय नियमों का उल्लघंन है।

3. समाग्री प्राप्ति दिनांक 29.12.2014 है जबकि सामग्री क्रय आदेश दिनांक 05.01.2015 हैं, अर्थात सामग्री कय आदेश जारी होने के पूर्व ही प्राप्त हुई संदेहास्पद की परीधि में आकर अनियमितता का घोतक है।

4. मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालय से न कराकर अशासकीय संस्थाओं से कराया गया। जो भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन है। अशासकीय संस्थाओं से कार्य कराने के पूर्व शासकीय मुद्रणालय से N.O.C प्राप्त की जानी थी।

5. रूपये 2,54,520/– का सामग्री क्रय किया गया जिस हेतु टेण्डर/कोटेशन प्रकिया नही की गई ।

6. मृगनयनी एम्पोरियम से सामग्री क्रय की गई है। जिसका कनवर्शन मृगनयनी एम्पोरियम द्वारा जारी किया, उक्त सामग्री प्रदाय हेतु मृगनयनी एम्पोरियम अधिकृत नहीं है।

7. मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक/एन.एच.एम./वित्त/2015/12694, भोपाल दिनांक 16.11.2015 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह को निर्देशित किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के एन.एच.एम. अन्तर्गत लंबित देयक राशि 1.90 करोड का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत बजट से किया जायें, किंतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह द्वारा निर्देशों के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया । 28.29

8. पुनः एन.एच.एम. के पत्र कमांक/एन.एच.एम./वित्त शाखा/2016/1562, भोपाल दिनांक 12.2.2016 से बिंदु कमांक 07 के संदर्भ में निर्देशित किया गया था लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह द्वारा भुगतान नहीं किया गया ।

9. एन.एच.एम. बजट अन्तर्गत लंबित देयकों के संबंध में कयादेश जारी होने के उपरांत संबधित फर्म द्वारा सामग्री/औषधि का प्रदाय किया गया। अतः संबंधित फर्मो को भुगतान करने पर विचार किया जा सकता हैं।

कनिष्ठ
लेखा परीक्षक
(प्रभाकर ढोके)

राज्य लेखा प्रबंधक
एन.एच.एम.
(रामदीन [illegible])

लेखा अधिकारी
(संतोष [illegible])

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.6/शिका./सेल.4/जिला–दमोह/2019/1725 भोपाल, दिनांक 20/6/19

प्रति,

डॉ.ओ.पी.गौतम,
तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–दमोह,मध्यप्रदेश।

द्वारा :– क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर संभाग,सागर, मध्यप्रदेश।

विषयः– डॉ.ओ.पी.गौतम,तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह के विरूद्ध मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम,16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00–00

यह कि आप डॉ.ओ.पी.गौतम, जिला दमोह में दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.03.2015 की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ थे।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक.6/ऑडिट/2017/543 दिनांक 18.08.2017 के परिपालन में संचालनालय का तीन सदस्यीय जांच दल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह के कार्यालय में उपस्थित होकर वित्तीय वर्ष 2014–2015 में कय की गई औषधि/ सामग्री एवं उपकरणों के एन.एच.एम.के लंबित देयक एवं राज्य बजट से लंबित देयक एवं एन.एच.एम.दमोह द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में जारी किये गये कय आदेश एवं उनके विरूद्ध किये गये भुगतान की जांच उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के आधार पर दिनांक 4.9.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय दमोह में उपस्थित होकर की गई एवं जांच प्रतिवेदन (प्रति संलग्न) प्रस्तुत किया जिसमें निम्नानुसार कमियां पाई गई :–

बिन्दु कमांक.1 :–

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह में कुछ प्रकरणों कोटेशन में स्वीकृत फर्म के अतिरिक्त अन्य फर्मो से टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत दरों पर राशि रूपये 40,58,124/–की सामग्री एवं औषधि का कय करते हुये आपने शासन को वित्तीय हानि पहुँचाई गई।

बिन्दु कमांक.2 :–

एस.डी.एम.आई.एस.में एंटी रेबीज वेक्सीन की दर उपलब्ध होने के बावजूद आपने अन्य फर्मो से राशि रूपये 2,51,853/–रूपये के एंटी रेबीज वेक्सीन का कय करते हुये आपने शासन को वित्तीय हानि पहुँचाते हुये दवा नीति वर्ष 2009 का पालन नहीं किया गया।

बिन्दु कमांक.3 :–

यह कि सामग्री प्राप्ति दिनांक 29.12.2014 है जबकि सामग्री कय आदेश दिनांक 05.01.2015 है अतः राशि रूपये 1,48,000/–की सामग्री का आदेश जारी होने के पूर्व ही प्राप्त होना संदेह की परिधि में आता है एवं अनियमितता का धोतक है।

बिन्दु कमांक.4 :–

म.प्र. खादीग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत ग्रामोद्योग भण्ड़ार एम्पोरियम, छिन्दवाड़ा को सीधे राशि रूपये 3,35,000/–के कय आदेश जारी किये गये जो भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन है।

निरन्तर.....2

19/6

बिन्दु कमांक.5 :–

मेडिनोवा जबलपुर से बेसिक मशीन मास्क जेल फेस मास्क राशि रूपये 2,54,520/–का कय बगैर टेण्डर कोटेशन से किया गया जिसमें वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति नहीं ली गई न ही भण्ड़ार कय नियमों का पालन किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.6 :–

शासकीय मुद्रणालय से एन.ओ.सी.प्राप्त किये बिना आपके द्वारा राशि रूपये 3,70,783/–का अशासकीय संस्था से मुद्रण करते हुये आपके द्वारा शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.7 :–

मृगनयनी एम्पोरियम को राशि रूपये 30,89,770/–के कय आदेश जारी किये गये जिसमें आपके द्वारा भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन करते हुये शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

बिन्दु कमांक.8 :–

टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म को जिसकी दर को स्वीकृत नहीं किया गया था राशि रूपये 7,83,381/–के कय आदेश जारी किये गये जो कि भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन है।

बिन्दु कमांक.9 :–

नमूना जांच में मांग पत्र दिनांक 19.01.2015 में ग्ल्यूकोमीटर की उपलब्धता निरंक दर्शाई गई है जबकि स्टॉक रजिस्टर में 7,998 ग्ल्यूकोमीटर के पीसेस शेष दर्शाये गये। इस प्रकार आपके द्वारा सामग्री होते हुये भी गलत जानकारी देकर अनावश्यक मांग की गई।

बिन्दु कमांक.10 :–

राज्य बजट में लंबित देयकों में से कोटेशन/टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म से राशि रूपये 5,04,974/–के कय आदेश जारी किये गये शेष देयक संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार आपके द्वारा भण्ड़ार कय नियमों का उल्लंधन कर वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

उपरोक्त संपूर्ण बिन्दुओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके द्वारा उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं में भण्ड़ार कय नियम एवं दवा नीति वर्ष 2009 का उल्लंधन करके आपने वित्तीय अनियमितता करते हुये शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई गई।

इस प्रकार आपके द्वारा उक्त कृत्य करके आपने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 के उप नियम, एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) व भण्डार कय नियमों के साथ ही दवा नीति वर्ष 2009 का स्पष्ट उल्लंधन करते हुये स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः आप कारण बतावें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 10 के अंतर्गत लधुशास्ति अधिरोपित की जावें। अतः आप दिनांक 08.07.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवाद उत्तर एवं अपना पक्ष प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। यदि आपका उत्तर उक्त दिनांक को प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रकरण में अंतिम निर्णय ले लिया जावेगा।

8/19/6
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....3

पृ.कमांक.6/शिका./सेल.4/जिला–दमोह/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित्।
2. कलेक्टर,दमोह,मध्यप्रदेश।
3. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. अतिरिक्त संचालक,वित्त,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर दिसंबर 2017 की अवधि में आपको आबंटित प्रश्न कमांक.807 से उद्भूत आश्वासन कमांक.1634 एवं दिसंबर 2017 की अवधि में ही आबंटित प्रश्न कमांक.1521 से उद्भूत लंबित आश्वासन कमांक.1639 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. उप संचालक,विधान सभा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर दिसंबर 2017 की अवधि में एन. एच.एम.को आबंटित प्रश्न कमांक.807 से उद्भूत आश्वासन कमांक.1634 एवं दिसंबर 2017 की अवधि में ही एन.एच.एम.को आबंटित प्रश्न कमांक.1521 से उद्भूत लंबित आश्वासन कमांक.1639 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस डॉ.ओ.पी.गौतम, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
10. संभागीय कोष एवं लेखा सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला दमोह,मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड़ पर अपलोड़ करें।

19/1

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
(मध्यप्रदेश)

:: जांच प्रतिवेदन ::

विषयः— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एन.एच.एम. एवं राज्य बजट में वित्तीय 2014—15 में क्रय की गई औषधि एवं उपकरण के लंबित देयकों की जॉच/अंकेक्षण के संबंध में।

1—प्रस्तावनाः—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 6/आडिट/2017/543 दिनांक 18.08.2017 के परिपालन में संचालनालय का जांच दल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह के कार्यालय में जॉच हेतु दिनांक 04.09.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह कार्यालय में उपस्थित हुआ तत्पश्चात् जांच संबंधी कार्यवाही की गई :—

2—कार्य विवरणः—

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह कार्यालय के पत्र क्रमांक स्था.अवि./9537 दिनांक 02.05.2017 के क्रम में संचालनालय की जांच दल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 में क्रय की गई औषधि/सामग्री एवं उपकरणों के एन.एच.एम. के लंबित देयक एवं राज्य बजट के लंबित देयक एवं एन.एच.एम. दमोह द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 में जारी किये गये क्रय आदेश एवं उनके विरूद्ध किये गए भुगतान की जांच की गई। उपलब्ध कराये गये दस्तावेजो के अनुसार निम्नानुसार जांच का विवरण प्रस्तुत हैं।

3—कार्यप्रभारः—

वर्ष एवं 2014—15 में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह के कार्यालय में निम्नांकित अधिकारी कर्मचारी प्रभार में रहे :—

क्रं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	अवधि
1	डॉ0 ओ.पी. गौतम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	26.09.2013 से 10.04.2015
2	डॉ0 ओ.पी. गौतम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	26.09.2013 से 10.04.2015

3	डॉ0 बी.पी. अहिरवार / डॉ0 राकेश राय	भण्डार अधिकारी	वर्ष 2014–15
4	श्री अमित ठाकुर (प्रभारी)	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	वर्ष 2014–15
5	श्री राजेश श्रीवास्तव	जिला लेखा प्रबंधक	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
6	श्री संजीव कुमार जैन	लेखापाल	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
7	श्री अविनाश तिवारी	कय लिपिक	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
8	श्री एल.एन. जड़िया	कय लिपिक	वर्ष 13.11.2014 से 28.07.2015 तक
9	कु. प्रिया यादव	स्टोर कीपर	वर्ष 2013–14 एवं 2014–15

1. वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्रय की गई औषधि/सामग्री/उपकरण के लंबित देयकों संबंधी विवरण ।

बिन्दु–1:– वित्तीय वर्ष 2014–15 में जारी किये गये टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत फर्म के अतिरिक्त अन्य फर्म से टेण्डर एवं कोटेशन में स्वीकृत दरों राशि रू. 40,58,124/– की सामग्री एवं औषधियों का कय किया गया। जो कि औषधि नीति 2009 का एवं भण्डार कय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– कमांक–1 (विवरण)**

बिन्दु–2:– एस.डी.एम.आई.एस. में एण्टी रेबीज वैक्सीन की दर उपलब्ध होने के बावजूद अन्य फर्म से राशि रू. 2,51,853/– एण्टी रेबीज वैक्सीन का कय किया गया। **परिशिष्ट– कमांक–2 (विवरण)**

बिन्दु–3:– सामग्री कय हेतु दिनांक 05.01.2015 को कय आदेश जारी किए गए एवं सामग्री प्राप्ति का बिल दिनांक 29.12.2014 को ही प्रस्तुत किया गया। राशि रू. 1,48,000/– संदेहास्पद की परीधि में आकर घोर अनियमितता का धोतक हैं। **परिशिष्ट– कमांक–3 (विवरण)**

बिन्दु–4:– म.प्र. खादीग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत खादी ग्रामोद्योग भण्डार/एम्पोरियम, छिंदवाड़ा से बेडशीट का सीधे क्रय किया गया । जो कि भण्डार क्रय नियमों में आरक्षित आयटम एवं अधिकृत संस्था नहीं हैं। राशि रू. 3,35,000/– **परिशिष्ट– क्रमांक–4 (विवरण)**

बिन्दु–5:– राशि रू. 3,90,783/– का मुद्रण कार्य किया गया। मुद्रण कार्य हेतु शासकीय मुद्रणालय को आर्डर नहीं दिया गया न ही एन.ओ.सी. प्राप्त की, समस्त कार्य अशासकीय संस्थाओं से किया गया। जो कि भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– क्रमांक–5 (विवरण)**

बिन्दु–6:– मेडिनोवा जबलपुर द्वारा प्रस्तुत स्पेशिफिकेशन एवं पत्रक के आधार पर बेसिक मशीन मास्क जेल फेस मास्क राशि रू. 2,54,520/– का क्रय किया गया । इस हेतु न हीं टेण्डर, कोटेशन प्राप्त किये गये न हीं वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति प्राप्त की गई। **परिशिष्ट– क्रमांक–6 (विवरण)**

बिन्दु–7:– मृगनयनी एम्पोरियम को सामग्री क्रय हेतु राशि रू. 30,89,770/– के क्रय आदेश जारी किये गये। जिसका कनवर्शन मृगनयनी द्वारा क्रमशः कोजी ट्रेडर्स ग्वालियर, शिवा मेडिकल जबलपुर, सुपर सेल्स कार्पोरेशन जबलपुर को किया गया । उक्त सामग्री का प्रदाय इन्हीं संस्था के द्वारा किया गया। भण्डार क्रय नियमानुसार मृगनयनी एम्पोनियम उक्त सामग्री प्रदाय हेतु अधिकृत नहीं हैं न हीं उक्त संस्था को सामग्री क्रय हेतु कनवर्शन किये जाने का अधिकार हैं। भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन किया गया। **परिशिष्ट– क्रमांक–8 (विवरण)**

बिन्दु–8:– टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म को जिसकी दर को स्वीकृत नहीं किया गया था राशि रू. 7,83,381/– के क्रय आदेश जारी किये गये। जो कि भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन हैं। **परिशिष्ट– क्रमांक–9 (विवरण)**

बिन्दु–9:– नमूना जांच में मांग पत्र एवं स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जिसमें भण्डार शाखा द्वारा मांग पत्र दिनांक 19.01.2015 में ग्लूकोमीटर की उपलब्धता निल दर्शाई गई हैं जबकि स्टॉक रजिस्टर में 07.01.2015 में 7,998/– ग्लूकोमीटर के पीसेज शेष दर्शाये गये हैं। जो आवश्यकता न होने पर भी क्रय किया गया। **परिशिष्ट– क्रमांक–10 (विवरण)**

बिन्दु–10:– राज्य बजट में लंबित देयकों में से कोटेशन/टेण्डर में स्वीकृत दर पर अन्य फर्म से राशि रू. 5,04,974/– के क्रय आदेश जारी किये गये शेष देयक क्रमांक 1005, 1008, 1009, 1012, 361, 366, 367, 37816, 1726 के देयक संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कराये गये। **परिशिष्ट– क्रमांक–10 (विवरण)**

2. वित्तीय वर्ष 2014–15 में क्रय की गई औषधि/सामग्री/उपकरण का आर.सी.एच./एन.एच.एम. से किया गया कय एवं भुगतान संबंधी विवरण ।

बिन्दु–1:– वित्तीय वर्ष 2014–15 की एन.एच.एम. अन्तर्गत जिले को स्वीकृत कार्ययोजना में उपार्जन मद में मुख्य रूप से राशि 350.44 लाख रूपयें की स्वीकृति जारी की गई थी जिसके विरूद्ध एफ.एम.आई.एस. की रिर्पोट अनुसार राशि 320.83 लाख रूपयें का व्यय किया गया है। परिशिष्ट– कमांक–1 (विवरण)

बिन्दु–2:– उपरोक्त स्वीकृत बजट का उपयोग म.प्र. दवा नीति 2009 एवं राज्य स्तर के निर्देशानुसार किया जाना था । लेखों के परीक्षण में ज्ञात हुआ कि उपार्जन मद में जिले द्वारा लगभग राशि 366.46 लाख रूपयें का व्यय किया गया है ।

बिन्दु–3:– कुल स्वीकृति में से **मिशन फ़लैक्सीपूल (एन.एच.एम.) अन्तर्गत** उपार्जन मद में कुल राशि 292.54 लाख रूपयें की स्वीकृति जिले को प्राप्त हुई थी । केशबुक के अनुसार एन.एच.एम. बैंक खाते से उपार्जन मद में कुल राशि 247.45 लाख रूपयें का व्यय किया है । जिसमें से राशि 82.83 लाख रूपयें का व्यय राज्य स्तर से स्वीकृत दरों (टी.एन.एम.एस.सी.) पर किया गया है एवं राशि 164.62 लाख रूपयें का व्यय जिला स्तर से विभिन्न प्रकियाओं के माध्यम से किया गया है । **28 प्रतिशत टीएनएमएससी से कय एवं 56 प्रतिशत स्थानीय कय किया गया।**

बिन्दु–4:– कुल स्वीकृति में से **आर.सी.एच. अन्तर्गत** उपार्जन मद में कुल राशि 57.90 लाख रूपयें की स्वीकृति जिले को प्राप्त हुई थी । केशबुक के अनुसार आर.सी.एच. बैंक खाते से उपार्जन मद में कुल राशि 118.99 लाख रूपयें का व्यय किया है । जिसमें से राशि 9.01 लाख रूपयें का व्यय राज्य स्तर से स्वीकृत दरों (टी.एन.एम.एस.सी.) पर किया गया है एवं राशि 109.97 लाख रूपयें का व्यय जिला स्तर से विभिन्न प्रकियाओं के माध्यम से किया गया है । **15 प्रतिशत टीएनएमएससी से कय एवं 190 प्रतिशत स्थानीय कय किया गया।** परिशिष्ट– कमांक–4 (विवरण)

बिन्दु–5:– राशि 36.60 लाख रूपयें के कयादेश वित्तीय वर्ष 2013–14 में जारी किया गया था जिनका भुगतान वित्तीय वर्ष 2014–15 में किया गया है ।

बिन्दु–6:– समस्त कय प्रकिया में शासन के म.प्र. भंडार कय नियमों का पालन किया जाना नहीं पाया गया है । म.प्र. दवा नीति अनुसार 80:20 अनुपात का पालन नही किया गया है ।

(निष्कर्ष)

1. कुछ प्रकरणों में टेण्डर प्रकिया में शामिल फर्मो की स्वीकृति दरो से सामग्री/औषधियों का क्रय न कर अन्य फर्म (जो टेण्डर प्रक्रिया में शामिल नहीं) से क्रय कर भण्डार क्रय नियमों का उल्लघंन किया गया।

2. मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अधिकृत ग्रामोंद्योग भण्डार एम्पोरियम, छिन्दवाड़ा को सीधे क्रय आदेश किया गया जो की भण्डार क्रय नियमों का उल्लघंन है।

3. समाग्री प्राप्ति दिनांक 29.12.2014 है जबकि सामग्री क्रय आदेश दिनांक 05.01.2015 हैं, अर्थात सामग्री कय आदेश जारी होने के पूर्व ही प्राप्त हुई संदेहास्पद की परीधि में आकर अनियमितता का घोतक है।

4. मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालय से न कराकर अशासकीय संस्थाओं से कराया गया। जो भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन है। अशासकीय संस्थाओं से कार्य कराने के पूर्व शासकीय मुद्रणालय से N.O.C प्राप्त की जानी थी।

5. रूपये 2,54,520/- का सामग्री क्रय किया गया जिस हेतु टेण्डर/क़ोटेशन प्रकिया नही की गई ।

6. मृगनयनी एम्पोरियम से सामग्री क्रय की गई है। जिसका कनवर्शन मृगनयनी एम्पोरियम द्वारा जारी किया, उक्त सामग्री प्रदाय हेतु मृगनयनी एम्पोरियम अधिकृत नहीं है।

7. मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा पत्र कमांक/एन.एच.एम./वित्त/2015/12694, भोपाल दिनांक 16.11.2015 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह को निर्देशित किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के एन.एच.एम. अन्तर्गत लंबित देयक राशि 1.90 करोड का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत बजट से किया जायें, किंतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह द्वारा निर्देशों के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया । 28.29

8. पुनः एन.एच.एम. के पत्र कमांक/एन.एच.एम./वित्त शाखा/2016/1562, भोपाल दिनांक 12.2.2016 से बिंदु कमांक 07 के संदर्भ में निर्देशित किया गया था लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह द्वारा भुगतान नहीं किया गया ।

9. एन.एच.एम. बजट अन्तर्गत लंबित देयकों के संबंध में कयादेश जारी होने के उपरांत संबधित फर्म द्वारा सामग्री/औषधि का प्रदाय किया गया। अतः संबंधित फर्मो को भुगतान करने पर विचार किया जा सकता हैं।

कनिष्ठ
लेखा परीक्षक
(प्रभाकर ढोके)

राज्य लेखा प्रबंधक
एन.एच.एम.

लेखा अधिकारी
(संतोष खोडिया)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–7/नीमच/2019/1696 भोपाल दिनांक 18/06/2019

प्रति,

डॉ. सुरेन्द्र पटेल,
चिकित्सा अधिकारी,
शासकीय चिकिसालय रामपुरा
जिला नीमच म.प्र.।

द्वारा– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमच म.प्र.।

विषयः–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओं नोटिस विरूद्ध डॉ. सुरेन्द्र पटेल चिकित्सा अधिकारी, शासकीय चिकिसालय रामपुरा जिला नीमच म.प्र.।

———000———

यह कि आप डॉ. सुरेन्द्र पटेल शासकीय चिकिसालय रामपुरा जिला नीमच में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ है।

यह कि आपकी पदस्थी के दौरान श्री साहिल पिता सलीम, समीर पिता रईस निवासी काज़ीपुरा रामपुरा ने आपके विरूद्ध एक विस्तृत शिकायत कलेक्टर नीमच को प्रस्तुत की जो उनके पत्र दिनांक 17.07.2018 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा को भेजते हुए प्रतिवेदन चाहा गया था। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा ने पत्र दिनांक 27.08.2018 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि संपूर्ण जांच में गवाहो के कथन चिकित्सालय स्टाफ तथा थाने के स्टाफ से इस निष्कर्ष पर पहुंचा की डॉ. सुरेन्द्र पटेल का व्यवहार मधुर नही है। मरीजों एवं उनके परिजनों से आपका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण न रहते हुए उपेक्षापूर्ण रहता है जिससे स्थिति में तनाव उत्पन्न होता है एवं विभाग की छवि धूमिल होती है।

आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) का उल्लंघन है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमच के माध्यम से प्रस्तुत करें। क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा **(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)** 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

18/6/19

(डॉ विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिका.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/शिका./सेल–7/नीमच/2019/ भोपाल दिनांक /06/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

2 निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. स्थानीय कार्यालय।

3 संचालक वित्त/अस्पताल प्रशासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.।

4 उप संचालक, विज्ञप्त/लीगल/गोपनीय स्थानीय कार्यालय।

5 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग उज्जैन।

6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमच म.प्र. की ओर डॉ. सुरेन्द्र पटेल चिकित्सा अधिकारी को जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित को तामिल कराकर तामिली रिपोर्ट एवं प्रतिवाद उत्तर पन्द्रह दिवस में प्रस्तुत करें। ।

6 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।

7 आदेश नस्ति ।

उप संचालक (शिका.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–1/पन्ना/एससीएन/2019/1576 भोपाल, दिनांक 29/05/2019

प्रति,

डॉ.जी.पी.आर्य,
जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2
जिला–पन्ना, मध्यप्रदेश।

द्वाराः–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना ।

विषयः–कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्ध–डॉ.जी.पी.आर्य, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2, जिला–पन्ना, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अंतर्गत।

00–00

यह कि आप डॉ. जी.पी.आर्य, जिला पन्ना में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2 के पद पर पदस्थ हैं।

आपकी पदस्थी के दौरान दिनांक 29.03.2019 को प्रातः 10.30–12.20 बजे परिवार कल्याण कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिलो के जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2 को अनिवार्यतः उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था । वन–टू–वन चर्चा के दौरान पन्ना जिले को बात करने हेतु निर्देर्शित किया गया, किंतु जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2, पन्ना के पद पर पदस्थ होने के पश्चात भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा हेतु उपस्थित नहीं हुए जो आपकी कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य **मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड** (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध **मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के** अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क. 4/शिका./सेल–1/पन्ना/एफ– /2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन,भोपाल।
2. निजी सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग, सागर, मध्य प्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. जी.पी.आर्य, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी जिला–पन्ना,मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
7. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–1/सतना/एससीएन/2019/1574 भोपाल, दिनांक 29/05/2019

प्रति,

डॉ.मनोज सिंह तोमर,
जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2
जिला–सतना, मध्यप्रदेश।

द्वाराः–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना ।

विषयः– कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्ध– डॉ.मनोज सिंह तोमर, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2, जिला–सतना, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अतंर्गत ।

00–00

यह कि आप डॉ. मनोज सिंह तोमर, जिला सतना में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2 के पद पर पदस्थ हैं।

आपकी पदस्थी के दौरान दिनांक 29.03.2019 को प्रातः 10.30–12.20 बजे परिवार कल्याण कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिलो के जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2 को अनिवार्यतः उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था । वन–टू–वन चर्चा के दौरान सतना जिले को बात करने हेतु निर्देर्शित किया गया, किंतु जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2, सतना के पद पर पदस्थ होने के पश्चात भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में चर्चा हेतु उपस्थित नहीं हुए जो आपकी कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य **मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii)** के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध **मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के** अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क. 4/शिका./सेल–1/सतना/एफ– /2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. मनोज सिंह तोमर, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2 जिला–सतना,मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
7. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ ३५३ भोपाल,दिनांक 28/05/2019

प्रति,

डॉ.आर.एस.कनास
चिकित्सा अधिकारी
सामु.स्वास्थ्य केन्द्र झिरन्या
जिला–खरगोन म.प्र. ।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–खरगोन म.प्र. ।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :–डॉ.आर.एस.कनास चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र झिरन्या जिला–खरगोन,मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का स्थानांतरण आदेश क.360 भोपाल दिनांक 27.02.2019 ।

00–00

यह कि आप डॉ.आर.एस.कनास, चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी सह प्रभारी बी.एम.ओ. सामु.स्वास्थ्य केन्द्र झिरन्या जिला खरगोन में पदस्थ हैं।

संदर्भित स्थानांतरण आदेश के द्वारा तत्काल प्रभाव से आपका स्थानांतरण सामु.स्वास्थ्य केन्द्र झिरन्या जिला खरगोन से जिला चिकित्सालय बुरहानपुर प्रशासकीय आधार पर किया गया है किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक स्थानांतरण स्थल जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा संदर्भित स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं कर आप अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत 07 दिवस में अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्व मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

निरन्तर..2

पृ. कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ ३५५ भोपाल,दिनांक 28/05/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ,इंदौर संभाग इंदौर म0प्र0।
5. कलेक्टर, जिला–खरगोन मध्यप्रदेश।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–खरगोन की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित डॉ.आर.एस.कनास, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी बी.एम.ओ. सामु.स्वास्थ्य केन्द्र झिरन्या को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर, प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ ३५१ भोपाल,दिनांक २७/05/2019

प्रति,

डॉ.हेमन्त गुप्ता
चिकित्सा अधिकारी
सामु.स्वास्थ्य केन्द्र सोनकच्छ
जिला–देवास म.प्र. ।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–देवास म.प्र. ।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :–डॉ.हेमन्त गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र सोनकच्छ जिला–देवास,मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का स्थानांतरण आदेश क्र.360 भोपाल दिनांक 27.02.2019 ।

00–00

यह कि आप डॉ.हेमन्त गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामु.स्वास्थ्य केन्द्र सोनकच्छ जिला देवास में पदस्थ हैं।

संदर्भित स्थानांतरण आदेश के द्वारा तत्काल प्रभाव से आपका स्थानांतरण सामु.स्वास्थ्य केन्द्र सोनकच्छ जिला देवास से जिला चिकित्सालय रायसेन प्रशासकीय आधार पर किया गया है किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक स्थानांतरण स्थल जिला चिकित्सालय रायसेन में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा संदर्भित स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं कर आप अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत 07 दिवस में अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्व मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

निरन्तर..2

पृ. कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 342 भोपाल,दिनांक 28/05/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन म0प्र0।
5. संचालक,स्वास्थ्य सेंवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. कलेक्टर, जिला–देवास मध्यप्रदेश।
7. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण शाखा) स्थानीय कार्यालय ।
8. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–देवास की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित डॉ.हेमन्त गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वास्थ्य केन्द्र सोनकच्छ को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर, प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि ज़ारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.1/जिला–रीवा/आश्वा.क.685/2019/1538 भोपाल, दिनांक 22/5/2019

प्रति,

डॉ.एस.के.त्रिपाठी,
तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला रीवा,मध्यप्रदेश।

वर्तमान में :–उप संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,कार्यालय क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा।

द्वारा :– क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा,मध्यप्रदेश।

विषयः–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :–डॉ.एस.के.त्रिपाठी,तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा वर्तमान में उप संचालक,मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम,16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00–00

यह कि आप डॉ.एस.के.त्रिपाठी, जिला रीवा में वर्ष 2017 की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ थे वर्तमान में आप कार्यालय क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग, रीवा में उप संचालक,स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ है।

मार्च 2017 में माननीय विधायक महोदय श्रीमती शीला त्यागी द्वारा विधान सभा प्रश्न क्रमांक. 6324 दिनांक 22.03.2017 (परिशिष्ट–अ) के बिन्दु क्रमांक.(ख) में बिना टेण्डर कोटेशन के सी.एम.एच. ओ.द्वारा छपाई आदि का लगभग 10 लाख के उपर का फर्जी भुगतान किया गया है ? " संबंधी पूँछा गया। प्रकरण की जांच क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा द्वारा पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन (परिशिष्ट–ब) संचालनालय को प्रेषित किया गया।

वित्तीय शक्ति पुस्तिका 2012 के भाग 1 की कंड़िका 9 अनुसार सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वयं आपको) को निजी मुद्रणालय से एक वित्तीय वर्ष में रूपये एक लाख के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार है। जबकि आपने अपने पत्र दिनांक 25.10.2016 द्वारा मेटरनिटी विंग केस शीट के मुद्रण कार्य हेतु प्रशांत इंटरप्राईजेस को कार्य आदेश जारी करते हुये देयक दिनांक 22.12.2016 राशि रूपये 4,95,000/–का भुगतान किया तथा टीकाकरण कार्ड के मुद्रण हेतु आपने अपने पत्र दिनांक 24.03.2017 द्वारा प्रशांत इंटरप्राइजेस को कार्य आदेश जारी करते हुये देयक दिनांक 29.03.2017 राशि रूपये 3,61,000/–का भुगतान किया। इस प्रकार आपने मध्यप्रदेश वित्तीय शक्ति पुस्तिका 2012 , भाग–1 की कंड़िका 9 के प्रावधान का पालन नहीं किया गया।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम,1965 के नियम–3 के उप नियम, एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है। निरन्तर.....2

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग,रीवा के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम, 10 अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.1/जिला–रीवा/आश्वा.क.685/2019/
प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित्।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
3. अपर संचालक,वित्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक.6324 से उद्भूत लंबित आश्वासन कमांक.685 के संदर्भ में उनके द्वारा प्रेषित टीप दिनांक 23.03.2019 के अनुकम में प्रेषित।
4. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक,विधान सभा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर मार्च 2017 की अवधि में प्राप्त विधान सभा प्रश्न कमांक.6324 से उद्भूत लंबित आश्वासन कमांक.685 के अनुकम में प्रेषित।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग,रीवा की ओर उनके द्वारा विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक.6324 से उद्भूत लंबित आश्वासन कमांक.685 के संदर्भ में संचालनालय को प्रेषित जांच प्रतिवेदन के अनुकम में पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस डॉ.एस.के. त्रिपाठी,तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा वर्तमान में आपके अधीन उप संचालक,स्वास्थ्य सेवायें को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा,मध्यप्रदेश।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड़ पर अपलोड़ करें।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-अ -11-1-17

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

79

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक 15/03/2017

वर्ग–5 सदन में उत्तर देने का दिनांक 22/03/2017 **विभाग का नाम** लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

विषयः– सी.एम.एच.ओ.कार्यालय रीवा की जांच ।

(तारांकित प्रश्न कमांक.6324)

श्रीमती शीला त्यागी

क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि :–

(क) क्या कमिश्नर रीवा के पत्र क./6–विकास/2014/1977 रीवा दिनांक 03.04.2014 के जांच प्रतिवेदन प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल को भेजे गये प्रस्ताव में सी.एम.एच.ओ.रीवा को स्पष्ट रूप से दोषी पाये जाने के पश्चात् एफ.आई.आर.दर्ज करने की कार्यवाही आज दिनांक तक लंबित है ?

(ख) प्रश्नांश (क) यदि हां तो श्री देवेन्द्र पटेल, संविदा एन.एच.एम.,श्री एम.पी.पटेल डी.सी.एम. एवं श्री दीपक खरे सहायक लेखापाल संविदा द्वारा बिना टेण्डर कोटेशन के सी.एम.एच.ओ.द्वारा छपाई आदि का लगभग 10 लाख के उपर का फर्जी भुगतान किया गया है ?

(ग) सी.एम.एच.ओ.रीवा के पत्र कमांक./स्थापना–3/2016/13504/रीवा दिनांक 29.10.2016 के आदेश के तहत उच्च न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त कर्मचारी श्री शिवशंकर तिवारी सुपरवाईजर को वित्तीय गबन में सेवा समाप्त की सजा दी गई है, जिसे सेवा समाप्त न करते हुये 75 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसके लिये कौन दोषी है।

(घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के संदर्भ में दोषी सी.एम.एच.ओ.के विरूद्ध कौन–सी दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी।

:: उत्तर ::

मंत्री , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग :–

(क) **जी नहीं** , कमिश्नर ,रीवा के पत्र कमांक./6–विकास/2014/1977 रीवा दिनांक 03.04.2014 **द्वारा नहीं बल्कि** पत्र कमांक./6–विकास/वि.जां./2014/1975 रीवा दिनांक 03 अप्रैल 2014 द्वारा **जांच प्रतिवेदन** प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल की ओर प्रेषित कर डॉ.आई.एम.शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा को जांच में दोषी पाते हुये उनके विरूद्ध दीर्धशास्ति अधिरोपित की जावें संबंधी लेख किया जिसका सूक्ष्म परीक्षण किये जाने के पश्चात् डॉ.शर्मा के विरूद्ध विभाग ने आदेश कमांक एफ.12–18/2014/17/मेडि–1/दिनांक 11.03.2015 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई जो प्रचलन में है।

(ख) प्रश्नांश में उल्लेखित शिकायती पत्र क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा को प्राप्त होने पर प्राप्त शिकायती प्रकरण की जांच, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा द्वारा उनके आदेश दिनांक 09.02.2017 द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल का गठन करते हुये कराई जा रही है।

(ग) **माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर द्वारा श्री शिवशंकर तिवारी को वित्तीय गबन मामले में दाण्डिक प्रकरण कमांक.25896/06 पंजीबद्ध कर दिनांक 15.10.2016 द्वारा निर्णय आदेश पारित कर श्री तिवारी को कारावास की सजा दी गई जिस पर श्री शिवशंकर तिवारी निलंबित सुपरवाईजर द्वारा माननीय विशेष न्यायालय लोकायुक्त जिला सत्र न्यायाधीश क्रिमिनल अपील कमांक. 361/16 प्रस्तुत किये जाने पर श्री तिवारी के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर द्वारा दिया गया दण्डादेश स्थगित किये जाने संबंधी दिये गये निर्णय के फलस्वरूप** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा द्वारा उनके आदेश कमांक./स्था–3/2016/13504/दिनांक 29.12.2016 द्वारा 75 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया गया था जिसे बाद में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा ने उनके आदेश कमांक.1206/दिनांक 25.01.2017 द्वारा निरस्त करते हुये पत्र कमांक.1888/दिनांक 2.2.2017 द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक की प्रति क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा की ओर प्रेषित की गई जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है।

(घ) प्रश्नांश में उल्लेखित समस्त बिन्दुओं पर जांच संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अनुमोदित।

10/11/17

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कार्यालय क्षेत्रीय सॅचालक, स्वास्थ्य सेवाये रीवा सॅभाग रीवा, म०प्र०

पृ०क्र०/ शिकायत/2018/ 487

रीवा, दिनॉक 09-02-18

उप सॅचालक,
(शिकायत)
सॅचालनालय स्वास्थ्य सेवाये म.प्र.भोपाल ।

विषयः- विधानसभा आश्वासन क्रमॉक 685 " बिना टेण्डर कोटेशन के सी.एम.एच.ओ. रीवा द्वारा छपाई आदि का लगभग 10.00 लाख के उपर का फर्जी भुगतान किया गया शिकायत का जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने बावत् ।

सॅदर्भः- सॅचालनालय स्वास्थ्य सेवाये म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमॉक 4/शिका/ सेल-1/ प्रकरण क्रमॉक 6324/ आश्वा.क्रमॉक 685/17/2045 भोपाल, दिनॉक 27.12.2017

उपरोक्त सन्दर्भित् पत्र मे किए गए लेख के परिपेक्ष्य मे लेख है कि कार्यालयीन पत्र क्रमॉक/शिकायत/17./411–12 रीवा, दिनॉक 3.2.2018 द्वारा प्रकरण मे शिकायत की बिन्दुवार जॉच हेतु 03 सदस्सीय जॉच दल का गठन किया जाकर 7 दिवस के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन मे जॉच अधिकारियो द्वारा दिनॉक 9.2.2018 को जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमे प्रपत्रो के मुद्रण मे किसी भी प्रकार की अनियमितता नही होने का लेख किया गया है ।

अतः निर्देशानुसार 03 सदस्सीय जॉच दल द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन मूलतः सहपत्रो सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है ।

सॅलग्नः- जॉच प्रतिवेदन मूलतः सहपत्रो सहित ।

(डा०एस.के.सालम)
क्षेत्रीय सॅचालक
स्वास्थ्य सेवाये रीवा सॅभाग रीवा

पृ०क्रमॉक/ शिकायत/2018/ 487-88
रीवा, दिनॉक 09-02-18

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवॅ आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवॅ परिवार कल्याण विभाग म.प्र.भोपाल ।
2. उप सॅचालक (विधानसभा) सॅचालनालय स्वास्थ्य सेवाये म.प्र.भोपाल ।

(डा०एस.के.सालम)
क्षेत्रीय सॅचालक
स्वास्थ्य सेवाये रीवा सॅभाग रीवा

11.12.18

(188)

क्षेत्रीय सँचालक,
स्वास्थ्य सेवाये रीवा सँभाग रीवा ।

विषयः- मुख्य चिकित्सा अधिकारी रीवा द्वारा बिना टेण्डर कोटेशन के सी.एम.एच.ओ. रीवा द्वारा छपाई आदि का लगभग 10.00 लाख के उपर का फर्जी भुगतान सम्बँधी शिकायत का जॉच प्रतिवेदन ।

सँदर्भः- कार्यालयीन आदेश क्रमॉक/शिकायत/18/411–12 दिनॉक 3.2.2018

उपरोक्त सन्दर्भित् पत्र मे दिए गए निर्देश के परिपालन मे विषयॉकित शिकायत की जॉच हेतु मुख्य चिकित्सा एवँ स्वा. अधिकारी जिल रीवा द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखो /देयको का परीक्षण किया जाने उपरॉत् बिन्दुवार जानकारी सहित जॉच प्रतिवेदन मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

(डा०अनन्त मिश्रा)
उप सँचालक

(डा०एन.पी.पाठक)
उप सँचालक

9/2/18
(डा०ए.पी.द्विवेदी)
उप सँचालक

(134)

जॉच प्रतिवेदन

विधानसभा आश्वासन क्रमॉक 685 " बिना टेण्डर कोटेशन के सी.एम.एच.ओ. रीवा द्वारा छपाई आदि का लगभग 10.00 लाख के उपर का फर्जी भुगतान किया गया है ।

मुख्य चिकित्सा एवॅ स्वा. अधिकारी कार्यालय रीवा द्वारा जॉच के सम्बॅध मे उपलब्ध कराए गए अभिलेखो /देयको /नस्तियो के अवलोकन से निम्न जानकारी बिन्दुवार प्रदर्शित है :-

1. सॅचालक, एन.एच.एम. म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमॉक /एन.एच.एम./एम.एच/2016/258 भोपाल, दिनॉक 28.6.2016 द्वारा मेटरनिटी विग केससीट (बेड हेड टिकट) मुद्रण हेतु दिशा निर्देश सहित कुल 642700/- का आवॅटन उपलब्ध कराया गया,जिसके परिपेक्ष्य मे प्रपत्र म्रदण हेतु रू.495000/- का भुगतान मेसर्स प्रशान्त इन्टरप्राइजेज रीवा को किया गया । (छायाप्रति सॅलग्न) ।
2. मुख्य चिकित्सा एवॅ स्वा. अधिकारी कार्यालय रीवा के पत्र क्रमॉक/एनएचएम/प्रशि/16/1017 दिनॉक 19.9.2016 द्वारा मुद्रण हेतु उपनियॅत्रक,शास.मुद्रणालय रीवा को लेख किया गया जिसके परिपेक्ष्य मे उप नियॅत्रक,शासकीय प्रेस रीवा ने पत्र क्रमॉक/प्रपत्र/16–17/1154 दिनॉक 30.9.2016 द्वारा कलर मुद्रण की सुविधा उपलब्ध न होने का लेख किया गया (छायाप्रति सॅलग्न) ।
3. मुख्य चिकित्सा एवॅ स्वा. अधिकारी कार्यालय रीवा द्वारा निविदा आमॅत्रण किया जाकर निविदा खोलने व स्वीकृति की कार्यवाही समिति गठन कर की गई तदानुसार स्वीकृत फर्म को मुद्रण का आदेश प्रदान किया जाकर मुद्रण का कार्य कराया गया (छायाप्रतियॉ सॅलग्न) ।
4. मुख्य चिकित्सा एवॅ स्वा.अधिकारी जिला रीवा द्वारा वर्ष 16–17 मे कराए गए मुद्रण कार्यो के देयको व नस्ती की प्रस्तुत जानकारी के अनुसार पल्स पोलियो कार्यक्रम के प्रपत्रो का मुद्रण शासकीय प्रेस सें कराया गया जिसके लिये रू 33275.00 का भुगतान किया गया (सॅलग्न छायाप्रति) ।
5. इसी प्रकार आर.सी.एच.ट्रेनिग बुक का मुद्रण शासकीय प्रेस रीवा से कराए जाने के लिये 22310.00 तथा पीएमएसएमए पर्ची का मुद्रण केन्द्रीय जेल रीवा से कराए जाने के लिये 2665.00 का भुगतान किया गया (सॅलग्न छायाप्रतियॉ) ।
6. इसी प्रकार टीकाकरण कार्ड का मुद्रण प्रशान्त इन्टरप्राइजेज रीवा (निविदा अनुसार) से कराए जाने के लिये 360000.00 का भुगतान किया गया (सॅलग्न छायाप्रतियॉ) ।

जॉच निष्कर्ष :-

इस प्रकार प्रकरण मे मुख्य चिकित्सा एवॅ स्वा. अधिकारी जिला रीवा द्वारा उल्लेखित अवधि मे कराए गए मुद्रण की जॉच किए जाने मे पाया गया कि :-

1. उप नियॅत्रक, शासकीय मुद्रणालय तथा केन्द्रीय जेल रीवा से मुद्रण का कार्य कराया गया है ।
2. उप नियॅत्रक, शासकीय मुद्रणालय रीवा को मुद्रण किए जाने हेतु किए गए लेख के परिपेक्ष्य मे मुद्रण द्वारा किए गए लेख के परिपेक्ष्य मे निविदा आमॅत्रित की जाकर स्वीकृत निविदा अनुसार मुद्रण का कार्य कराया जाने के उपरॉत् प्राप्त बजट आवॅटन अनुसार फर्मो को भुगतान किया गया है ।

इस प्रकार प्रपत्र मुद्रण के लिये मिशन सॅचालक, एन.एच.एम./स्वीकृत कार्य योजना मे किए गए प्रावधान अनुसार कराए गए प्रपत्रो के मुद्रण मे अनियमितता प्रदर्शित नही होती है ।

(डा०अनन्त मिश्रा)	(डा०एन.पी.पाठक)	(डा०ए.पी.द्विवेदी)
उप सॅचालक	उप सॅचालक	उप सॅचालक
जॉचकर्ता अधिकारी	जॉचकर्ता अधिकारी	जॉचकर्ता अधिकारी

(140)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा (म0प्र0)

0/एनएचएम/2016/1661 रीवा, दिनांक 25/10/16

प्रति,

संचालक
प्रशांत इन्टरप्राईज
ए.एस.एफ. चौक रीवा

विषयः— मेटरनिटी किंग केसशीट मु[illegible]ण कराने के संबंध में।

विषयान्तर्गत मेटरनिटी कि[illegible] केसशीट मुद्रण हेतु आपके द्वारा प्रदाय कोटेशन दर सबसे कम पाई गई है।

अतः आप संलग्न शीट अनुसार केसशीट मृद्रण कर 07 दिसव के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध कराते हेतु बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करे।

(डॉ0 एस0के0 त्रिपाठी)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रीवा (म0प्र0)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा

वर्ष 2016–17 में मेटरनिटी विंग केसशीट मुद्रण कराये जाने हेतु प्राप्त कोटेशनों का तुलनात्मक विवरण

क्रमांक	कार्य का विवरण	संस्था का नाम एवं उनके द्वारा दी गई दर रूपयों में			रिमार्क
		केश्यप टेडर्स गुढ़ चौराहा रीवा	प्रशांत इन्टरप्राईज ए.एस.एफ. चौक रीवा	सौरभ इन्टरप्राईज नगर निगम रीवा	
1	प्रसूति केशसीट 24 पेंज प्रति (बाइडिंग सहित)	110.00	18.00	115.00	प्रशांत इन्टरप्राईजेज रीवा की दर सबसे कम हैं

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य 27/10/16

(142)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जिला रीवा (म.प्र.)

विषयः– वर्ष 2016–17 अन्तर्गत बी.10.7.4.13 Printing of Bed head ticket मद से मुद्रण कराये गये मेटर्निटी विंग केसशीट के देयक के भुगतान विषयक।

विषयान्तर्गत मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/एनएचएम/एमएच/258 दिनांक 28.06.2016 के तहत मेटरनिटी विंग केसशीट प्रिंट कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तहत न्यूनतम दर के आधार पर प्रशांत इन्टरप्राईजेज, रीवा को मुद्रण कार्य हेतु आदेशित किया गया है। संबंधित फर्म द्वारा निम्नानुसार देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये है।

कमांक	फर्म का नाम	बिल कमांक/दिनांक	राशि	रिमार्क
1	Prashant Enterprises, Rewa	620/08-11-16	495000.00	

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत देयक तैयार कर भुगतान स्वीकृत हेतु नस्थी अवलोकनार्थ एवं आदेषार्थ प्रस्तुत है ।

22/12/16

Secretary
Distt. health Society
(RCH/NRHM)
Distt – Rewa M.P.

DHO-1
Distt -Rewa M.P.

अनुमोदनोपरान्त एनआरएचएम खाते से पीपीए तैयार कर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

S.No	Particular	PPA No	Dated	Amount	Activity Head
1	Prashant Enterprises, Rewa	C121602648779		490050.00	B.1.1.2.3.1 (Printing of Maternity wing case sheet)
2	SBI Govt Tax A/c I.Tax	941074		4950.00	TDS @1% on Bill amt
	Total Rs.			495000.00	

Secretary
Distt. health Society
(RCH/NRHM)
Distt – Rewa M.P.

DHO-1
Distt -Rewa M.P.

(143)

विषय:- टीकाकरण कार्ड मुद्रण के देयकों के भुगतान विषयक।

विषयान्तर्गत वर्ष 2016-17 की स्वीकृत कार्ययोजना में टीकाकरण कार्यक्रम अन्तर्गत गतिविधि कोड क्रमांक C.1.c अन्तर्गत कुल 745800/- का बजट प्रावधान किया गया है। तत्संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रीवा के पत्र क्रमांक/एनएचएम/2016/6689 रीवा दिनांक 24.03.17 के माध्यम से 40000 टीकाकरण कार्ड छपाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके देयक निम्नानुसार सत्यापन उपरान्त भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये है।

क्रमांक	फर्म का नाम	बिल क्रमांक/दिनांक	राशि	रिमार्क
1	Prashant Enterprises	648/27-03-17	360000.00	
	Total Rs		360000.00	

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत देयक तैयार कर भुगतान स्वीकृत हेतु नस्थी अवलोकनार्थ एवं आदेषार्थ प्रस्तुत है ।

29/3/17

Secretary
Distt. health Society
(RCH/NRHM)
Distt – Rewa M.P.

DHO-1
Distt -Rewa M.P.

अनुमोदनोपरान्त टीकाकरण खाते से पीपीए/चैक तैयार कर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

S.No	Particular	PPA No	Dated	Amount	Activity Head
1	SBI Govt Tax A/c I.Tax	SBI512	29/3/17	3600.00	C.1.c Printing and dissemination of Immunization cards
2	Prashant Enterprises	C031725271986	29-03-17	356400.00	
	Total Rs (Three lacs sixty thousand only)			360000.00	

Secretary
Distt. health Society
(RCH/NRHM)
Distt – Rewa M.P.

DHO-1
Distt -Rewa M.P.

(144)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा (म0प्र0)

एनएचएम/2016/6669 रीवा, दिनांक 24/3/17

संचालक,
प्रशांत इन्टरप्राईजेज
ए.एस.एफ. चौराहा जिला रीवा

विषयः— मुद्रण/प्रिन्टिंग कार्य किये जाने बिषयक।

विषयान्तर्गत संलग्न प्रारूप अनुसार 40000 (चालिस हजार) एम.सी.पी. कार्ड(टीकाकरण कार्ड) मुद्रण कराया जाना है।

अतः 07 दिवस के अन्दर मुद्रण कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करे। बिल दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करे जिससे भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न—नमूना प्रपत्र।

(डॉ0 एस0के0 त्रिपाठी)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रीवा (म0प्र0)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–4/मुरैना/एफ–29/2019/1517 भोपाल, दिनांक 16/5/19

प्रति,

डॉ0 बेनीराम माहौर,
चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, अम्बाह
जिला–मुरैना, मध्यप्रदेश।

द्वाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना ।

विषयः–कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्ध–डॉ0 बेनीराम माहौर,चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, अम्बाह,जिला–मुरैना मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अतर्गत ।

–00–

यह कि आप डॉ0 बेनीराम माहौर,सिविल अस्पताल, अम्बाह,जिला–मुरैना में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना ने पत्र कमांक स्था. विज्ञ./2019/7356 दिनांक 26.3.2019 द्वारा अवगत कराया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोरसा में चिकित्सको की कमी आने के कारण स्वास्थ्य केन्द्र पर आये मरीजो को नियमित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने एवं शासन के कार्यकमों को सुचारू रूप से कियान्वयन करवाने में असुविधा होने से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,मुरैना के कलेक्टर, मुरैना द्वारा हस्ताक्षरित आदेश कमांक–स्था.विज्ञ/2019/5634 दिनांक 02.03.2.19 के द्वारा आपकी ड्यूटी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोरसा, जिला–मुरैना में लगाई गई थी । आपने उक्त आदेश को लेने से मना किया एवं आप अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हो गये है । इस प्रकार आपको द्वारा वरिष्ठ अधिकारियो के आदेशो की अवहेलना की गई है जो आपकी कार्य के प्रति उदासीनता एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष मे कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

.....2

क. 4/शिका./सेल–4/मुरैना/एफ–29/2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला–मुरैना ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ.बेनीराम माहौर, चिकित्सा अधिकारी,सिविल अस्पताल अम्बाह, जिला–मुरैना, मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोंड करावें।
8. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क.4/शिका./सेल–4/छतरपुरSCN/एफ–23/2019/1512 भोपाल, दिनांक 16/5/19

प्रति,

डॉ.एच.पी.अग्रवाल
जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2
जिला–छतरपुर, मध्यप्रदेश।

द्वाराः–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर ।

विषयः–कारण बताओ सूचना पत्र विरूद्ध–डॉ.एच.पी.अग्रवाल, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2, जिला–छतरपुर, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 अंतर्गत ।

00–00

यह कि आप डॉ.एच.पी.अग्रवाल, जिला छतरपुर में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2 के पद पर पदस्थ हैं।

आपकी पदस्थी के दौरान दिनांक 29.03.2019 को प्रातः 10.30–12.20 बजे परिवार कल्याण कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। सागर संभाग के जिलों से वन–टू–वन आर.सी.एच. पोर्टल पर डेट्रा एंट्री एलिजीबल कपल्स की एंट्री पर चर्चा की गई, किंतु आप जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी–2, छतरपुर के पद पर पदस्थ होते हुए उक्त संबंध में छतरपुर जिले की कोई भी जानकारी चर्चा में नहीं दे सके। इससे आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित होती है।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य **मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड** (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध **मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10** के अन्तर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

16/5/19
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क. 4/शिका./सेल–4/मुरैना/एफ– /2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग, सागर, मध्य प्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ.एच.पी.अग्रवाल, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी2 जिला–छतरपुर, मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
7. आदेश नस्ती।

/

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक 1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 807 भोपाल,दिनांक 15/05/2019 ~~/04/2019~~

प्रति,

डॉ.जे.एस.गोगीया
प्रभारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओं नोटिस विरूद्ध :– डॉ जे.एस.गोगीया, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक /समन्वय/2019/153 दिनांक 03.04.2019।

00–00

यह कि आप डॉ जे.एस.गोगीया, वर्तमान में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जिला छिन्दवाड़ा में पदस्थ हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11, 12 अप्रेल 2019 के प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजन के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी। जिसमें आपको उपस्थित होकर सम्पूर्ण बैठक अवधि में उपस्थित रहना अनिवार्य था परन्तु आप उपरोक्त विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होकर दिनांक 12.04.2019 को दोपहर पश्चात् बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक से अनुपस्थित हो गये ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त बैठक उपस्थित न होकर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत दिनांक 25.04.2019 के सॉय 05 बजे तक अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्व मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

M/s.
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

निरन्तर..2

पृ. क्रमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 808 भोपाल,दिनांक15/05/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें , जबलपुर म0प्र0।
5. कलेक्टर, जिला–छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाड़ा को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीध्र प्राप्त कर , प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 809 भोपाल,दिनांक 15/05/2019

प्रति,

डॉ.जे.आर.त्रिवेदिया
प्रभारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–अशोकनगर, मध्यप्रदेश ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :– डॉ जे.आर.त्रिवेदिया, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक /समन्वय/2019/153 दिनांक 03.04.2019।

00–00

यह कि आप डॉ जे.आर.त्रिवेदिया वर्तमान में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जिला अशोकनगर में पदस्थ हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11, 12 अप्रेल 2019 के प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजन के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी। जिसमें आपको उपस्थित होकर सम्पूर्ण बैठक अवधि में उपस्थित रहना अनिवार्य था परन्तु आप उपरोक्त विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होकर दिनांक 12.04.2019 को दोपहर पश्चात् बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक से अनुपस्थित हो गये ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त बैठक उपस्थित न होकर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत दिनांक 25.04.2019 के सॉय 05 बजे तक अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

NVS
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

निरन्तर..2

पृ. क्रमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 810 भोपाल,दिनांक 15/04/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें , ग्वालियर म0प्र0।
5. कलेक्टर, जिला–अशोकनगर मध्यप्रदेश।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अशोकनगर को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर , प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

MVS
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.1जी /विज्ञप्ति/सेल.–5 /2019/ 811 भोपाल,दिनांक 15/05/2019

प्रति,

डॉ.पुरूषोत्तम बुनकर
प्रभारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–गुना, मध्यप्रदेश ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :– डॉ.पुरूषोत्तम बुनकर, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक /समन्वय/2019/153 दिनांक 03.04.2019।

00–00

यह कि आप डॉ.पुरूषोत्तम बुनकर, वर्तमान में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जिला गुना में पदस्थ हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11, 12 अप्रेल 2019 के प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजन के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी। जिसमें आपको उपस्थित होकर सम्पूर्ण बैठक अवधि में उपस्थित रहना अनिवार्य था परन्तु आप उपरोक्त विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होकर दिनांक 12.04.2019 को दोपहर पश्चात् बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक से अनुपस्थित हो गये ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त बैठक उपस्थित न होकर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत दिनांक 25.04.2019 के सॉय 05 बजे तक अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

निरन्तर..2

पृ. कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.—5 /2019/1 812 भोपाल,दिनांक 15/05/2019

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें , ग्वालियर म0प्र0।
5. कलेक्टर, जिला—गुना मध्यप्रदेश।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गुना को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर , प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

M/S

स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 813 भोपाल,दिनांक 15/05/2019

प्रति,

डॉ.मृदुल सक्सेना
प्रभारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :– डॉ.मृदुल सक्सेना, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक /समन्वय/2019/153 दिनांक 03.04.2019।

00–00

यह कि आप डॉ.मृदुल सक्सेना,वर्तमान में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जिला ग्वालियर में पदस्थ हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11, 12 अप्रेल 2019 के प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजन के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी। जिसमें आपको उपस्थित होकर सम्पूर्ण बैठक अवधि में उपस्थित रहना अनिवार्य था परन्तु आप उपरोक्त विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होकर दिनांक 12.04.2019 को दोपहर पश्चात् बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक से अनुपस्थित हो गये ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त बैठक उपस्थित न होकर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत दिनांक 25.04.2019 के सॉय 05 बजे तक अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

M/S
(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

निरन्तर..2

पृ. कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 814 भोपाल,दिनांक 15/05/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें , ग्वालियर म0प्र0।
5. कलेक्टर, जिला–ग्वालियर मध्यप्रदेश।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर, प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

MVS
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 815 भोपाल,दिनांक 15/05/2019

प्रति,

डॉ.जी.सी.चौरसिया
प्रभारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–बैतूल, मध्यप्रदेश ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।

विषयः–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :– डॉ.जी.सी.चौरसिया प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक /समन्वय/2019/153 दिनांक 03.04.2019।

00–00

यह कि आप डॉ.जी.सी.चौरसिया, वर्तमान में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जिला बैतूल में पदस्थ हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11, 12 अप्रेल 2019 के प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजन के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी। जिसमें आपको उपस्थित होकर सम्पूर्ण बैठक अवधि में उपस्थित रहना अनिवार्य था परन्तु आप उपरोक्त विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होकर दिनांक 12.04.2019 को दोपहर पश्चात् बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक से अनुपस्थित हो गये ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त बैठक उपस्थित न होकर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत दिनांक 25.04.2019 के सॉय 05 बजे तक अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

निरन्तर..2

पृ. कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 816 भोपाल,दिनांक 15/05/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित् ।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें , भोपाल म0प्र0 ।
5. कलेक्टर, जिला–बैतूल मध्यप्रदेश ।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर , प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें ।

15/5

स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 817 भोपाल,दिनांक 15/05/2019

प्रति,

डॉ.किशोर कुमार नागवंशी
प्रभारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–विदिशा, मध्यप्रदेश ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :– डॉ.किशोर कुमार नागवंशी प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला विदिशा मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक /समन्वय/2019/153 दिनांक 03.04.2019।

00–00

यह कि आप डॉ.किशोर कुमार नागवंशी, वर्तमान में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जिला विदिशा में पदस्थ हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11, 12 अप्रेल 2019 के प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजन के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी। जिसमें आपको उपस्थित होकर सम्पूर्ण बैठक अवधि में उपस्थित रहना अनिवार्य था परन्तु आप उपरोक्त विभागीय समीक्षा बैठक में आप उपस्थित होकर दिनांक 12.04.2019 को दोपहर पश्चात् बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक से अनुपस्थित हो गये ।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त बैठक उपस्थित न होकर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत दिनांक 25.04.2019 के सॉय 05 बजे तक अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ असंचयी प्रभाव से रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

निरन्तर..2

पृ. कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ भोपाल,दिनांक 15/05/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः– 818

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें , भोपाल म0प्र0।
5. कलेक्टर, जिला–विदिशा मध्यप्रदेश।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीध्र प्राप्त कर , प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1197 भोपाल, दिनांक 15/04/2019

प्रति,

डॉ.विजय कुमार सिंह,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–देवास , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.विजय कुमार सिंह,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

15/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dewas	CMHO	10281613174	27-05-16	State Budget	169	16-10-16	79044
		Sub Total						**79044**

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तिलहन संघ भवन, 01, अरेरा हिल्स, भोपाल,
URL: www.mpphsci.in, Email id-to.mpphsci@gmail.com
PHONE: 0755-2578910, 2578911, 2578912

क्र. 852 /म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/ 2018 भोपाल, दिनांक 28/03/2018

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला बैतूल, भोपाल, हरदा, रायसेन, राजगढ़, भिण्ड, गूना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपूर, शिवपुरी, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, छिन्दवाड़ा,कटनी, सीवनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, छत्तरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़ देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर एवं उज्जैन मध्यप्रदेश।'

2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला बैतूल, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, अशोकनगर, भिण्ड, गूना, ग्वालियर, गुरैना, श्योपूर, शिवपुरी, बड़वानी, धार, इन्दौर, झाबुआ, छिन्दवाड़ा, डिंडौरी, अनूपपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, छत्तरपुर, सागर, देवास एवं नीमच मध्यप्रदेश।

विषयः— लंबित देयकों के भुगतान बाबत्।
संदर्भः— **Health Secure (India) Pvt. Ltd.** से प्राप्त पत्र दिनांक 26.03.2018.

----xxx---

विषयांतर्गत लेख है कि Health Secure (India) Pvt. Ltd. के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके कार्यालय में फर्म के संलग्न सूची अनुसार देयक भुगतान हेतु लंबी अवधि से लंबित हैं। आपके कार्यालय द्वारा लंबी अवधि से उक्त कंपनी के देयकों का भुगतान लंबित रखना अनुचित एवं आपत्तिजनक है।

अतः इस संबंध में आप तत्काल भुगतान की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा भुगतान उपरांत सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। भुगतान न होने की स्थिति में नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त प्रशा.)
म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि. भोपाल

पृ.क्र. 853 /म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 भोपाल, दिनांक 28/03/201

प्रतिलिपि :—

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि. भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय) म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि. भोपाल।
4. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही तथा संचालनालय स्तर के लंबित देयक के निराकरण हेतु प्रेषित।

MAHARASHTRA-INDIA

5. संचालक (वित्त) राष्ट्रीय [illegible] के निराकरण हेतु प्रेषित।

6. M/s Health Secure (India) Pvt. [illegible] M.I.D.C. Dist. Raigad [illegible]

मुख्य [illegible]

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तिलहन संघ भवन, 01, अरेराहिल्स, भोपाल

URL: www.mpphscl.in, Email-Id- fo.mpphscl@gmail.com.
PHONE: 0755-2578910, 2578911, 2578912

क्र.2541/एफ–505/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 भोपाल, दिनांक 23/10/2018

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   जिला– बैतूल, भोपाल, हरदा, रायसेन, राजगढ़, भिण्ड, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, छिन्दवाड़ा, कटनी, सिवनी, अनुपपुर, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, छतरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, सीहोर, एवं उज्जैन।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
   जिला– बैतूल, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, अशोकनगर, भिण्ड, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, बड़वानी, धार, इंदौर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, जबलपुर, अनूपपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, छतरपुर, सागर, देवास, एवं नीमच म.प्र.।
3. डीन, बुन्देलखंड मेडिकल कॉलेज सागर

विषयः– फर्मो के देयकों को लंबी अवधि तक लंबित रखने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करने बाबत्।
संदर्भः– कार्यालयीन पत्र कमांक 852 दिनांक 28.03.2018।

---xx---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको मेसर्स हेल्थ सिक्योर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर लंबित देयकों के नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु यह अत्यंत खेदजनक है कि आपके द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। स्पष्टतः प्रकरण में अब लापरवाही और उदासीनता हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में देयकों को लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही लंबित देयकों के तत्काल नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करें तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रबंध संचालक
म.प्र.प.हे.स.कॉ.लि.भोपाल

पृ.क्र.2542/एफ–505/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 भोपाल,दिनांक 23/10/2018

प्रतिलिपि :–

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप संचालक (औ.प्र.), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक/औ.प्र./2018/148 दिनांक 1.09.2018 के तारतम्य में फर्म से प्राप्त लंबित देयकों की सूची संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त भुगतान संचालनालय से जारी बजट से होना है, अतः संचालनालय स्तर से समीक्षा कर तत्काल लंबित देयकों का एक सप्ताह की समय–सीमा में निराकरण करें।
4. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08 अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड़ भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. M/s Health Secure (India) Pvt.Ltd., C-10, M.I.D.C. Dist.Raidad, Navi Mumbai की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म.प्र.प.हे.स.कॉ.लि.भोपाल

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तिलहन संघ भवन, 01, अरेराहिल्स, भोपाल

MPPHSCL

URL: www.mpphscl.in, Email-id- fo.mpphscl@gmail.com.
PHONE: 0755-2578910, 2578911, 2578912

क्र.1403/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2019 भोपाल, दिनांक 13/03/2019

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– बैतूल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, झाबुआ, छिंदवाडा, कटनी, सिवनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला– भोपाल, होशंगाबाद, अशोकनगर, गुना, मुरैना, शिवपुरी, बड़वानी, धार, इंदौर, झाबुआ, छिंदवाडा, डिण्डौरी, जबलपुर, अनूपपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, छतरपुर, सागर, नीमच।
3. अधीक्षक, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय (गैस राहत हास्पिटल) भोपाल।

विषय– फर्म के देयकों को लंबी अवधि तक लंबित रखने कें संबंध में स्पष्टीकरण बाबत्।
संदर्भ– 1.कार्यालयीन पत्र कमांक 852/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 28.03.2018।
2.कार्यालयीन पत्र कमांक 2541/एफ–505/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दि.23.10.2018।

---XX---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गए थे परंतु इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। शासन स्तर से प्रकरण की मानीटरिंग की जा रही है तथा भुगतान लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना है।

अतः उपरोक्त फर्म के देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण और देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाही शीघ्र प्रारंभ की जा सके।

(डॉ. जे. विजयकुमार)
प्रबंध संचालक
म.प्र.प.हे.स.कॉ.लि.भोपाल

पृ. क्र–1404 /म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2019 भोपाल,दिनांक 13/03/2019

प्रतिलिपि :–

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. उप संचालक (औ.प्र.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि कार्यालयीन पत्र क. 2541/एफ–505/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 23.10.2018 पर की गई कार्रवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करावें।

प्रबंध संचालक
म.प्र.प.हे.स.कॉ.लि.भोपाल

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1195 भोपाल, दिनांक 15/04/2019

प्रति,

डॉ.प्रभाकर नानावरे,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–रतलाम , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.प्रभाकर नानावरे,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–रतलाम,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ratlam	CMHO	0021AQ00105	14-11-14	NRHM	1161	10-02-15	128794
		Sub Total						**128794**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1193 भोपाल, दिनांक 15/04/2019

प्रति,

डॉ.महेश मालवीय,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–मंदसौर , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.महेश मालवीय,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mandsaur	CMHO	0121AQ00109	19-09-15		195	19-09-15	39375
2	Mandsaur	CMHO	10281628036	23-08-16		79	01-09-17	144250
3	Mandsaur	CMHO	10281628036	23-08-16		89	19-09-17	201961
4	Mandsaur	CMHO	62803610281	23-08-16		130	25-12-17	144258
		Sub Total						**529844**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1191 भोपाल, दिनांक 15/04/2019

प्रति,

डॉ.बी.एल.बोरीवाल,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–नीमच , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.बी.एल.बोरीवाल, सिविल सर्जन,सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,नीमच,मध्यप्रदेश

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

15/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Neemuch	CS	0911AQ00274	02-11-15	State Budget	1618	15-05-15	26093
2	Neemuch	CS	10281602797	01-02-16	NRHM	390	27-03-16	3915
3	Neemuch	CS	10281604978	02-11-16	NRHM	437	23-08-16	13985
		Sub Total						**43993**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1189 भोपाल, दिनांक 15/04/2019

प्रति,

डॉ.समर्थ सिंह बघेल,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–नीमच , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.समर्थ सिंह बघेल,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नीमच,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Neemuch	CMHO	10281620817	26-07-16		198	07-12-16	7904
		Sub Total						**7904**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1187 भोपाल, दिनांक 15/04/2019

प्रति,

डॉ.गिरधारी लाल सोधी,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–शाजापुर , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.गिरधारी लाल सोधी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Shajapur	CMHO	0281AQ00163	19-11-14	State Budget	1400	29-08-15	61196
		Sub Total						**61196**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1185 भोपाल, दिनांक 15/04/2019

प्रति,

डॉ.रजनी ड़ाबर,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–उज्जैन , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.रजनी ड़ाबर,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला उज्जैन,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,उज्जैन संभाग,उज्जैन, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ujjain	CMHO	0181AQ00116	10-10-14	State Budget	660	27-10-14	104370
2	Ujjain	CMHO	10281633341	20-09-16	State Budget	220	27-10-14	213444
		Sub Total						**317814**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1183 भोपाल, दिनांक 15/04/2019

प्रति,

डॉ.सतीश कुमार निगम,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–कटनी, मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.सतीश कुमार निगम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कटनी, मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Katni	CMHO	2716400168	10-08-13	NRHM	626	06-12-13	162540
		Sub Total						**162540**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1181 भोपाल, दिनांक 15/04/2019

प्रति,

डॉ.करूनेश चंद्र मेसराम,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–सिवनी,मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.करूनेश चंद्र मेसराम,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला सिवनी,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम.3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Seoni	CMHO	10281623564	28-07-16	NRHM	320	23-01-17	11778
		Sub Total						**11778**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1179 भोपाल, दिनांक 15/04/2019

प्रति,

डॉ.एस.आर.परास्ते,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–अनूपपुर,मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.एस.आर.परास्ते,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Annuppur	CS	9916400096	08-12-13	State Budget	579	29-10-13	2438
		Sub Total						**2438**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1177 भोपाल, दिनांक 15/4/2019

प्रति,

डॉ.आर.पी.श्रीवास्तव,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–अनूपपुर,मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.आर.पी.श्रीवास्तव,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अनूपपुर,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Annuppur	CMHO	10281600530	01-06-16	NRHM	185	28-03-16	48604
2	Annuppur	CMHO	10281633590	23-09-16	State Budget	244	14-12-16	63788
3	Annuppur	CMHO	10281647661	22-12-16	NRHM	2	15-04-17	547260
		Sub Total						**659652**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1175 भोपाल, दिनांक 15/4/2019

प्रति,

डॉ.आर.एस.पाण्ड़े
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–रीवा , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.आर.एस.पाण्ड़े, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–रीवा,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rewa	CMHO	10281631538	09-12-16	NRHM	250	14-12-16	39522
		Sub Total						**39522**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1173 भोपाल, दिनांक 15/4/19

प्रति,

डॉ.एस.बी.सिंह,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–सतना , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.एस.बी.सिंह,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सतना,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

15/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Satna	CS	0721AQ00106	18-11-14	NRHM	1126	29-01-15	3937
		Sub Total						**3937**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1169 भोपाल, दिनांक 15-4-19

प्रति,

डॉ.आर.के.श्रीवास्तव,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–उमरिया , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.आर.के.श्रीवास्तव,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Umaria	CMHO	10281612869	05-06-16	State Budget	73	27-06-16	70910
		Sub Total						**70910**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1165 भोपाल, दिनांक 12/4/2019

प्रति,

डॉ.विद्यासागर वाजपेयी,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–छतरपुर , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.विद्यासागर वाजपेयी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छतरपुर,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chhatarpur	CMHO	0901AQ00046	05-05-16	State Budget	1603	15-05-15	26093
		Sub Total						**26093**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1163 भोपाल, दिनांक 12/4/2019

प्रति,

डॉ.राजेन्द्र प्रसाद पाण्ड़ेय
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–छतरपुर , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.राजेन्द्र प्रसाद पाण्ड़ेय,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला छतरपुर,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chhatarpur	CS	10281637478	20-10-16	NRHM	251	14-12-16	39522
2	Chhatarpur	Cs	0401AQ00231		State Budget	1621	15-05-15	26093
		Sub Total						**65615**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1160 भोपाल, दिनांक 12/4/2019

प्रति,

डॉ.शोभाराम रोशन,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–सागर , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.शोभाराम रोशन,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सागर,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sagar	CMHO	6016400125	08-10-13	State Budget	489	25-09-13	4064
2	Sagar	CMHO	10281611817	05-05-16		76	27-06-16	288132
		Sub Total						**292196**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका/सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1158 भोपाल, दिनांक 12/4/2019

प्रति,

डॉ.विक्रम सिंह तोमर,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–सागर , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.विक्रम सिंह तोमर,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला सागर,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sagar	CS	10281603332	26-02-16	NRHM	296	17-03-16	39149
		Sub Total						**39149**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका//सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1156 भोपाल, दिनांक 12/4/2019

प्रति,

डॉ.वर्षा राय,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.वर्षा राय,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,सागर संभाग,सागर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tikamgarh	CMHO	10281621661	26-07-16	State Budget	170	16-10-16	63235
		Sub Total						**63235**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1154 भोपाल, दिनांक 12/4/2019

प्रति,

डॉ.सुशील राठी,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–छिन्दवाड़ा,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.सुशील राठी,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला–छिन्दवाड़ा,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chhindwara	CS	10281613360	05-11-16	State Budget	258	14-12-16	39522
2	Chhindwara	CS	10281617596	22-06-16	State Budget	257	14-12-16	79044
3	Chhindwara	CS	10281639709	09-11-16	NRHM	284	19-12-16	7360
4	Chhindwara	CS	10281635471	10-05-16	State Budget	319	23-01-17	79044
		Sub Total						**204970**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1152 भोपाल, दिनांक 12/4/2019

प्रति,

डॉ.अजय राज,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–डिण्डौरी, मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ0अजय राज,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला डिण्डौरी,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dindori	CS	0821AQ00008	30-04-15	State Budget	1604	15-05-15	5219
2	Dindori	CS	10281604623	02-08-16	NRHM	434	28-03-16	34965
3	Dindori	CS	10281616572	06-09-16	NRHM	175	16-10-16	34098
		Sub Total						**74282**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1148 भोपाल, दिनांक 12/4/2019

प्रति,

डॉ.जी.एस.गोगिया,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–छिन्दवाड़ा,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.जी.एस.गोगिया,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की ,जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

4/11/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chhindwara	CMHO	10281625556	08-04-16	NRHM	127	29-08-16	48836
2	Chhindwara	CMHO	10281614648	23-05-16	State Budget	128	29-08-16	14053
3	Chhindwara	CMHO	10281629300	21-08-16	NRHM	332	15-02-17	996247
		Sub Total						**1059136**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1142 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.आर.एस.प्रभाकर,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–झाबुआ,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.आर.एस.प्रभाकर, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jhabua	CS	10281607096	03-08-16	NRHM	395	27-03-16	7830
		Sub Total						**7830**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1140 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.डी.एस.चौहान,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–झाबुआ,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.डी.एस.चौहान,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला झाबुआ,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jhabua	CMHO	1516400264	10-05-13	NRHM	623	06-12-13	24381
2	Jhabua	CMHO	0151AQ00082	08-01-14	NRHM	623	24-09-14	15656
3	Jhabua	CMHO	0151AQ00014	23-04-15	State Budget	241	15-05-15	10437
		Sub Total						**50474**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1138 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.एम.पी.शर्मा,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–इन्दौर,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.एम.पी.शर्मा,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इन्दौर,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indore	CS	0891AQ00286	31-01-15	NRHM	1413	29-03-15	11812
		Sub Total						**11812**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1136 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.एस.बी.खरे,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–सीधी , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.एस.बी.खरे, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सीधी , मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।</u>

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sidhi	CS	0981AQ00013	20-04-15	State Budget	1905	23-05-15	26093
		Sub Total						**26093**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 640 भोपाल,दिनांक 12/04/2019

प्रति,

डॉ नरेन्द्र कुमार जैन,
प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पातल अधीक्षक,
जिला– सिंगरोली, मध्यप्रदेश ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक,- स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :– नरेन्द्र कुमार जैन , प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सिंगरोली मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक /समन्वय/2019/153 दिनांक 03.04.2019।

00–00

यह कि आप डॉ नरेन्द्र कुमार जैन, प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सिंगरोली के पद पर जिला सिंगरोली में पदस्थ हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11, 12 अप्रेल 2019 के प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजन के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी। उक्त सूचना ई–मेल एवं वॉट्सऐप ग्रुप में भी दी गई थी। पत्र में संलग्न एजेंडे के अनुसार जानकारी सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

उपरोक्त विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होने हेतु विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रेषित किए जाने के बावजूद भी बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त बैठक उपस्थित न होकर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत दिनांक 22.04.2019 के सॉय 05 बजे तक अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

निरन्तर..2

पृ. कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.—5 /2019/ 641 भोपाल,दिनांक 12/04/2019

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें , रीवा म0प्र0।
5. कलेक्टर, जिला— सिंगरोली मध्यप्रदेश।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सिंगरोली को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर , प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 638 भोपाल,दिनांक 12/04/2019

प्रति,

डॉ. आर.पी. श्रीवास्तव
प्रभारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–अनूपपुर, मध्यप्रदेश ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा मध्यप्रदेश।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :–डॉ. आर.पी.श्रीवास्तव, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक /समन्वय/2019/153 दिनांक 03.04.2019।

00–00

यह कि आप डॉ. श्री आर.पी. श्रीवास्तव, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जिला अनूपपुर में पदस्थ हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11, 12 अप्रेल 2019 के प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजन के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी। उक्त सूचना ई–मेल एवं वॉट्सऐप ग्रुप में भी दी गई थी। पत्र में संलग्न एजेंडे के अनुसार जानकारी सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

उपरोक्त विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होने हेतु विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रेषित किए जाने के बावजूद भी बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त बैठक उपस्थित न होकर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत दिनांक 22.04.2019 के सॉय 05 बजे तक अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

निरन्तर.2

पृ. कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 639 भोपाल,दिनांक 12/04/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग म0प्र0।
5. कलेक्टर, जिला– अनूपपुर मध्यप्रदेश।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त करें , प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 636 भोपाल,दिनांक 12/04/2019

प्रति,

डॉ. बी.एल.बोरीवाल,
प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पातल अधीक्षक,
जिला– नीमच, मध्यप्रदेश ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन मध्यप्रदेश।

विषयः–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :– डॉ. बी.एल.बोरीवाल, प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला नीमच मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक /समन्वय/2019/153 दिनांक 03.04.2019।

00–00

यह कि आप डॉ. बी.एल.बोरीवाल, प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय नीमच के पद पर जिला नीमच में पदस्थ हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11, 12 अप्रेल 2019 के प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजन के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी। उक्त सूचना ई–मेल एवं वॉट्सऐप ग्रुप में भी दी गई थी। पत्र में संलग्न एजेंडे के अनुसार जानकारी सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थें।

उपरोक्त विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होने हेतु विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रेषित किए जाने के बावजूद भी बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त बैठक उपस्थित नं होकर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत दिनांक 22.04.2019 के सॉय 05 बजे तक अपना प्रतिवाद्य उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

निरन्तर..2

पृ. कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 637 भोपाल,दिनांक 12/04/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ,उज्जैन म0प्र0।
5. कलेक्टर, जिला– नीमच मध्यप्रदेश।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधितं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला नीमच को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीध्र प्राप्त कर, प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्धं कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 634 भोपाल,दिनांक 12/04/2019

प्रति,

डॉ. शकील अहमद खान,
प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पातल अधीक्षक,
जिला–बुरहानपुर, मध्यप्रदेश ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर मध्यप्रदेश।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :– डॉ. शकील अहमद खान, प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक /समन्वय/2019/153 दिनांक 03.04.2019।

00–00

यह कि आप डॉ. शकील अहमद खान, प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बुरहानपुर के पद पर जिला बुरहानपुर में पदस्थ हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11, 12 अप्रेल 2019 के प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजन के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी। उक्त सूचना ई–मेल एवं वॉट्सऐप ग्रुप में भी दी गई थी। पत्र में संलग्न एजेंडे के अनुसार जानकारी सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

उपरोक्त विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होने हेतु विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रेषित किए जाने के बावजूद भी बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त बैठक उपस्थित न होकर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत दिनांक 22.04.2019 के सॉय 05 बजे तक अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए, आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

निरन्तर..2

पृ. क्रमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 635 भोपाल,दिनांक 12/04/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर म0प्र0।
5. कलेक्टर, जिला– बुरहानपुर मध्यप्रदेश।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला बुरहानपुर को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर , प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 632 भोपाल,दिनांक 12/04/2019

प्रति,

डॉ.सुशील राठी,
प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पातल अधीक्षक,
जिला–छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :– डॉ.सुशील राठी, प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक /समन्वय/2019/153 दिनांक 03.04.2019।

00–00

यह कि आप डॉ.सुशील राठी, प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय छिन्दवाड़ा के पद पर जिला छिन्दवाड़ा में पदस्थ हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11, 12 अप्रेल 2019 के प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजन के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी। उक्त सूचना ई–मेल एवं वॉट्सऐप ग्रुप में भी दी गई थी। पत्र में संलग्न एजेंडे के अनुसार जानकारी सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

उपरोक्त विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होने हेतु विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रेषित किए जाने के बावजूद भी बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त बैठक उपस्थित न होकर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत दिनांक 22.04.2019 के सॉय 05 बजे तक अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

पृ. कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 633 भोपाल,दिनांक 12/04/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित्।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ,जबलपुर म0प्र0।
5. कलेक्टर, जिला– छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला छिन्दवाड़ा को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर, प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 630 भोपाल,दिनांक 12/04/2019

प्रति,

डॉ विक्रम वर्मा
प्रभारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला– बुरहानपुर, मध्यप्रदेश ।

द्वारा:– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर मध्यप्रदेश।

विषय:–अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरूद्ध :– डॉ विक्रम वर्मा, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश।

संदर्भ :–संचालनालय का पत्र क्रमांक /समन्वय/2019/153 दिनांक 03.04.2019।

00–00

यह कि आप डॉ विक्रम वर्मा, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जिला बुरहानपुर में पदस्थ हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की राज्य स्तर पर विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 11, 12 अप्रेल 2019 के प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजन के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी। उक्त सूचना ई–मेल एवं वॉट्सऐप ग्रुप में भी दी गई थी। पत्र में संलग्न एजेंडे के अनुसार जानकारी सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

उपरोक्त विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित होने हेतु विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रेषित किए जाने के बावजूद भी बिना किसी पूर्व सूचना के समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त बैठक उपस्थित न होकर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के उपरांत दिनांक 22.04.2019 के सॉय 05 बजे तक अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए , आगामी 02 वेतन वृद्धियॉ रोकी जावें ? आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(नीतेश व्यास)
स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

निरन्तर..2

पृ. कमांक.1जी /विज्ञप्त/सेल.–5 /2019/ 681 भोपाल,दिनांक 12/04/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल मध्य प्रदेश ।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित् ।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें , इंदौर म0प्र0 ।
5. कलेक्टर, जिला– बुरहानपुर मध्यप्रदेश ।
6. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
7. उप संचालक शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ... बुरहानपुर को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर , प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना अभिमत अंकित कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
9. प्रभारी, एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण नोटिस को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे ।

स्वास्थ्य आयुक्त,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1134 भोपाल, दिनांक 11.4.2019

प्रति,

डॉ.आर.पी.पटेल,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–सिंगरौली , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.आर.पी.पटेल,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तिलहन संघ भवन, 01, अरेरा हिल्स, भोपाल

URL: www.mpphscl.in, Email-id-to.mpphscl@gmail.com
PHONE: 0755-2578910, 2578911, 2578912

पृ.क्र. 852 /म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/ 2018 भोपाल, दिनांक 28/03/2018

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला बैतूल, भोपाल, हरदा, रायसेन, राजगढ़, भिण्ड, गूना, ग्वालियर, मुरैना, श्यौपूर, शिवपुरी, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, छिन्दवाड़ा,कटनी, सीधनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, छत्तरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़ देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर एवं उज्जैन मध्यप्रदेश।

2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला बैतूल, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, अशोकनगर, भिण्ड, गूना, ग्वालियर, गुरैना, श्यौपूर, शिवपुरी, बड़वानी, धार, इन्दौर, झाबुआ, छिन्दवाड़ा, डिंडौरी, अनूपपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, छत्तरपुर, सागर, देवास एवं नीमच मध्यप्रदेश।

विषयः— लंबित देयकों के भुगतान बाबत्।

संदर्भः— **Health Secure (India) Pvt. Ltd.** से प्राप्त पत्र दिनांक 26.03.2018.

----xxx----

विषयांतर्गत लेख है कि Health Secure (India) Pvt. Ltd. के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके कार्यालय में फर्म के संलग्न सूची अनुसार देयक भुगतान हेतु लंबी अवधि से लंबित हैं। आपके कार्यालय द्वारा लंबी अवधि से उक्त कंपनी के देयकों का भुगतान लंबित रखना अनुचित एवं आपत्तिजनक है।

अतः इस संबंध में आप तत्काल भुगतान की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट व तथा भुगतान उपरांत सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। भुगतान न होने की स्थिति में नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त प्रशा.)
म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि. भोपाल

पृ.क्र. 853 /म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 भोपाल, दिनांक 28/03/201

प्रतिलिपि :—

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि. भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय) म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि. भोपाल।
4. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही तथा संचालनालय स्तर के लंबित देयक के निराकरण हेतु प्रेषित।

MAHARASHTRA INDIA

5. संचालक (वित्त) राष्ट्रीय स्वा[illegible] मध्यप्रदेश, भोपाल [illegible] नार्थ एवं लि[illegible] के निराकरण हेतु प्रेषित।

6. M/s Health Secure (India) Pv[illegible] 10, M.I.D.C. Dist. Raida[illegible] [illegible]hai की आ[illegible]

मुख्य महा[illegible] प्रशा)
म.प्र.प.[illegible] भोपाल

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तिलहन संघ भवन, 01, अरेराहिल्स, भोपाल

URL: www.mpphscl.in, Email-Id- fo.mpphscl@gmail.com.
PHONE: 0755-2578910, 2578911, 2578912

क्र.2541/एफ–505/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 भोपाल, दिनांक 23/10/2018

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   जिला– बैतूल, भोपाल, हरदा, रायसेन, राजगढ़, भिण्ड, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, छिन्दवाड़ा, कटनी, सिवनी, अनुपपुर, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, छतरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, सीहोर, एवं उज्जैन।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
   जिला– बैतूल, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, अशोकनगर, भिण्ड, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, बड़वानी, धार, इंदौर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, जबलपुर, अनूपपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, छतरपुर, सागर, देवास, एवं नीमच म.प्र.।
3. डीन, बुन्देलखंड मेडिकल कॉलेज सागर

विषयः– फर्मो के देयकों को लंबी अवधि तक लंबित रखने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करने बाबत्।
संदर्भः– कार्यालयीन पत्र कमांक 852 दिनांक 28.03.2018।

---xx---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको मेसर्स हेल्थ सिक्योर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर लंबित देयकों के नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु यह अत्यंत खेदजनक है कि आपके द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। स्पष्टतः प्रकरण में अब लापरवाही और उदासीनता हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में देयकों को लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही लंबित देयकों के तत्काल नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करें तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रबंध संचालक
म.प्र.प.हे.स.कॉ.लि.भोपाल

पृ.क्र.2542/एफ–505/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 भोपाल,दिनांक 23/10/2018

प्रतिलिपि :–

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप संचालक (औ.प्र.), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक/औ.प्र./2018/148 दिनांक 1.09.2018 के तारतम्य में फर्म से प्राप्त लंबित देयकों की सूची संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त भुगतान संचालनालय से जारी बजट से होना है, अतः संचालनालय स्तर से समीक्षा कर तत्काल लंबित देयकों का एक सप्ताह की समय–सीमा में निराकरण करें।
4. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08 अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड़ भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. M/s Health Secure (India) Pvt.Ltd., C-10, M.I.D.C. Dist.Raldad, Navi Mumbai की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म.प्र.प.हे.स.कॉ.लि.भोपाल

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तिलहन संघ भवन, 01, अरेराहिल्स, भोपाल

MPPHSCL

URL: www.mpphscl.in, Email-id- fo.mpphscl@gmail.com.
PHONE: 0755-2578910, 2578911, 2578912

क्र.1403/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2019 भोपाल, दिनांक 13/03/2019

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– बैतूल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, झाबुआ, छिंदवाडा, कटनी, सिवनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला– भोपाल, होशंगाबाद, अशोकनगर, गुना, मुरैना, शिवपुरी, बड़वानी, धार, इंदौर, झाबुआ, छिंदवाडा, डिण्डौरी, जबलपुर, अनूपपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, छतरपुर, सागर, नीमच।
3. अधीक्षक, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय (गैस राहत हास्पिटल) भोपाल।

विषय– फर्म के देयकों को लंबी अवधि तक लंबित रखने के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत्।
संदर्भ– 1.कार्यालयीन पत्र कमांक 852/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 28.03.2018।
2.कार्यालयीन पत्र कमांक 2541/एफ–505/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दि.23.10.2018।

---XX---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गए थे परंतु इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। शासन स्तर से प्रकरण की मानीटरिंग की जा रही है तथा भुगतान लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना है।

अतः उपरोक्त फर्म के देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण और देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाही शीघ्र प्रारंभ की जा सके।

(डॉ. जे. विजयकुमार)
प्रबंध संचालक
म.प्र.प.हे.स.कॉ.लि.भोपाल

पृ. क्र–1404 /म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2019 भोपाल,दिनांक 13/03/2019

प्रतिलिपि :–

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. उप संचालक (औ.प्र.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि कार्यालयीन पत्र क. 2541/एफ–505/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 23.10.2018 पर की गई कार्रवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करावें।

प्रबंध संचालक
म.प्र.प.हे.स.कॉ.लि.भोपाल

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Singrouli	CMHO	0501AQ00113	17-11-14	NRHM	925	16-12-14	39312
2	Singrouli	CMHO	10281633615	24-09-16	State Budget	275	19-12-16	132482
3	Singrouli	CMHO	10281626048	08-05-16	NRHM	11	11-05-17	352980
		Sub Total						**524774**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1132 भोपाल, दिनांक 11.4.2019

प्रति,

डॉ.आर.पी.पटेल,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–सिंगरौली , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.आर.पी.पटेल,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला सिंगरौली,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Singrouli	CS	1001AQ00041	05-09-16	State Budget	1620	15-05-15	26093
2	Singrouli	CS	10281626029	08-05-16	NRHM	126	29-08-16	24418
3	Singrouli	CS	10281618352	07-02-16	State Budget	125	29-08-16	24418
		Sub Total						**74929**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1130 भोपाल, दिनांक 11.4.2019

प्रति,

डॉ.व्ही.पी.पटेल,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–उमरिया , मध्यप्रदेश

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.व्ही.पी.पटेल,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उमरिया,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,रीवा संभाग,रीवा,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Umaria	Cs	0561AQ00166	31-01-15	State Budget	1554	30-03-15	54075
		Sub Total						**54075**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1128 भोपाल, दिनांक 11.4.2019

प्रति,

डॉ.शिवकुमार पांडे,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–जबलपुर, मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.शिवकुमार पांडे, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश ।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jabalpur	CS	0541AQ00143	12-04-14	State Budget	1111	29-01-15	23599
		Sub Total						**23599**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिक्षा./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1126 भोपाल, दिनांक 11.4.2019

प्रति,

डॉ.अनिता सिंगारे,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–बड़वानी,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.अनिता सिंगारे,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला बड़वानी,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barwani	CS	10281614513	20-05-16	State Budget	262	14-12-16	39522
		Sub Total						**39522**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1124 भोपाल, दिनांक 11.4.2019

प्रति,

डॉ.गोविन्द सिंह,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–शिवपुरी,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.गोविन्द सिंह,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला शिवपुरी,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Shivpuri	CS	0951AQ00255	29-03-15	State Budget	1610	15-05-15	10437
2	Shivpuri	CS	10281603570	29-01-16	NRHM	302	17-03-16	7830
3	Shivpuri	CS	10281637784	24-10-16	State Budget	202	07-12-16	15809
		Sub Total						**34076**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1122 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.अर्जुनलाल शर्मा,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–शिवपुरी,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.अर्जुनलाल शर्मा,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Shivpuri	CMHO	10281646159	14-12-16	NRHM	1	13-04-17	881038
2	Shivpuri	CMHO	0451AQ00204	26-02-15	State Budget	1306	28-03-15	52185
3	Shivpuri	CMHO	0451AQ00077	19-09-15	State Budget	228	26-10-15	162524
4	Shivpuri	CMHO	10251633522	22-09-16	NRHM	224	08-12-16	189940
5	Shivpuri	CMHO	10281616847	22-06-16	State Budget	201	07-12-16	7904
6	Shivpuri	CMHO	10281626246	05-08-16	State Budget	203	07-12-16	39522
		Sub Total						**1333113**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1120 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.एन.सी.गुप्ता,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–श्योपुर,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.एन.सी.गुप्ता,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला श्योपुर,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sheopur	CMHO	10281632785	14-09-16	NRHM	204	12-07-16	79044
2	Sheopur	CMHO	10281632935	17-09-16	NRHM	225	08-12-16	73601
3	Sheopur	CMHO	10281643104	26-11-16	NRHM	226	08-12-16	24534
		Sub Total						**177179**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ 1118 भोपाल, दिनांक 12/4/19

प्रति,

डॉ.विनोद कुमार गुप्ता,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–मुरैना,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.विनोद कुमार गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला मुरैना,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Morena	CMHO	0311AQ00184	26-11-14	NRHM	930	16-02-14	39312
2	Morena	CMHO	0311AQ00072	14-07-15	NRHM	193	19-09-15	78749
3	Morena	CMHO	10281614635	24-05-16	State Budget	207	07-12-16	5532
		Sub Total						**123593**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका//सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ 1116 भोपाल, दिनांक 12/4/19

प्रति,

डॉ.जगपाल सिंह कुशवाहा,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–भिण्ड़,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.जगपाल सिंह कुशवाहा,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड़,मध्यप्रदेश ।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bhind	CMHO	3316400216	12-07-13		1010	02-07-14	41740
2	Bhind	CMHO	0331AQ00170	17-12-14		1095	23-01-15	107458
3	Bhind	CMHO	10281627938	11-08-17		80	01-09-17	144856
4	Bhind	CMHO	10281627938	19-08-17		90	19-09-17	218251
		Sub Total						**512305**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1114 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.अनूप सिंह छारी,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–अशोकनगर,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.अनूप सिंह छारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला अशोकनगर,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।</u>

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ashoknagar	CS	10281612555	05-06-16	State Budget	15	30-05-16	34965
2	Ashoknagar	CS	10281633173	21-09-16	State Budget	297	22-12-16	24534
		Sub Total						**59499**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1112 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.प्रभाकर तिवारी,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–सीहोर,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.प्रभाकर तिवारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर,मध्यप्रदेश ।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sehore	CMHO	10281631173	31-08-16	NRHM	16	01-06-17	70596
		Sub Total						**70596**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ 1110 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.विजय कुमार सिंह,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–राजगढ़,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.विजय कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rajgarh	CMHO	0031AQ00191	29-11-14	NRHM	1013	16-12-14	96767
2	Rajgarh	CMHO	10281611894	05-04-16	State Budget	82	27-06-16	14651
3	Rajgarh	CMHO	10281611892	05-04-16	State Budget	81	27-06-16	140648
4	Rajgarh	CMHO	10281610514	30-04-16	State Budget	2	23-05-16	15660
5	Rajgarh	CMHO	10281633399	20-09-16	State Budget	280	19-12-16	171736
6	Rajgarh	CMHO	10281634377	28-09-16	State Budget	288	19-12-16	7904
		Sub Total						**447366**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1108 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.ए.के.शर्मा,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–रायसेन,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.ए.के.शर्मा,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायसेन, मध्यप्रदेश ।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Raisen	CMHO	0431AQ00007	05-01-14	State Budget	304	06-04-14	56889
		Sub Total						**56889**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1106 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.आई.के.चुग,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–भोपाल,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.आई.के.चुग,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भोपाल,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र कमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bhopal	CS	5116400144	14-11-13	State Budget	905	07-02-14	81270
2	Bhopal	CS	511AQ00048	27-05-15	State Budget	1816	28-06-15	27038
3	Bhopal	CS	10281603129	23-01-16	State Budget	304	17-03-16	3194
4	Bhopal	CS	10281611295	05-03-16	NRHM	85	19-09-17	7037
		Sub Total						**118539**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1104 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.सुधीर देहरिया,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला–होशंगाबाद,मध्यप्रदेश ।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.सुधीर देहरिया, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला होशंगाबाद,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hosangabad	CS	0941AQ00019	05-05-15	State Budget	1605	15-05-15	26093
		Sub Total						**26093**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/1102 भोपाल, दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ.गिरीश चंद चौरसिया,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–बैतूल,मध्यप्रदेश।

विषय :–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र विरूद्ध :–डॉ.गिरीश चंद चौरसिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल,मध्यप्रदेश।

00–00

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.852/दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.505/दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रकरण में देयक लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

मध्यप्रदेश कार्पोरेशन पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन के पत्र क्रमांक.1403/दिनांक 13.03.2019 के माध्यम से प्रकरण में देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण सहित देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण, तत्काल प्रबंध संचालक म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्र एवं लंबित देयकों की सूची संलग्न है।

यह कि आपके द्वारा उक्त पत्रों के परिपालन में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार आपके द्वारा लगातार वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आपका उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम , एक के खण्ड़ (i) (ii) (iii) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः आप कारण बतायें कि उक्त कदाचरण हेतु क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावें। इस संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर 10 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करे , अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित।

11/4/19
(डॉ.विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.5/भोपाल संभाग/एस.सी.एन./2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. संचालक,प्रशासन,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
4. प्रबंध संचालक,म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि.भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
5. मिशन संचालक,एन.एच.एम.अरेरा हिल्स,भोपाल,मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,भोपाल संभाग,भोपाल,मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईड पर अपलोड़ करावें ।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

M/s Health Secure India Pvt.Ltd.

C-10, MIDC Taloja, Navi Mumbai-410208

Pending Invoice Details

Sr.No.	District Name	CMHO/CS/DME	Puchase Order/Mandate letter/Work Order	Date	Funding Source	Pending Invoice Details		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Betul	Cmho	0111AQ00207	21-02-15	NRHM	1407	29-03-15	788
2	Betul	Cmho	0111AQ00069	07-09-15	NRHM	271	23-05-15	26093
3	Betul	Cmho	10281621345	27-07-16	NRHM	134	29-08-16	175658
4	Betul	Cmho	10281633305	20-09-16	NRHM	222	08-12-16	137389
		Sub Total						**339928**

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तिलहन संघ भवन, 01, अरेरा हिल्स, भोपाल,
URL: www.mpphsci.in, Email id- to.mpphsci@gmail.com
PHONE: 0755-2578910, 2578911, 2578912

क्र. 852 /म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/ 2018 भोपाल, दिनांक 28/03/2018

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला बैतूल, भोपाल, हरदा, रायसेन, राजगढ़, भिण्ड, गूना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, अलीराजपुर, बडवानी, झाबुआ, छिन्दवाडा,कटनी, सीवनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, छत्तरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़ देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर एवं उज्जैन मध्यप्रदेश।

2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला बैतूल, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, अशोकनगर, भिण्ड, गूना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, बड़वानी, धार, इन्दौर, झाबुआ, छिन्दवाडा, डिंडोरी, अनूपपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, छत्तरपुर, सागर, देवास एवं नीमच मध्यप्रदेश।

विषयः— लंबित देयकों के भुगतान बाबत्।
संदर्भः— **Health Secure (India) Pvt. Ltd.** से प्राप्त पत्र दिनांक 26.03.2018.

---xxx---

विषयांतर्गत लेख है कि Health Secure (India) Pvt. Ltd. के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके कार्यालय में फर्म के संलग्न सूची अनुसार देयक भुगतान हेतु लंबी अवधि से लंबित हैं। आपके कार्यालय द्वारा लंबी अवधि से उक्त कंपनी के देयकों का भुगतान लंबित रखना अनुचित एवं आपत्तिजनक है।

अतः इस संबंध में आप तत्काल भुगतान की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा भुगतान उपरांत सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। भुगतान न होने की स्थिति में नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त प्रशा.)
म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि. भोपाल

पृ.क्र. 853 /म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 भोपाल, दिनांक 28/03/201

प्रतिलिपि :—

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि. भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय) म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि. भोपाल।
4. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही तथा संचालनालय स्तर के लंबित देयक के निराकरण हेतु प्रेषित।

MAHARASHTRA-INDIA

5. संचालक (वित्त) राष्ट्रीय स्वा[illegible] मध्यप्रदेश, भोपाल [illegible] वनार्थ एवं लि[illegible] के निराकरण हेतु प्रेषित।

6. M/s Health Secure (India) Pv[illegible] M.I.D.C. Dist. Raida[illegible] [illegible]mbai की [illegible]

मुख्य [illegible] (वित्त प्रशा.)
म.प्र.प्र.[illegible] भोपाल

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तिलहन संघ भवन, 01, अरेराहिल्स, भोपाल

URL: www.mpphscl.in, Email-id- fo.mpphscl@gmail.com.
PHONE: 0755-2578910, 2578911, 2578912

क्र.2541/एफ–505/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 भोपाल, दिनांक23/10/2018

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   जिला– बैतूल, भोपाल, हरदा, रायसेन, राजगढ़, भिण्ड, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, छिन्दवाड़ा, कटनी, सिवनी, अनुपपुर, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, छतरपुर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, सीहोर, एवं उज्जैन।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
   जिला– बैतूल, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, अशोकनगर, भिण्ड, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, बड़वानी, धार, इंदौर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, जबलपुर, अनूपपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, छतरपुर, सागर, देवास, एवं नीमच म.प्र.।
3. डीन, बुन्देलखंड मेडिकल कॉलेज सागर

विषयः– फर्मो के देयकों को लंबी अवधि तक लंबित रखने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करने बाबत्।
संदर्भः– कार्यालयीन पत्र कमांक 852 दिनांक 28.03.2018।

---xx---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको मेसर्स हेल्थ सिक्योर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर लंबित देयकों के नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु यह अत्यंत खेदजनक है कि आपके द्वारा लंबित देयकों के भुगतान हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। स्पष्टतः प्रकरण में अब लापरवाही और उदासीनता हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में देयकों को लंबित रखने के विषय में अपना तथ्यात्मक स्पष्टीकरण एक सप्ताह की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही लंबित देयकों के तत्काल नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करें तथा एक सप्ताह की समयावधि उपरांत भी देयक लंबित रहने पर आपको अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रबंध संचालक
म.प्र.प.हे.स.कॉ.लि.भोपाल

पृ.क्र.2542/एफ–505/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 भोपाल,दिनांक 23/10/2018

प्रतिलिपि :–

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप संचालक (औ.प्र.), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके पत्र कमांक/औ.प्र./2018/148 दिनांक 1.09.2018 के तारतम्य में फर्म से प्राप्त लंबित देयकों की सूची संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त भुगतान संचालनालय से जारी बजट से होना है, अतः संचालनालय स्तर से समीक्षा कर तत्काल लंबित देयकों का एक सप्ताह की समय–सीमा में निराकरण करें।
4. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. 08 अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड़ भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. M/s Health Secure (India) Pvt.Ltd., C-10, M.I.D.C. Dist.Raldad, Navi Mumbai की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म.प्र.प.हे.स.कॉ.लि.भोपाल

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
तिलहन संघ भवन, 01, अरेराहिल्स, भोपाल

MPPHSCL

URL: www.mpphscl.in, Email-id- fo.mpphscl@gmail.com.
PHONE: 0755-2578910, 2578911, 2578912

क्र.1403/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2019 भोपाल, दिनांक 13/03/2019

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– बैतूल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, झाबुआ, छिंदवाडा, कटनी, सिवनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला– भोपाल, होशंगाबाद, अशोकनगर, गुना, मुरैना, शिवपुरी, बड़वानी, धार, इंदौर, झाबुआ, छिंदवाडा, डिण्डौरी, जबलपुर, अनूपपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, छतरपुर, सागर, नीमच।
3. अधीक्षक, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्य चिकित्सालय (गैस राहत हास्पिटल) भोपाल।

विषय– फर्म के देयकों को लंबी अवधि तक लंबित रखने के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत्।
संदर्भ– 1.कार्यालयीन पत्र कमांक 852/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 28.03.2018।
2.कार्यालयीन पत्र कमांक 2541/एफ–505/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दि.23.10.2018।

---XX---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको मैसर्स हेल्थ सिक्योर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के आपके कार्यालय में लंबी अवधि से लंबित देयकों की सूची प्रेषित कर उनका नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश दिये गए थे परंतु इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। शासन स्तर से प्रकरण की मानीटरिंग की जा रही है तथा भुगतान लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना है।

अतः उपरोक्त फर्म के देयकों के भुगतान संबंधी तथ्यात्मक विवरण और देयकों को लंबित रखने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाही शीघ्र प्रारंभ की जा सके।

(डॉ. जे. विजयकुमार)
प्रबंध संचालक
म.प्र.प.हे.स.कॉ.लि.भोपाल
भोपाल,दिनांक 13/03/2019

पृ. क्र–1404/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2019
प्रतिलिपि :–

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संचालक (वित्त), एन.एच.एम. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. उप संचालक (औ.प्र.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि कार्यालयीन पत्र क. 2541/एफ–505/म.प्र.प.हे.स.कार्पो.लि./वित्त/2018 दिनांक 23.10.2018 पर की गई कार्रवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करावें।

प्रबंध संचालक
म.प्र.प.हे.स.कॉ.लि.भोपाल

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–2/एफ–64/बडवानी/2019/ 1092 भोपाल दिनांक 11/4/2019

प्रति,

डॉ. अंशू वर्मा
मेडिकल आफिसर
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धनौरा
जिला बडवानी मध्यप्रदेश।

द्वारा– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी म.प्र.।

विषयः–स्पष्टीकरण विरूद्ध–डॉ. अंशू वर्मा प्रा.स्वा. केन्द्र धनौरा जिला बडवानी।

———000———

यह कि आप, डॉ. अंशू वर्मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धनौरा जिला बडवानी में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ है।

2/ आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धनौरा पदस्थी दौरान प्राप्त शिकायत की जांच क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये इन्दौर द्वारा की जाकर उनके पत्र कमांक/शिकां./संचा./2017/683 दिनांक 17.01.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार जानकारी संज्ञान में आई है कि आप अपने मुख्यालय पर निवास नही करती है सिर्फ 5 या 6 घण्टे अपने मुख्यालय पर जाती है। इस संबंध में बी.एम.ओ. द्वारा आपको कारण बताओं नोटिस भी जारी किये गये है किन्तु आपके द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशो की अवहेलना कर मुख्यालय में रहने के संबंध में कोई सुधार नही किया गया है। आपके मुख्यालय पर नही रहने के कारण आकस्मिक स्थिति में मरीजों को उपचार का लाभ नही मिल पाता है। आपके द्वारा दिनांक 26.07.2017 को बिना अनुमति के मुख्यालय छोडा गया जिसकी कोई सूचना आपके द्वारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को नही दी गई।

3/ आपके उक्त कृत्य से आपके द्वारा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही की जाना परिलक्षित हुई है एवं आम जन के समक्ष विभाग की छवि धूमिल हुई है।

अतः आप पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी के माध्यम से प्रस्तुत करें। यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है प्रकरण मे एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

(डॉ. विनोद कुमार देशमुख)
उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. कमांक/4/शिका./सेल–2/एफ–64/बडवानी/2019/1093 भोपाल दिनांक 11/4/2019

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

2 निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. स्थानीय कार्यालय।

3 कलेक्टर जिला बडवानी म.प्र.।

4 उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय /लीगल/स्थानीय कार्यालय

5 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर संभाग इन्दौर।

7 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी स्पष्टीकरण की प्रति **डॉ. अंशू वर्मा प्रा.स्वा. केन्द्र धनौरा जिला बडवानी** को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावें।

8 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बडवानी म.प्र.।

9 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

10 आदेश नस्ति।

11/04/19

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक 4/शिका/सेल.3/ SCN /नरसिंहपुर/2018/ 753 भोपाल, दिनांक 5/3/2019

प्रति,

डॉ.व्ही.के.गर्ग,
नेत्ररोग विशेषज्ञ,
जिला चिकित्सालय,
नरसिंहपुर, म.प्र.।

द्वारा :–मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर म.प्र.।

विषयः–**डॉ.व्ही.के.गर्ग, नेत्ररोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस अंतर्गत नियम 16, म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966।**

यह कि आप डॉ.व्ही.के.गर्ग, नेत्ररोग विशेषज्ञ के पद पर जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में पदस्थ है।

2. यह कि पुलिस आरक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2016 में चयनित अभ्यार्थी सुश्री मीनाक्षी उईके एंव सुश्री रश्मि रत्नानी का नियुक्ति पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण एंव शारीरिक माप का मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर द्वारा गलत चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के संबंध में पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर का पत्र दिनांक 30.5.2018 प्राप्त हुआ जिसके अनुकम में क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया जो उनके पत्र कमांक 7135 दिनांक 18.9.2018 द्वारा प्राप्त हुआ।

3. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2016 में चयनित होने पर अभ्यार्थी सुश्री मीनाक्षी उईके पिता श्री सुखराजसिंह उईके निवासी पचमढ़ी तहसील पिपरिया जिला होंशगाबाद म.प्र. एंव सुश्री रश्मि रत्नानी पिता श्री मोहन रत्नानी निवासी 1205 सी गणेश मंदिर के पास मोदी वाड़ा केन्ट जबलपुर की नियुक्ति पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण एंव शारीरिक माप जिला मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर से कराई गई थी। जिसमें दोंनो अभ्यार्थियों की ऊंचाई 158 से.मी. माप कर योग्य घोषित किया गया जिसके परिणामस्वरूप उक्त दोंनो अभ्यार्थी को आरक्षक जीडी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। नियुक्ति उपरांत उक्त दोंनो महिला नव आरक्षकों को आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण हेतु पीटीसी इंदौर भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक पीटीसी इंदौर के पत्र दिनांक 23.8.2017 के द्वारा दिये प्रतिवेदन में दोंनो नव आरक्षकों की पीटीसी में ऊंचाई माप में निर्धारित ऊंचाई न्यूनतम 158 सेमी से कम पाई गई। उपरोक्त दोंनो महिला आरक्षकों की ऊंचाई की माप पुनः संभागीय मेडीकल बोर्ड जबलपुर से कराये जाने पर महिला 332 मीनाक्षी उईके की ऊंचाई 152.3 सेमी होना तथा महिला आरक्षक 564 रश्मि रत्नानी की ऊंचाई 150 सेमी होना पाया गया व आरक्षक पद के लिये अयोग्य होना लेख किया गया है।

4. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर के पत्र दिनांक 18.9.2018 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें जाचं अधिकारी द्वारा भी मत दिया गया है कि दोंनो अभ्यार्थी सुश्री मीनाक्षी उईके एंव सुश्री रश्मि रत्नानी की ऊंचाई 158 से.मी से कम पाई गई तथा जिला मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र असत्य पाया गया,।

2.....

5. आप जिला मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे एंव जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में सुश्री मीनाक्षी उईके की ऊंचाई 152से.मी होने पर भी 158 से.मी एंव सुश्री रश्मि की ऊंचाई 150 होने पर भी 158 से.मी ऊंचाई गलत अंकित की जाकर योग्य घोषित किये जाने के कारण दोंनो अभ्यार्थी की आरक्षक जीडी के पद पर नियुक्ति हो गई।

इस प्रकार आपके द्वारा नेत्ररोग विशेषज्ञ एंव मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में दो अयोग्य अभ्यार्थी को गलत प्रमाण पत्र जारी किया जाने के कारण आपकी अपने शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही परिलक्षित हुई।

6. अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे। यदि आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.</u>

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक(शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक

पृ0क्रमांक 4/शिका/सेल.3/SCN/नरसिंहपुर/ 2018/
प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर म.प्र.।
4. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर म.प्र.की ओर पत्र कमांक पुअ/नरपुर/स्था/307, दिनांक 30.5.2018 एंव कमांक 382, दिनांक 20.6.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. की ओर पत्र कमांक शिका/18/7135 दिनांक 18.9.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ.व्ही.के.गर्ग को कारण बताओ नोटिस की तामिली कराकर पावती उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें, अस्पताल प्रशासन शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर नस्ती कमांक 675, दिनांक 15.10.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. संयुक्त संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल सेल स्थानीय कार्यालय।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण बताओ नोटिस विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

संयुक्त संचालक(शिका.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक 4/शिका/सेल.3/SCN/नरसिंहपुर/2018/751 भोपाल, दिनांक 5/3/2019

प्रति,

डॉ.पी.सी.आनंद,
अस्थिरोग विशेषज्ञ,
जिला चिकित्सालय,
नरसिंहपुर, म.प्र.।

द्वारा :–मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर म.प्र.।

विषयः–**डॉ.पी.सी.आनंद, अस्थिरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस अंतर्गत नियम,16 म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 ।**

यह कि आप डॉ.पी.सी.आनंद, अस्थिरोग विशेषज्ञ के पद पर जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में पदस्थ है।

2. यह कि पुलिस आरक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2016 में चयनित होने पर जिला मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर द्वारा चयनित अभ्यार्थी सुश्री मीनाक्षी उईके एंव सुश्री रश्मि रत्नानी का नियुक्ति पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण एंव शारीरिक माप का मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर द्वारा गलत चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के संबंध में पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर का पत्र दिनांक 30.5.2018 का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसके अनुक्रम में क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया जो उनके पत्र कमांक 7135 दिनांक 18.9.2018 द्वारा प्राप्त हुआ।

3. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2016 में चयनित होने पर अभ्यार्थी सुश्री मीनाक्षी उईके पिता श्री सुखराजसिंह उईके निवासी पचमढ़ी तहसील पिपरिया जिला होंशगाबाद म.प्र. एंव सुश्री रश्मि रत्नानी पिता श्री मोहन रत्नानी निवासी 1205 सी गणेश मंदिर के पास मोदी वाड़ा केन्ट जबलपुर की नियुक्ति पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण एंव शारीरिक माप जिला मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर से कराई गई थी। जिसमें दोंनो अभ्यार्थियों की ऊंचाई 158 से.मी. माप कर योग्य घोषित किया गया जिसके परिणामस्वरूप उक्त दोंनो अभ्यार्थी को आरक्षक जीडी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। नियुक्ति उपरांत उक्त दोंनों महिला नव आरक्षकों को आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण हेतु पीटीसी इंदौर भेजा गया था पुलिस अधीक्षक पीटीसी इंदौर के पत्र दिनांक 23.8.2017 के द्वारा दिये प्रतिवेदन में दोंनो नव आरक्षकों की पीटीसी में ऊंचाई माप में निर्धारित ऊंचाई न्यूनतम 158 सेमी से कम पाई गई। उपरोक्त दोंनो महिला आरक्षकों की ऊंचाई की माप पुनः संभागीय मेडीकल बोर्ड जबलपुर से कराये जाने पर महिला 332 मीनाक्षी उईके की ऊंचाई 152.3 सेमी होना तथा महिला आरक्षक 564 रश्मि रत्नानी की ऊंचाई 150 सेमी होना पाया गया व आरक्षक पद के लिये अयोग्य होना लेख किया गया है।

4. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर के पत्र दिनांक 18.9.2018 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें जाचं अधिकारी द्वारा भी मत दिया गया है कि दोंनो अभ्यार्थी सुश्री मीनाक्षी उईके एंव सुश्री रश्मि रत्नानी की ऊंचाई 158 से.मी से कम पाई गई तथा जिला मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र असत्य पाया गया,।

2.....

आप अस्थिरोग विशेषज्ञ एंव जिला मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे एंव अस्थिरोग विशेषज्ञ होने से चिकित्सा प्रमाण में सही ऊंचाई लिखना मुख्यतः आपका दायित्व था किन्तु आपके द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में सुश्री मीनाक्षी उईके की ऊंचाई 152से.मी होने पर भी 158 से.मी एंव सुश्री रश्मि की ऊंचाई 150 होने पर भी 158 से.मी ऊंचाई गलत अंकित की जाकर योग्य घोषित किये जाने के कारण दोंनो अभ्यार्थी की आरक्षक जीडी के पद पर नियुक्ति हो गई।

इस प्रकार आपके द्वारा अस्थिरोग विशेषज्ञ एंव मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में दो अयोग्य अभ्यार्थी को गलत प्रमाण पत्र जारी किया जाने के कारण आपकी अपने शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही परिलक्षित हुई।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे। यदि आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक(शिका.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 4/शिका/सेल.3/SCN/नरसिंहपुर/ 2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर म.प्र.।
4. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर म.प्र.की ओर पत्र कमांक पुअ/नरपुर/स्था/307, दिनांक 30.5.2018 एंव कमांक 382, दिनांक 20.6.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. की ओर पत्र कमांक शिका/18/7135 दिनांक 18.9.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ.पी.सी.आनंद को कारण बताओ नोटिस की तामिली कराकर पावती उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें, अस्पताल प्रशासन शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर नस्ती कमांक 675, दिनांक 15.10.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. संयुक्त संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल सेल स्थानीय कार्यालय।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण बताओ नोटिस विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

संयुक्त संचालक(शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/शिका/सेल.3/SCN/नरसिंहपुर/2018/ 749 भोपाल, दिनांक 5/3/2019

प्रति,

डॉ.अमित चौकसे,.
मेडिकल विशेषज्ञ,
जिला चिकित्सालय,
नरसिंहपुर, म.प्र.।

द्वारा :–मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर म.प्र.।

विषयः–**डॉ.अमित चौकसे, मेडिकल विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस अंतर्गत नियम 16, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 ।**

यह कि आप डॉ.अमित चौकसे, मेडिकल विशेषज्ञ के पद पर जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में पदस्थ है।

2. यह कि पुलिस आरक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2016 में चयनित अभ्यार्थी सुश्री मीनाक्षी उईके एंव सुश्री रश्मि रत्नानी का नियुक्ति पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण एंव शारीरिक माप का मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर द्वारा गलत चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के संबंध में पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर का पत्र दिनांक 30.5.2018 प्राप्त हुआ। जिसके अनुक्रम में क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया, जो उनके पत्र क्रमांक 7135 दिनांक 18.9.2018 द्वारा प्राप्त हुआ।

3. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2016 में चयनित होने पर अभ्यार्थी सुश्री मीनाक्षी उईके पिता श्री सुखराजसिंह उईके निवासी पचमढ़ी तहसील पिपरिया जिला होंशगाबाद म.प्र. एंव सुश्री रश्मि रत्नानी पिता श्री मोहन रत्नानी निवासी 1205 सी गणेश मंदिर के पास मोदी वाड़ा केन्ट जबलपुर की नियुक्ति पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण एंव शारीरिक माप जिला मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर से कराई गई थी। जिसमें दोंनो अभ्यार्थियों की ऊंचाई 158 से.मी. माप कर योग्य घोषित किया गया जिसके परिणामस्वरूप उक्त दोंनो अभ्यार्थी को आरक्षक जीडी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। नियुक्ति उपरांत उक्त दोंनो महिला नव आरक्षकों को आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण हेतु पीटीसी इंदौर भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक पीटीसी इंदौर के पत्र दिनांक 23.8.2017 के द्वारा दिये प्रतिवेदन में दोंनो नव आरक्षकों की पीटीसी में ऊंचाई माप में निर्धारित ऊंचाई न्यूनतम 158 सेमी से कम पाई गई। उपरोक्त दोंनो महिला आरक्षकों की ऊंचाई की माप पुनः संभागीय मेडीकल बोर्ड जबलपुर से कराये जाने पर महिला 332 मीनाक्षी उईके की ऊंचाई 152.3 सेमी होना तथा महिला आरक्षक 564 रश्मि रत्नानी की ऊंचाई 150 सेमी होना पाया गया व आरक्षक पद के लिये अयोग्य होना लेख किया गया है।

4. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर के पत्र दिनांक 18.9.2018 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें जाचं अधिकारी द्वारा भी मत दिया गया है कि दोंनो अभ्यार्थी सुश्री मीनाक्षी उईके एंव सुश्री रश्मि रत्नानी की ऊंचाई 158 से.मी से कम पाई गई तथा जिला मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र असत्य पाया गया,।

2.....

5. आप जिला मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे एंव जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में सुश्री मीनाक्षी उईके की ऊंचाई 152से.मी होने पर भी 158 से.मी एंव सुश्री रश्मि ऊंचाई 150 होने पर भी 158 से.मी ऊंचाई गलत अंकित की जाकर योग्य घोषित किये जाने के कारण दोंनो अभ्यार्थी की आरक्षक जीडी के पद पर नियुक्ति हो गई।

इस प्रकार आपके द्वारा मेडिकल विशेषज्ञ एंव मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में दो अयोग्य अभ्यार्थी को गलत प्रमाण पत्र जारी किया जाने के कारण आपकी अपने शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही परिलक्षित हुई।

6. अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकिसा एंव स्वास्थ्य अधिकारी नरसिहपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे। यदि आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक(शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक

पृ0क्रमांक 4/शिका/सेल.3/SCN/नरसिंहपुर/ 2018/
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर म.प्र.।
4. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर म.प्र.की ओर पत्र क्रमांक पुअ/नरपुर/स्था/307, दिनांक 30.5.2018 एंव क्रमांक 382, दिनांक 20.6.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. की ओर पत्र क्रमांक शिका/18/7135 दिनांक 18.9.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ.चौकसे को कारण बताओ नोटिस की तामिली कराकर पावती उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें,एम.आर. शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर नस्ती क्रमांक 675, दिनांक 15.10.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. संयुक्त संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल सेल स्थानीय कार्यालय।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण बताओ नोटिस विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

संयुक्त संचालक(शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/शिका/सेल.3/SCN/नरसिंहपुर/2018/747 भोपाल, दिनांक 5/3/2019

प्रति,

डॉ.सी.एस.शिव,
शल्य किया विशेषज्ञ,
तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय,
नरसिंहपुर, म.प्र.।

द्वारा :–मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर म.प्र.।

विषयः–**डॉ.सी.एस.शिव, शल्य किया विशेषज्ञ, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस अंतर्गत नियम 16, म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 ।**

यह कि आप डॉ.सी.एस.शिव, शल्य किया विशेषज्ञ के पद पर जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में पदस्थ है।

2. यह कि पुलिस आरक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2016 में चयनित अभ्यार्थी सुश्री मीनाक्षी उईके एंव सुश्री रश्मि रत्नानी का नियुक्ति पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण एंव शारीरिक माप का मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर द्वारा गलत चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के संबंध में पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर का पत्र दिनांक 30.5.2018 प्राप्त हुआ, जिसके अनुक्रम में क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया जो उनके पत्र क्रमांक 7135, दिनांक 18.9.2018 द्वारा प्राप्त हुआ।

3. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2016 में चयनित होने पर अभ्यार्थी सुश्री मीनाक्षी उईके पिता श्री सुखराजसिंह उईके निवासी पचमढ़ी तहसील पिपरिया जिला होंशगाबाद म.प्र. एंव सुश्री रश्मि रत्नानी पिता श्री मोहन रत्नानी निवासी 1205 सी गणेश मंदिर के पास मोदी वाड़ा केन्ट जबलपुर की नियुक्ति पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण एंव शारीरिक माप जिला मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर से कराई गई थी। जिसमें दोंनो अभ्यार्थियों की ऊंचाई 158 से.मी. माप कर योग्य घोषित किया गया जिसके परिणामस्वरूप उक्त दोंनो अभ्यार्थी को आरक्षक जीडी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। नियुक्ति उपरांत उक्त दोंनों महिला नव आरक्षकों को आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण हेतु पीटीसी इंदौर भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक पीटीसी इंदौर के पत्र दिनांक 23.8.2017 के द्वारा दिये प्रतिवेदन में दोंनो नव आरक्षकों की पीटीसी में ऊंचाई माप में निर्धारित ऊंचाई न्यूनतम 158 सेमी से कम पाई गई। उपरोक्त दोंनो महिला आरक्षकों की ऊंचाई की माप पुनः संभागीय मेडीकल बोर्ड जबलपुर से कराये जाने पर महिला 332 मीनाक्षी उईके की ऊंचाई 152.3 सेमी होना तथा महिला आरक्षक 564 रश्मि रत्नानी की ऊंचाई 150 सेमी होना पाया गया व आरक्षक पद के लिये अयोग्य होना लेख किया गया है।

4. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर के पत्र दिनांक 18.9.2018 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें जाचं अधिकारी द्वारा भी मत दिया गया है कि दोंनो अभ्यार्थी सुश्री मीनाक्षी उईके एंव सुश्री रश्मि रत्नानी की ऊंचाई 158 से.मी से कम पाई गई तथा जिला मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र असत्य पाया गया,।

5. आप उक्त कार्यवाही के समय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय तथा जिला मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर के अध्यक्ष थे। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में सुश्री मीनाक्षी उईके की ऊंचाई 152से.मी होने पर भी 158 से.मी एंव सुश्री रश्मि ऊंचाई 150 होने पर भी 158 से.मी ऊंचाई गलत अंकित की जाकर योग्य घोषित किये जाने के कारण दोंनो अभ्यार्थी की आरक्षक जीडी के पद पर नियुक्ति हो गई ।

2.....

जांच प्रतिवेदन में जांच अधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि जिला मेडिकल बोर्ड नरसिंहपुर में मात्र प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी रजिस्टर ही संधारित है, जिसमें अभ्यार्थियों का नाम एंव उनके हस्ताक्षर अंकित है, किन्तु प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति/छायाप्रति संधारित नहीं की जाती, ऐसी दशा में प्रमाण पत्र में क्या लेख किया गया है, पता लगाना संभव नहीं है। जबकि आप सिविल सर्जन के प्रभार में थे, आपका यह दायित्व था कि जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किये जा रहे चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति कार्यालय अभिलेख में रखी जावे।

इस प्रकार आपके द्वारा मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दो अयोग्य अभ्यार्थी को गलत प्रमाण पत्र जारी किया जाने एंव कार्यालय में अभिलेखों का संधारण नहीं कराये जाने के कारण आपकी अपने शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही परिलक्षित हुई।

6. अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे। यदि आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ.जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक(शिका)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक

पृ0क्रमांक 4/शिका/सेल.3/SCN/नरसिंहपुर/ 2018/
प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर म.प्र.।
4. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर म.प्र.की ओर पत्र कमांक पुअ/नरपुर/स्था/307, दिनांक 30.5.2018 एंव कमांक 382, दिनांक 20.6.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. की ओर पत्र कमांक शिका/18/7135 दिनांक 18.9.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ.शिव को कारण बताओ नोटिस की तामिली कराकर पावती उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें,एम.आर. शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर नस्ती कमांक 675, दिनांक 15.10.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. संयुक्त संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल सेल स्थानीय कार्यालय।
9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण बताओ नोटिस विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

संयुक्त संचालक(शिका.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–2/अशोक नगर/नोटिस /2019/709 भोपाल, दिनांक 1-3-19

प्रति,

डॉ. सनूपसिंह छारी,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
अशोक नगर, म.प्र.।

द्वाराः– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर, म.प्र.

विषयः–अनुशासनात्मक कार्यवाही विरूद्ध–डॉ. सनूप सिंह छारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक अशोक नगर– कारण बताओ नोटिस।

––0––

यह कि आप डॉ.एस.एस.छारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक अशोक नगर के पद पर पदस्थ हैं।

यह कि आपको 05 दिवस पूर्व दवा कंपनी को दवाईयों के देयकों का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था । निर्देशों के बावजूद भी आपके द्वारा दवा कंपनी को दवाईयों के देयकों का भुगतान करने में रूचि नहीं ली गई एवं उक्त कार्य में विलंब किया गया । दवा कंपनी को समय सीमा में देयकों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण दवा कंपनी को परेशानी का सामाना करना पडा । इस प्रकार आपके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुये स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

.....2

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे? यदि आपका उत्तर समय-सीमा में प्राप्त नही हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/4शिका./सेल-2/अशोक नगर/नोटिस /2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3.. संयुक्त संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय।
4. कलेक्टर जिला अशोक नगर।

.....3

5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.की ओर जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति, डॉ. सनूप सिंह छारी को तामील कराते हुये तामीली रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।

6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें।

7. आदेश नस्ती ।

संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./औषधि प्रकोष्ठ/2019/265 भोपाल दिनांक28/02/2019

प्रति,

डॉ. व्ही.के. गुप्ता,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला– ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

द्वारा– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
विषय– अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओं नोटिस विरूद्ध डॉ. व्ही.के. गुप्ता जिला– ग्वालियर।
संदर्भ– आपका पत्र क्र./स्थापना/2019/1029–32/ग्वालियर, दिनांक 22.01.2019।

—000—

यह कि आप डा0 व्ही0के0गुप्ता, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय ग्वालियर में दिनांक 12.05.2017 से पदस्थ है पदस्थी के दौरान जिला चिकित्सालय ग्वालियर में एंटी कैंसर दवाओं की उपलब्धता ना होने के कारण मरीजों का समय पर इलाज नही हो पा रहा है।

आपकी अधीनस्थ संस्था– जिला चिकित्सालय ग्वालियर, में एन्टी कैंसर औषधियों की उपलब्धता ना होने के संबंध में कारणों आपके व्दारा संचालनालय,एवं सम्भागीय कार्यालय को को अवगत नही कराया गया है ।

उक्त संबंध में आप उत्तर तत्काल निम्नांकित बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण उत्तर नियत समयावधि में क्षैत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर के माध्यम से प्रस्तुत करें:–

1. नवीन दवानीति 2009 की कंण्डिका 15.1 के अनुसार प्रत्येक जिला चिकित्सालय में औषधियों का भण्डारण जिला स्तरीय औषधि भण्डारों में 3 माह का बफर स्टॉक होना चाहिए। परन्तु आपके संदर्भित पत्र के अनुसार आपके पास पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक नही है। क्यो नही है स्पष्ट करें ?
2. विगत् 3 माहों में कितने हितग्राहीयों को कितनी मात्रा में एण्टी कैसर दवा का वितरण किया गया है ? जानकारी उपलब्ध करावें।
3. जब आर.सी. लाईव थी तब Last Purchase कब किया गया ?
4. Local Purchase की अगर परमीशन दी जाए तब अधिक व्यय की वसूली का अंतर एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक से क्यो न वसूला जाये ? स्टोर कीपर वसूला जायेगा।

उक्त घटना क्रम से परिलक्षित होता है कि आपका अपने अधिनस्तों पर प्रशासकीय नियंत्रण नही है। आपका कृत्य कार्यालय के नियंत्रण एवं कर्मशैली पर प्रश्न अंकित करता है। जिससे विभाग की छवि आम जनता में धूमिल हुई।

इस प्रकार आपका उक्त आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमो का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये।

अतः उक्त नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के माध्यम से प्रस्तुत करें अन्यथा समयावधि में प्रतिवाद उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जावेगी जिसके लिये आप स्वंय उत्तरदायी होंगे। यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

संचालक (उपार्जन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक 28/02/2019

पृ.क्र./औषधि प्रकोष्ठ/2019/266

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल/स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर, मध्यप्रदेश को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को नियत समयावधि में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें। साथ ही स्पष्टीकरण उत्तर पर अपना अभिमत टीप अंकित कर नियत समयावधि में प्रेषित करें ।
6. प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।
7. आदेश नस्ति।

संचालक (उपार्जन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–4/भिण्ड/एससीएन/एफ–7/2019/498 भोपाल, दिनांक 15/2/2019

प्रति,

डॉ.विजय कुमार उडगेडकर
खण्ड चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रौन
जिला–भिण्ड, मध्यप्रदेश।

द्वाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड।

विषयः–डॉ.विजय कुमार उडगेडकर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रौन जिला–भिण्ड, मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

00–00

यह कि आप डॉ.विजय कुमार उडगेडकर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रौन में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर ने पत्र कमांक शिका./2019/1241 दिनांक 28.1.2019 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 26.1.2019 को श्रीमती अंजली पत्नी मनोज शर्मा निवासी मछण्ड को प्रसव पीडा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रौन में 4:20 बजे भर्ती कराया गया, तत्पश्चात सांय 5:11 बजे प्रसूता द्वारा बालक को जन्म दिया गया। प्रसूता के परिजनों द्वारा ड्युटी डाक्टर को बार बार बुलाने पर भी प्रसूता के स्वास्थ्य परिक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुए जिससे समुचित ईलाज न मिलने से प्रसूता श्रीमती अंजली पत्नी मनोज शर्मा की दिनांक 27.1.2019 को प्रातः 6:25 बजे मृत्यु हो गई।

यह कि आप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रौन मुख्यालय में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहते है तथा ग्वालियर से अप–डाउन करते है। घटना के दिन भी आप मुख्यालय पर उपस्थित नहीं थे। घटना के दिन यदि आप मुख्यालय पर उपस्थित रहते तो प्रसूता की जान बचाई जा सकती थी। आपके मुख्यालय पर न रहने से अधीनस्थ चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ पर आपका नियंत्रण नहीं होने से वे अपने कर्त्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं करते है। पूर्व में भी आपके मुख्यालय पर ना रहने के कारण कई घटनाएं घटित हो चुकी है, जो आपकी कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य **मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के** उप नियम, **एक के खण्ड** (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप दिनांक 05.03.2019 को प्रातः 10.30 बजे स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध **मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) के** अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आप उक्त दिनांक को समक्ष में उपस्थित होकर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

.....2

क./4/शिका./सेल–4/भिण्ड/एससीएन/एफ–7/2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ.विजय कुमार उडगेडकर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रौन जिला–भिण्ड मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
7. आदेश नस्ती।

संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल–2/अशोकनगर/एससीएन/2019/ 495 भोपाल, दिनांक 15/2/19

प्रति,

डॉ.कीर्ति गोलिया
स्त्री रोग विशेषज्ञ
जिला चिकित्सालय
जिला–अशोकनगर, मध्यप्रदेश।

द्वाराः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड।

विषयः–डॉ.कीर्ति गोलिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय जिला–अशोकनगर के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ.कीर्ति गोलिया, जिला चिकित्सालय, अशोकनगर में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हैं।

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर ने पत्र कमांक शिका./2019/1241 दिनांक 28.1.2019 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 25.1.2019 को श्रीमती पिंकी पत्नी भुपेन्द्र निवासी बेहरिया को प्रसव हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईसागढ़ में full dilatation & ruptured membrane की स्थिति में भर्ती कराया गया। गर्भावस्था के समय स्त्री रोग चिकित्सक द्वारा हाईरिस्क होने के कारण ऑपरेशन से प्रसव कराने हेतु अवगत कराया था। रात्रि 12:00बजे प्रसूता का यूट्रेस बाहर था एवं हिमोग्लोबिन भी काफ़ी कम होने से गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिला चिकित्सालय अशोकनगर रेफर किया गया। आपके द्वारा प्रसव उपरांत जटिलता होने पर एवं गंभीर एनीमीया की स्थिति में प्रसूता को हमीदिया अस्पताल, भोपाल रेफर किया गया, जिससे 108 वाहन द्वारा उसे हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां दिनांक 27.1.2019 को प्रातः 4:00 बजे प्रसूता की मृत्यु हो गई, जबकि ऑब्स्टेट्रिक केस होने के कारण प्रसूता को सुल्तानिया ले जाया जाना था, । जो आपकी कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य **मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड** (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप दिनांक 05.03.2019 को प्रातः 10.30 बजे स्वास्थ्य आयुक्त महोदय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध **मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(4) के** अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जावे? यदि आप उक्त दिनांक को समक्ष में उपस्थित होकर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं करती हैं, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ.जे.विजयकुमार)
संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

.....2

क./4/शिका./सेल–2/अशोकनगर/एससीएन/2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्याल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अशोकनगर, म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अशोकनगर की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ.कीर्ति गोलिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय जिला–अशोकनगर मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

/

संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–वी.सी./989/17/2019/421 भोपाल दिनांक 6/2/2019

प्रति,

डॉ.एम.के. बरेठिया,
मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
शाहपुर जिला सागर मध्यप्रदेश।

द्वारा– क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र.।

विषयः– अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस डॉ. एम.के. बरेठिया,मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर जिला सागर मध्यप्रदेश।

————000————

यह कि आप मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर जिला सागर के पद पर पदस्थी दौरान आपके विरूद्ध लोकायुक्त कार्यालय में वर्ष 2010 से 2014 तक आर.सी.एच. एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत तीन गुना अधिक फर्जी टूर लॉग बुक में दर्शाकर भुगतान करने बावत् शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक 989/17 पंजीबद्ध हुआ है। शिकायत जांच हेतु संचालनालय में प्राप्त होने पर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये सागर संभाग सागर से जांच करायी गयी। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर के पत्र क्रमांक 6623 दिनांक 04.08.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन संचालनालय को प्रेषित किया गया जिसका परीक्षण संचालनालय स्तर पर अपर संचालक (वित्त) से कराया गया। अपर संचालक वित्त ने गति माप पुस्तिका (लॉग बुक) के संबंध में निम्न कमियां बताई गई हैः–

1 शिकायत के बिन्दु क्रमांक 1 के अनुसार लॉग बुक उपयोग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नही पाए गये तथा तालिका के बिना हस्ताक्षर बिना प्रमाण यात्रा की संख्या संलग्न की है।

2 वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक की लॉगबुको में किसी भी माह में कॉलम नम्बर 3,7,8 एवं 9 की पूर्ति नही की गई है। जिसमें माइलोमीटर रीडिंग किसी भी वर्ष में माइलोमीटर के आधार पर किलोमीटर की गणना नही की गई। अपने हिसाब से ही किलोमीटर अंकित किये गये है एवं पेट्रोल डीजल कितना लिया, यात्रा का दिनांक, समय, किलोमीटर, स्थान एवं कार्य का विवरण लिखा है। लॉग बुक में किसी किसी पृष्ठ पर कुछ यात्रा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है। इस तरह से लॉग बुक का संधारण होना नही पाया गया।

3 वर्ष 2010 से 2014 तक की लॉगबुक में वाहन क्रमांक का उल्लेख नही किया गया है। जो नियम विरूद्ध है। वर्ष 2010 की लॉग बुक संदेह की श्रेणी क्योकि इसमें किसी भी अधिकारी का हस्ताक्षर नही है। एवं निर्धारित लॉग बुक में प्रविष्ट न होकर टंकित प्रतियों में प्रविष्ट की गई है। जो नियम अनुकूल नही है।

इस प्रकार आपके द्वारा विकास खंड चिकित्सा अधिकारी होने एवं आपको वाहन आवंटित होने से लॉग बुक का सही संधारण करवाना आपका दायित्व था जो आपके द्वारा पूर्ण रूप से निर्वहन नही किया जाकर लापरवाही बरती गई।

आपका उपरोक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खंण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कर्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है। आप उक्त कृत्य करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

निरंतर.....

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा **(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)** 1966 के नियम 10 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें ? यदि आपका उत्तर समय--सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगीं।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा आदेशित।

(डॉ. जे.पी. खरे)
संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./4/शिका./सेल--वी.सी./989/17/2019/ भोपाल दिनांक / /2019

प्रतिलिपीः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 विधी सलाहकार--5 लोकायुक्त कार्यालय लोकायुक्त भवन भोपाल की ओर लोकायुक्त प्रकरण 989/17 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2 सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3 निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. स्थानीय कार्यालय।
4 कलेक्टर जिला सागर म.प्र.।
5 उप संचालक, विज्ञप्त/लीगल/गोपनीय स्थानीय कार्यालय।
6 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर की ओर भेजकर **डॉ. एम.के. बरेठिया,मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर जिला सागर** को जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति तामिल कराते हुए तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर अपना स्पष्ट अभिमत अंकित करते हुए संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।
8 आदेश नस्ति ।

संयुक्त संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–7/उज्जैन/2019/380 भोपाल दिनांक 30/01/2019

प्रति,

डॉ.संजीव कुमरावत,
बी.एम.ओ.,
सिविल हास्पिटल नागदा,
जिला उज्जैन म.प्र.।

द्वारा– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन म.प्र.।

विषयः– डॉ. संजीव कुमरावत, बी.एम.ओ., सिविल हास्पिटल नागदा, जिला उज्जैन को कारण बताओ सूचना पत्र।

———000———

यह कि आप डॉ. संजीव कुमरावत, सिविल हास्पिटल नागदा, जिला उज्जैन में बी.एम. ओ., के पद पर पदस्थ है। आपकी पदस्थी के दौरान श्रीमती सोनल, उम्र 30 वर्ष, पति रमेश, पता लूनावाडा जिला गोधरा गुजरात, दिनांक 03.09.2018 को प्रातः 7.00 बजे सिविल अस्पताल नागदा में प्रसव हेतु भर्ती होने आई। ड्यूटी स्टाफ नर्स ने महिला के सोनोग्राफी एवं अन्य जांचों की रिपोर्ट मांगी जो उसके पास नही थी। जांच रिपोर्ट न होने के कारण उन्हें वापिस कर दिया। प्रसूता रेलवे स्टेशन चली गई। वहां उसका प्रसव रेलवे की सफाई कर्मी की मदद से कराया गया। दिनांक 03.09.2018 को प्रातः 8.15 सिविल अस्पताल नागदा जिला उज्जैन में प्रसव उपरांत भर्ती किया गया। भर्ती होने पर प्रसूता को इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन नही दिया गया न ही हीमोग्लोबिन की जांच की गई। जो कि पी.पी. एच. एवं एनीमियॉ को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक था। प्रकरण में प्रसवोत्तर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। प्रसूता सोनल की उपचार में लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो सकती थी।

उक्त घटना क्रम से परिलक्षित होता है कि आपका अपने अधिनस्तो पर प्रशासकीय नियंत्रण नही है। जिससे विभाग की छवि आम जनता में धूमिल हुई।

इस प्रकार आपके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की जाकर उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खंण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये, अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वॉस्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन म.प्र. के माध्यम से प्रस्तुत करें क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 में वर्णित लघु शास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

15.1.19

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/शिका./सेल–7/उज्जैन/2019/ भोपाल दिनांक /01/2019

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

2 निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. स्थानीय कार्यालय।

3 उप संचालक, विज्ञप्त/लीगल/गोपनीय स्थानीय कार्यालय।

4 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।

5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन की ओर **डॉ संजीव कुमरावत, बी. एम.ओ., सिविल हास्पिटल नागदा, जिला उज्जैन को** जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित को तामिल कराकर तामिली रिपोर्ट एवं प्रतिवाद उत्तर पन्द्रह दिवस में प्रस्तुत करें। ।

6 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला उज्जैन।

7 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।

7 आदेश नस्ति ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/4/शिका./सेल–7/उज्जैन/2019/378 भोपाल दिनांक 30/01/2019

प्रति,

डॉ. भारती जोशी,
पी.जी.एम.ओ.,
सिविल हास्पिटल नागदा,
जिला उज्जैन म.प्र.।

द्वारा– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन म.प्र.।

विषयः– डॉ भारती जोशी, पी.जी.एम.ओ., सिविल हास्पिटल नागदा, जिला उज्जैन को कारण बताओ सूचना पत्र।

————000————

यह कि आप **डॉ. भारती जोशी, सिविल हास्पिटल नागदा, जिला उज्जैन में पी.जी.एम. ओ.,** के पद पर पदस्थ है। आपकी पदस्थी के दौरान श्रीमती सोनल, उम्र 30 वर्ष, पति रमेश, पता लूनावाडा जिला गोधरा गुजरात, दिनांक 03.09.2018 को प्रातः 7.00 बजे सिविल अस्पताल नागदा में प्रसव हेतु भर्ती होने आई। ड्यूटी स्टाफ नर्स ने महिला के सोनोग्राफी एवं अन्य जांचों की रिपोर्ट मांगी जो उसके पास नही थी। जांच रिपोर्ट न होने के कारण उन्हें वापिस कर दिया। प्रसूता रेलवे स्टेशन चली गई। वहां उसका प्रसव रेलवे की सफाई कर्मी की मदद से कराया गया। दिनांक 03.09.2018 को प्रातः 8.15 सिविल अस्पताल नागदा जिला उज्जैन में प्रसव उपरांत भर्ती किया गया। भर्ती होने पर प्रसूता को इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन नही दिया गया न ही हीमोग्लोबिन की जांच की गई। जो कि पी.पी. एच. एवं एनीमियॉ को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक था। प्रकरण में प्रसवोत्तर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। प्रसूता सोनल की उपचार में लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो सकती थी।

इस प्रकार आपके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की जाकर उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खंण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये, अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन म.प्र. के माध्यम से प्रस्तुत करें क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 में वर्णित लघु शास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नही कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

15.1.19

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/शिका./सेल–7/उज्जैन/2019/ भोपाल दिनांक /01/2019

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

2 निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र. स्थानीय कार्यालय।

3 उप संचालक, विज्ञप्त/लीगल/गोपनीय स्थानीय कार्यालय।

4 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।

5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन की ओर **डॉ भारती जोशी, पी.जी. एम.ओ., सिविल हास्पिटल नागदा, जिला उज्जैन को** जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित को तामिल कराकर तामिली रिपोर्ट एवं प्रतिवाद उत्तर पन्द्रह दिवस में प्रस्तुत करें। ।

6 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला उज्जैन।

7 प्रभारी एम.आई.एस. सेल स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करावें।

8 आदेश नस्ति ।

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/शिका/सेल.3/SCN/जबलपुर/2018/244 भोपाल, दिनांक 15/1/19

प्रति,

डॉ.निशा साहू,
अधीक्षक, रानी दुर्गावती सिविल अस्पताल
जबलपुर ,म.प्र.।

द्वारा :–मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर म.प्र.।

विषयः–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अंतर्गत–**डॉ.निशा साहू, अधीक्षक, रानी दुर्गावती सिविल अस्पताल जबलपुर के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस।**

––

यह कि आप डॉ.निशा साहू, रानी दुर्गावती सिविल अस्पताल जबलपुर में अधीक्षक के पद पर पदस्थ है।

यह कि आपकी पदस्थी के दौरान कार्यालय अधीक्षक रानी दुर्गावती, सिविल अस्पताल जबलपुर में वित्तीय वर्ष 2018–19 में सफाई मद अंतर्गत रूपये 1702368/–मापदण्ड के विरूद्ध राशि रूपये 2132244/–का व्यय किया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा मापदण्ड से अधिक, गत वर्षो का व्यय, वरिष्ठ कार्यालय से स्वीकृति नहीं, भण्डार नियमों का उल्लंघन एंव मद परिवर्तन कर म.प्र. वित्त संहिता भाग 1 के नियम 8,9, एंव 118 तथा म.प्र.कोष संहिता भाग नियम 121(4) एंव 283 नियमों का उल्लंघन/वित्तीय अनियमिततायें की गई है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3 के उपनियम एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। आप अपने कार्य के प्रति संन्निष्ठ एंव कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की भागी बन गई है।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। यदि आपका उत्तर समय सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित.</u>

26/1/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

2.....

पृ0क्रमांक 4/शिका/सेल.3/SCN/जबलपुर/ 2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल।

2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।

3 अपर संचालक वित्त स्थानीय कार्यालय।

4. कलेक्टर, जिला जबलपुर म.प्र.।

5. संयुक्त संचालक अस्पताल प्रशासन स्थानीय कार्यालय

6. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.।

7. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ.निशा साहू, अधीक्षक,रानी दुर्गावती सिविल अस्पताल जबलपुर को जारी कारण बताओ नोटिस तामिली कराकर पावती तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल सेल स्थानीय कार्यालय।

9. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

सतपुड़ा–भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश

क्रमॉक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–संविदा / 2019 / 44 भोपाल, दिनांक 07 / 01 / 2019

– कारण बताओ सूचना पत्र–

प्रति,

डॉ रविशंकर उइके,
(चिकित्सा अधिकारी, एम0डी0शिशुरोग)
सीनियर रेसीडेंट, चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा,
द्वारा – अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा,म0प्र0।

विषय :– विभागीय उम्मीदवार के रूप में अध्ययन उपरांत पदस्थापना स्थल पर कार्य ग्रहण नहीं करने के संबंध में।

संदर्भ :– सीनियर रेसीडेंट के पद हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिये आपका आवेदन पत्र ।

विषयांकित प्रकरण में लेख है कि वर्ष 2017 में विभागीय उम्मीदवार के रूप में एम0डी0 शिशुरोग अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत विभाग द्वारा आदेश दिनांक 31.08.2017 के द्वारा आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय डिण्डौरी की गई थी। आपके द्वारा जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। लंबे समय तक अनुपस्थित होने के पश्चात विभाग से अनुमति प्राप्त न करते हुए, चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा में आदेश दिनांक 19.06.2018 द्वारा सीनियर रेसीडेंट के रूप में कार्यग्रहण कर लिया गया है।

शासकीय सेवा में सेवारत् रहते हुए, अन्य विभाग में कार्य हेतु विभागीय अनुमति आवश्यक है। आपके द्वारा विभागीय उम्मीदवार के रूप में पी0जी0 अध्ययन हेतु प्रवेश के समय अनुबंध भी निष्पादित किया गया था। अतः क्यों न आपके विरूद्ध म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें एवं निष्पादित बंधपत्र को पूर्ण न करने के कारण (Bond Forfeiture) की जावे।

अतः आप नोटिस जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में जवाब समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एवं एक पक्षीय (Bond Forfeiture) संबंधी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

7.1.19
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

निरंतर.....2

क्रमॉक / 1—जी / विज्ञप्त / सेल—संविदा / 2019 / 45 भोपाल, दिनांक 07/01 /2019

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.। 2.
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल ।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन म.प्र.।
5. निज—सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त।
6. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा,म0प्र0।
7. क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर म.प्र.।
8. कलेक्टर, डिण्डौरी म.प्र.।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा / डिण्डौरी म.प्र.।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय छिन्दवाड़ा / डिण्डौरी म.प्र.
11. प्रभारी, एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।
12. संबधित चिकित्सकों की ओर पालनार्थ।

7.1.19

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

7.1.19